राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 8

शुक्रवार,

23 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

किसानों की फसल भण्डार गृहों में रहन रख कर राशि की अदायगी

210. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र के शीर्षक "कृषि एवं पशुपालन" के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 में फसल बीमा को प्रोत्साहन दिया जायेगा और प्राकृतिक आपदा से किसानों को उचित मुआवजा दिया जायेगा व क्रम संख्या 10 में किसान अपनी फसल को भण्डार गृहों में रहन रख कर उसके खरीद मूल्य की 75 प्रतिशत राशि तुरन्त ले सकेगा तथा कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने हेतु राज्य के किसानों से वायदा किया था? यदि हां, तो वायदे पूरे करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये?

(2) क्या सरकार किसानों के बाजरे को केन्द्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर राजफैड के माध्यम से खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने बाजरे व अन्य खाद्यान्नों के रखने हेतु पर्याप्त गोदाम नहीं होने के कारण राजफैड के माध्यम से बाजरे को खरीदने की असमर्थता व्यक्त की है? यदि हां, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : (1) जी हां। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है।

फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार व राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 50:50 में संशोधन कर 80:20 का अनुपात किया जाये। प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना राज्य में लागू करने पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा से किसानों को उचित मुआवजा देने हेतु भी समय-समय पर भारत सरकार को राशि आबंटित करने हेतु निवेदन किया गया है।

कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना एक नीतिगत प्रश्न है, जिस पर भारत सरकार के

(कृषि मंत्री)

स्तर पर निर्णय होने के पश्चात् हीं राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्यवाही शुरू की जावेगी।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1999 (1999-2000) में कृषि जिन्सों (सरसों, धनिया एवं सोयाबीन) को निगम के गोदामों के जमा कराने पर उस समय बाजार में प्रचलित दर का 75 प्रतिशत रहन ऋण उपलब्ध कराया गया तथा उक्त योजना निरन्तर लागू है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा बाजरे का समर्थन मूल्य दिनांक 10.9.2001 को घोषित किया गया। राज्य सरकार के काफी प्रयासों के बाद केन्द्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद 1 नवम्बर, 2001 से प्रारम्भ की गयी है। समर्थन मूल्य पर खरीद में भारतीय राजफैड एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा किया जा रहा है।

(3) बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है एवं उसका भण्डारण भी उन्हीं के द्वारा किया जाना है। गोदामों की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम, जो कि बाजरे की खरीद कर रही है, के द्वारा की जानी है, इसलिये राजफैड द्वारा असमर्थता व्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

राज्य में भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा 87 स्थानों पर भण्डार गृह संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी 31.10.2001 को कुल भण्डारण क्षमता 7.22 लाख मीट्रिक टन तथा उपयोग 6.21 लाख मीट्रिक टन रहने के उपरान्त लगभग 76,209 मीट्रिक टन का रिक्त स्थान खाद्यान्न संग्रहण हेतु उपलब्ध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने यह कहा अपने उत्तर के खण्ड एक में, कि फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। इसी तरह आपने इसी खण्ड में कहा है फसल बीमा योजना राज्य में लागू करने पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा से किसानों को उचित मुआवजा देने हेतु समय-समय पर भारत सरकार को आपने कहने की बात कही है और इसी खण्ड में आपने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना एक नीतिगत प्रश्न है, भारत सरकार के स्तर पर निर्णय होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मेरा मूल प्रश्न भी यही था कि आपने अपने घोषणा पत्र में "कृषि एवं पशुपालन" इसके अन्तर्गत यह साफ घोषणा की है कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा। फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन दिया जायेगा और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जायेगा। अब आपने प्राकृतिक आपदा से किसान को उचित मुआवजा देने के लिये भी भारत सरकार की बात बीच में ले आये। फसल बीमा योजना को आपने नीतिगत सवाल होने की बात कह दी। कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात भी आपने नीतिगत कह दी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में जब यह घोषणा की थी तो क्या उस समय आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह ध्यान में नहीं था कि इन विषयों पर आप घोषणा नहीं कर सकते, यह नीतिगत सवाल है, इसमें भारत सरकार घोषणा करेगी।

क्या यह सही है कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से आपका उद्देश्य मात्र किसान का वोट ठगना था? नम्बर दो, आपने यह कहा है कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु 1999-2000 से किसानों की जिंस का गोदामों में जमा कराने पर बाजार से प्रचलित दर पर 75 प्रतिशत रहन ऋण उपलब्ध करा रहे है, अब आपने कह दिया कि 1999-2000 से आपने योजना लागू करने की बात कही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब योजना आपने लागू कर दी तो इस योजना में यह तो आपने तय किया नहीं कि कौन-कौनसे जिंस पर तो यह योजना लागू है। किसान की चाहे कोई भी फसल हो उसको आपने रहन रखकर 75 परसेंट अग्रिम देने की बात आपने स्वीकार की है। तो फिर आप कृपया यह बतायें कि बाजरे में क्या किसान अपने बाजरे की फसल को आपके वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम में रखकर उसको भी आप अग्रिम राशि देंगे या नहीं देंगे?

आपने समर्थन मूल्य के लिए कहा कि समर्थन मूल्य तो भारत सरकार ने तय किया, 10.9.2001 को। अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ठीक है। और आपने यह कहा 1 नवम्बर, 2001 से खरीद प्रारम्भ की। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कितना बाजरा आपने 1 नवम्बर से लेकर 23 नवम्बर के बीच में खरीदा? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि आपके पास भण्डारण की व्यवस्था है सिर्फ 76,209 मीट्रिक टन की, सहकारिता मंत्री जी जब आप उत्तर दे रहे थे तो इन्होंने कहा था कि हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था तीन लाख मीट्रिक टन बाजरा वह खरीदे। 29 लाख मीट्रिक टन बाजरा इस बार पूरे प्रदेश में हुआ है। तो तीन लाख मीट्रिक टन आप बाजरा खरीदते तो आप बतायेंगे कि इस बाजरे को आप कहां रखते? और मैं यह भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्रम-9 में कहा है कि बाजार के मूल्य पर खरीद की जिम्मेवारी, बाजार के समर्थन मूल्य पर किसान को उस प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आप अनाज की खरीद चालू करेंगे। तो आप बताएं पहले आपने घोषणा पत्र में इस तरह की घोषणा क्यों की? मेरे इन पाइंटेड सवालों का आप जवाब दें।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि घोषणा पत्र जारी किया गया है, कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, उसमें मैं समझता हूं कि आपसे सलाह मशविरा की जरूरत कहीं नहीं थी और न आज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सही है, यह सही है, यह सही कह रहे है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे है। सलाह कौन दे रहा है आपको।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूंगा....

श्री अमराराम (धोद) : सलाह कौन दे रहा है ? जनता की बात करो।

श्री तैय्यब हुसैन : ओनली फैक्ट्स, मेहरबानी करके सुन लीजिए आप, क्योंकि मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रहा हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तथ्यों की नहीं, राजनीति की बात भी साथ-साथ है।

श्री तैय्यब हुसैन : जहां तक इसमें हमने लिखा है कि हम यह प्रयास करेंगे घोषणा पत्र में तो उसमें वह सब चीजें शामिल है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रयास नहीं लिखा है आपने। ऐसा करेंगे यह लिखा है, प्रयास नहीं लिखा है। यह रहा...

श्री तैय्यब हुसैन : तो हमने जो बात कही है उसमें यह सब चीजें शामिल है, यह सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, यह नहीं कहा आपने...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : नहीं, यह नहीं लिखा...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नो, नो, गलत, गलत...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : उसमें यह नहीं है आप जरा सुन लीजिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कोई कंडीशन उसमें नहीं लिखी है। कोई अगर, मगर, कोई शर्त, कोई भारत सरकार की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : कांग्रेस जो भजन करती है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : एक-एक पाइंट को आप देख सकते है, इसमें सरकार ने फसल बीमा लागू करना, भण्डारण करना, सारी व्यवस्थाओं के लिए घोषणा की गयी है। यहां एक भी व्यवस्था लागू नहीं हो रही है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें सभी प्रकार की घोषणाएं की गयी हैं।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि यह हमारा प्रोग्राम है उसको किया गया है और कई हमारी मान्यताएं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धोखा दिया है किसानों को।

श्री तैय्यब हुसैन : अभी तीन साल हुए है, दो साल अभी बाकी है, तसल्ली रखिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : कम से कम आप हमारे घोषणा पत्र को पढ़ तो रहे हो आप सब इसी बहाने...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : आपको परेशानी यह है कि सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण फैसले किये है और आपको परेशानी है और इसका कोई...(व्यवधान) मैं यह अर्ज करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। मैंने पाइंटेड सवाल किया है और मुझे उसका उत्तर दे दें, यह क्या बांच रहे है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : यह तो भाषण दे रहे है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाषण नहीं मुझे उत्तर दिला दें।

डा. किरोड़ी लाल : पाइंटेड क्वेश्चन का जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने भाषण दिया जब, आठ मिनट बोले है आप...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा पत्र में सबसे सुन्दर हैं तो यह तीन तस्वीरें ही है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपसे कि 8 तारीख को माननीय सहकारिता मंत्री ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे सवालों का जवाब दो। कृषि को उद्योग का दर्जा देना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान का पैसा देना, यह जवाब आप दें।

श्री तैय्यब हुसैन : आपने तीन सवाल किये है मैं दे रहा हूं। आप तसल्ली रखिये ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहां की बात करे जा रहे है, आप मेरे सवाल का जवाब दो।

श्री तैय्यब हुसैन : आप तसल्ली रखें। आपने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की बात भी कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने आखिर में जो एक...

श्री तैय्यब हुसैन : तो तसल्ली रखिये। अब इसमें क्या बात है, समझिये, You cannot dictate me the order in which I have to reply.

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इंग्लिश, अब दो इंग्लिश में जवाब।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आराम से सुन लीजिये। क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ फैक्ट्स की बात अर्ज कर रहा हूं। ओनली फैक्ट्स। तो यहां यह भी कहा गया कि कारपोरेशन ने प्राइवेट ट्रेडर्स का माल रख लिया और उनसे किराया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो नहीं कहा, अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल नहीं है...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात कर रहे है। यह मैंने पूछा ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : यह किसकी बातें कर रहे है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब चाहिए...(व्यवधान) यह मैंने नहीं पूछा है।

श्री तैय्यब हुसैन : आपने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की बात पूछी है...(व्यवधान) आप जवाब भी सुनिये...(व्यवधान) आप जवाब सुन लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका फोटो लगाकर के वोट तो ले लिये। लेकिन कैसा बेवकूफ बनाया है जनता को...(व्यवधान) टू दी पाइंट जवाब दीजिये मंत्री महोदय।

श्री तैय्यब हुसैन : तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फिर आपको मुख्य मंत्री भी नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, इन लोगो ने कितनी ज्यादती की है। आप जैसे विद्वान आदमी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदन दिलावर, डिस्टर्ब नहीं...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : बार-बार इस ढंग से डिस्टर्ब करेंगे तो जवाब क्या आ पायेगा।

श्री तैय्यब हुसैन : जवाब तो आ जाने दीजिये...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं सुनना चाहते। खुद के घोषणा-पत्र का तो पता ही नहीं है, हमारे घोषणा-पत्र की पूजा करते है रोजाना...(व्यवधान) हमारा घोषणा पत्र दिख रहा है सब लोगों को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो आपका ध्यान रख रहे है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह काम किया है कि घोषणा-पत्र का मूल्य निर्धारित कर दिया राजनीति में और आप लोगों के हाथ में घोषणा-पत्र पकड़ा दिया। यह 50 साल के इतिहास में पहली बार अशोक गहलोत ने किया है ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : काया पलट कर दी है राजस्थान की। आप पूजा कर लो, रोजाना इसकी पूजा करो।

श्री तैय्यब हुसैन : कटारिया साहब, आप तो सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : हां, सुनायें।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जनता को बेवकूफ कहना मतदाता का अपमान है। यह शब्द वापस लिये जायें...(व्यवधान) जनता को बेवकूफ कहना, मतदाता को बेवकूफ कहना गलत बात है। यह कितने शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी रिप्लाई दे रहे है, बीच में नहीं बार-बार खड़े मत हो, सुन लीजिये...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में पहले 50 पैसे और 60 पैसे रिबेट थी। अब हमने इसको आल फारमर्स को 60 प्रतिशत और आल एस.सी., एस.टी. फारमर्स को 70 परसेंट रिबेट दे दी है। वह जो भण्डारण करा उसमें हमने...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने बाजरे का — (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : अब हमने 60 से 70 कर दिया है...(व्यवधान) आप जरा सुन लीजिये...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसान की फसल एक दाना रखा नहीं, रिबेट कहां से दे रहे हो। आपने बाजरा रखा ही नहीं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मंत्री जी जवाब क्या दे रहे है?

श्री अमराराम (धोद) : रिबेट काहे की दे रहे हो।

श्री तैय्यब हुसैन : कम से कम अच्छी बातों को तो...(व्यवधान) यही किसान के हित में है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इतनी भी समझ नहीं है कि माननीय सदस्य क्या पूछ रहे है, यह किस बात के मंत्री है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे की रिबेट दे दी ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जो पूछें उसका जवाब दिलायें।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमने इस दौरान में 1.76 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ायी है वेयर हाउसिंग में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो हमने पूछा ही नहीं।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं अर्ज करूं आपसे जो बात यहां कही गयी कुछ लोगों को इस तरह का वहम हो कि हम ट्रेडर्स का माल रखते है।

श्री अमराराम (धोद) : आज की बात करो आप तो।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं कर रहा हूं आज की बात।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : आज तक कितना रखा है आपने...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आज की ही बात कर रहा हूं कि आज प्राइवेट ट्रेडर्स का सारा... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : आज का जवाब चाहिए। सहकारिता मंत्री जी का जवाब नहीं चाहिए।

श्री तैय्यब हुसैन : सुन तो लें आप ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या सुनें, फालतू की बातें है...(व्यवधान) जो पूछा है...

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह सुनना नहीं चाहते है। यह सुनना ही नहीं चाहते है हमारी बात को...(व्यवधान) फायदा क्या है ?

श्री अमराराम (धोद) : आज की बात करें। 8 तारीख को मंत्री जी ने कहा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बहुत बुद्धिमान समझते हो...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : आज हम ट्रेडर्स...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, हरियाणा नहीं हैं, राजस्थान है। वहां तो लोग बेवकूफ बन जाते होंगे, राजस्थान के लोग बेवकूफ नहीं बनते।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय सदस्य, मैं तो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : टू दी पाइंट और टू दी फैक्ट्स।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : टू दी पाइंट, जो पूछा गया है, टू दी पाइंट जवाब दीजिये... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह किस भाषा का प्रयोग कर रहे है? इन्होंने गलत शब्द प्रयोग किया है सदन के अन्दर, इसको एक्सपंज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं यानि प्राइवेट ट्रेडर्स के पास सिर्फ 8.25 परसेंट माल है, बाकी का 88 परसेंट.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे बचाओ आप, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जब मैंने यह सवाल किया ही नहीं, ना मेरे मूल प्रश्न में है, ना ही मैंने सप्लीमेंट्री की है, कहां ले आये वेयर हाउस पर। मैंने पूछा कि पहला प्राकृतिक आपदा का मुआवजा देने की घोषणा आपने की उसको कब तक लागू कर रहे है।

श्री तैय्यब हुसैन : आपने वेयर हाउसिंग की बात कही है ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 75 परसेंट...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : वेयर हाउसिंग की बात कर रहे है, सुन लीजिये आप...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जो लिख लाये हो...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : कैपेसिटी का कोई प्रोब्लम नहीं है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय जितना आप लिख लाये हो उतना सारा बताने की जरूरत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आपकी बिना इजाजत खड़े हो गये बीच में।

श्री रामस्वरूप : यह बिना इजाजत के बोलने लग जायें...(व्यवधान) यह अनुशासन नहीं रखते है सदन के अन्दर। मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते है यह, खाली हल्ला मचाना चाहते है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, राठौड़ साहब।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि यह इम्पोर्टेंट मसला है। अध्यक्ष महोदय, आज तक, 21.11.2000 तक ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह खड़े हो गये। यह + + + बना रखी है सदन को इन लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बैठिये...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मन में आये जो करते रहते है, सरकार को सुनना नहीं चाहते है यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री रामस्वरूप : घोषणा-पत्र की रोजाना पूजा करते है।

एक माननीय सदस्य : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आज तक यानि 21.11.2000 तक जो बाजरा प्रोक्योर किया गया है 7109 मीट्रिक टन है और रिजेक्शन किया है 2619 मीट्रिक टन, जिसका नतीजा यह है कि राजस्थान के किसानों के साथ बहुत भेदभावपूर्ण बरताव किया जा रहा है और यह एफ.सी.आई. जानबूझकर रिजेक्शन कर रही है। यह किसके इशारे पर कर रही है यह आप अंदाज लगा सकते है। और इस सिलसिले में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न को एक बार आप पढ़ लें, मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो-जो घोषणाएं की उनको लागू कर रहे है कि नहीं कर रहे है ?

श्री अध्यक्ष : आपका मूल प्रश्न, राठौड़ साहब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कहां जा रहे है, आप पढ़ लें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका मूल प्रश्न पढ़ लिया है।

श्री राजेंद्र राठौड़ : पढ़ लिया तो आप मेरे साथ न्याय करोगे, मुझे उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष : पशुपालन और किसान की हैडिंग, चार और दस...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसका उत्तर दिला दीजिए, बस इतनी सी बात है।

श्री अध्यक्ष : इस बात के ऊपर नहीं। मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहा हूं क्योंकि उस पर मेरा भी फोटो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 23.10.01 को लैटर लिखा, कैपेसिटी की जो बात कही कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। खुद मि. वी. के. देव वर्मा, जोइंट सेक्रेटरी, दो लाइन में, आपके उन सवालों का भी जवाब दूंगा जिनका आप चाह रहे है, तसल्ली रखिये। ज्यादा नहीं मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कह रहा हूं। उसमें लिखा है, "Around 70,000 metric ton of vacant space is available with the State Government and 60,000 metric ton with the F.C.I. Another 40,000 metric ton space will be created when P.D.S. stocks are lifted in the next two months. However, F.C.I. has been suitably advised to hire private godowns....." F.C.I. has been directed to hire private godowns.

Smt. Sumitra Singh : By whom?

Shri Tayyab Husain : "..... wherever necessary, movement of wheat out of Rajasthan will be expedited and wheat removed from Punjab and Haryana will not be stored in covered storage in Rajasthan." तो स्पेस की न कल प्रोब्लम थी, न आज कोई प्रोब्लम है। मैं यह कहता हूं

(श्री तैय्यब हुसैन)

कि एफ.सी.आई. की बदनीयती है कि हमारे राजस्थान के किसानों के माल को खराब कह रही है और वह कह रहे है कि आज तक कुल 8 हजार मीट्रिक टन भी प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। किसान माल लाता है और उसको कह देते है एफ.सी.आई. के इन्सपेक्टर कि, रिजैक्ट। इस पर आप तवज्जो दीजिए। यह आज का बर्निंग टोपिक है और उस पर हम आपका सहयोग चाहते है। इसमें जो कुछ हो रहा है उससे हमारे साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि हमने उन्हें लिखा कि जब आप हरियाणा, पंजाब के बारे में नोर्म्स में रिलेक्स कर सकते है, और नोर्म्स कब के है? जब देशी बाजरा बोया जाता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब लिखा यह बता दो आप। कितनी तारीख को लिखा? जब आप इतनी जोर से बोल रहे है तो, मुख्य मंत्री जी ने यह चिट्ठी कितनी तारीख को लिखी, यह बता दें। (व्यवधान) तीन दिन पहले चिट्ठी लिखी है।

श्री तैय्यब हुसैन : नोर्म्स को रिलैक्स करें। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा को जब वे पिछले साल से रिलेक्सेशन देते आ रहे है तो हमारे राजस्थान के किसानों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों हो रहा है। इसमें आप लोगों को सहयोग करना चाहिए हमारे साथ में कि हम उसमें कुछ कर सकें और हमारे साथ जो परेशानी है उससे राजस्थान के किसानों को बचाया जा सके। वरना किसान जो माल लाता है उससे कह दिया जाता है कि नहीं लेते है, फिर व्यापारी खड़ा होकर कहता है कि आपका माल रिजैक्ट हो गया, आप हमें कम भाव में दीजिए। इस तरह की जो हालत है बुनियादी तौर पर—

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया, उसका जवाब कहां मिला? लम्बी-चौड़ी बात कर रहे है।

श्री तैय्यब हुसैन : कह तो रहा हूं, सुन लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ीलाल जी, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये बीस मिनट से बोल रहे है। आप बीस मिनट से बोल रहे है, अब आप बैठो।

श्री तैय्यब हुसैन : अब आप सुनिये। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप जरा आराम से सुनिये, देखिये हमने—

श्री अध्यक्ष : सब लिए हुए बैठे है। ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो रिप्लाई भी तो लम्बी होगी। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : इस तरह से मैंने अर्ज किया कि किसानों की जो बुरी हालत हो रही है यहां, माल लाते है उसको वापस ले जाते है। दूसरा आपने कहा—(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : इस सरकार ने किसानों को लूटा है।

श्री तैय्यब हुसैन : प्राकृतिक प्रकोप के बारे में—(व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : लूटा है दिल्ली की सरकार ने। किसानों को दिल्ली की सरकार ने लूटा है।

श्री तैय्यब हुसैन : हमने बड़ा स्पष्ट सारा कर दिया है बीमा के बारे में। शुरू से ही जब यह मसला आया तो हमने कहा कि पहले सी.सी.आई. क्रोप्स की जो स्कीम थी उसमें 33 प्रतिशत था, इसमें रिवाइज करके 50 प्रतिशत कर दिया तो उस पर हमने इमीजिएटली लिखा.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा पत्र में लिख रहे थे तब नहीं दिख रहा था आपको? घोषणा पत्र बना रहे थे तब नहीं दिख रहा था?

श्री तैय्यब हुसैन : घोषणा पत्र की आपको क्या चिन्ता है। यह हम जाने और जनता जाने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नहीं जानेंगे, हम जानेंगे।

श्री तैय्यब हुसैन : आप हमारे जमानती कहां से आए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नहीं, जानेंगे, हम जानेंगे।

श्री तैय्यब हुसैन : आप हमारे जमानती कहां से आ गए बीच में। (व्यवधान) आप कोई हमारे जमानती नहीं है। जनता से हमारा सीधा सम्पर्क है। आगे भी वक्त आयेगा, जनता आपको रिजेक्ट करेगी। आप जमानती नहीं है हमारे घोषणा पत्र के।

श्री अमराराम (धोद) : हम जनता की बात कर रहे है, आप भारत सरकार की बात कर रहे हो। जनता यह पूछ रही है आपसे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मतलब आपका यह है कि घोषणा पत्र केवल आपने जनता को धोखा देने के लिए बनाया था।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : जनता को धोखा नहीं दिया है। घोषणा पत्र में एक-एक को देख लीजिए। उस पर सरकार अमल कर रही है। यह घोषणा भी इसी में है। इस घोषणा पत्र के आधार पर इस सरकार ने पहली बार विश्वास जनता में कायम किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता इन बातों को, घोषणा पत्र को यह समझ कर कि आने वाली सरकार यह करेगी....

श्री रतन लाल ताम्बी : घोषणा पत्र का एक-एक शब्द याद करना पड़ रहा है आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता ने आपको चुना है।

श्री रामस्वरूप : राम मंदिर नहीं बना, राम मन्दिर की आपने घोषणा की, कहां गया राम मन्दिर? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको उसका पालन करने के लिए चुना है या तो आप यह कह दो कि घोषणा पत्र जनता को धोखा देने के लिए बनाया था, उसका पालन करने के लिए नहीं बनाया था।

श्री रतन लाल ताम्बी : घोषणा पत्र को आप बार-बार लहरा रहे हो। घोषणा पत्र का पालन आपकी पार्टी ने नहीं किया। भारत सरकार ने नहीं किया, आपकी पार्टी ने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुना दूंगा, मुझे मालूम है।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : पांच साल का कार्यक्रम है इसलिए एक दिन के अन्दर पूरा करने की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की थी। पांच साल के अन्दर पूरा करना है। (व्यवधान) कांग्रेस घोषणा पत्र को लागू कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, हम डीजल सस्ता कर देंगे, तेल के भाव कम कर देंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार ने भ्रष्टाचार खतम करने को कहा है, वोट जनता ने दिया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कसम राम की खाते है, मन्दिर वहीं बनाएंगे। कहां बना आपका मन्दिर ?(व्यवधान) कहां गई कसम ? आपकी पार्टी ने धोखा दिया है। (व्यवधान) मन्दिर कहां बनाया आपने ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : घोषणा पत्र में कहा है नौकरी देंगे। भ्रष्टाचार खतम कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देवीलालजी, बैठिये। देवीलालजी, सभी सुन रह है आपकी बात को।

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, इनके घोषणा पत्र में कोई बात नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो लिखा है, वह पढ़ रहे हो। आप अपनी बात बताओ न।

श्री अध्यक्ष : देवीलाल जी, बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने घोषणा पत्र में फसल बीमा लागू करने की घोषणा की है। तीन साल के बाद, 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का, केन्द्र सरकार की यह योजना कई राज्यों मे लागू है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से वायदा करने के बाद भी, तीन साल के बाद भी लागू नहीं किया। केवल केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, यह कहकर राजस्थान के किसानों के साथ विश्वासघात किया है या नहीं ?

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्वालिटी में रिलेक्सेशन के लिए आठ तारीख के बाद राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए ? बाजरे की खरीद में राज्य सरकार ने गिरदावरी और तहसीलदार से टोकन लेने और केवल एक बीघा में 15 किलो खरीदने का प्रतिबन्ध लागू किया है उससे एक लाख टन जो हिन्दुस्तान की सरकार ने एफ. सी. आई. के माध्यम से खरीदने का टार्गेट घोषित किया था, वह भी अभी 22 दिन में केवल 7 हजार मीट्रिक टन ही खरीदा जा सका है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि अबकी बार एक बीघा में तीन क्विंटल बाजरा पैदा हुआ है उसमें से केवल 15 किलो बाजरा लेने, गिरदावर और पटवारी के पास टोकन लेने की बात से किसान वहीं से वापस लौट रहा है....

श्री अध्यक्ष : शोर्ट में क्वेश्चन पूछिये।

श्री अमराराम (धोद) : 80 प्रतिशत किसान सीमान्त और लघु कृषक है, उनके एक क्विंटल और ढाई क्विंटल किसी की उपज है, उन पर आपने गिरदावर से प्रमाण पत्र लेने और 15 किलो खरीदने का प्रतिबन्ध लगाया है इसलिए 80 प्रतिशत किसान पटवारी से मिलकर ही वापस चले गए। दूसरा, जो आप क्वालिटी के नाम से सलेक्ट कर रहे है—

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले। उनका क्वेश्चन आने दीजिए, उसका रिप्लाई आने दीजिए। आप बीच में कहां खड़े हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : जो खरीद राजस्थान की हो रही है तो यह दो चीजें आप बताएंगे फसल बीमा लागू नहीं करके आपने विश्वासघात किया है और जो केन्द्र सरकार ने बाजरा पूरा नहीं खरीद कर—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब शार्ट में दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : गिरदावरी और क्वांटिटी 15 किलो से खरीदने के लिए तो यह भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा भाषण मत कीजिए, आधा घंटा हो गया है। (व्यवधान) आप रिप्लाई दीजिए। एक-एक की रिप्लाई दी जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोच–समझकर आए हो वह मुझे दिख रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : हम लोग कुछ भी सोच-समझ कर नहीं आये है। रोज ही सोच समझ कर आते है।

श्री अध्यक्ष : एक-एक रिप्लाई दीजिए। कंफ्यूज हो जाएंगे।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना बिलकुल सही नहीं है—

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, शक की सुई हमारी तरफ मत घुमाइए।

श्री तैय्यब हुसैन : यह कहना बिलकुल सही नहीं है। हमने कोई किसान के साथ विश्वासघात नहीं किया है। हमने उसी दिन से कहा और हमने कहा कि जो हमारे स्टेट की परिस्थिति है उसमें इसको कम से कम 80 और 20 के रेशो में मुकर्रर किया जाए और आज तक भी उस खत का जवाब नहीं आया। हम लगातार रिमाइंडर दे रहे है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने—

डा. किरोड़ी लाल : इसका मतलब आपका मन साफ नहीं है।

श्री तैय्यब हुसैन : आप सुनिए जरा बात। आपकी सुन रहे है, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे है। आप बात तो सुनिए। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो फसल बीमा किया है 50-50 प्रतिशत की हिस्सा राशि दी गई है। (व्यवधान) आप 80 व 20 कैसे कह रहे हो। (व्यवधान) अन्य स्टेटों में लागू है और आपके स्टेट में लागू नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 50-50 की बीमा योजना ये लागू करना चाहते है।

श्री अध्यक्ष : दे रहे है मिनिस्टर रिप्लाई।

श्री मानिक चन्द सुराना : अगर आप नहीं लागू करना चाहते हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लागू नहीं करना चाहते है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच प्रान्तों में 50-50 की फसल बीमा योजना लागू है। कर्नाटक में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है। (व्यवधान) आप कह रहे हो 80 प्रतिशत केन्द्र दे। अन्य राज्यों में लागू है तो यहां क्यों नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसमें एक प्रकार का अवरोध पैदा कर दिया है। केन्द्र सरकार 80 दे, यह षड्यंत्र है और 20 प्रतिशत राज्य सरकार दे। और स्टेट कैसे दे रहे है?(व्यवधान) क्या उनकी स्थिति नहीं है क्या?(व्यवधान) फसल बीमा के नाम पर आपने घोषणा पत्र में कहा है। किसानों के साथ सरासर धोखा कर रहे है आप।

श्री तैय्यब हुसैन : जवाब तो सुनें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और स्टेट में लागू कैसे की, आप क्यों नहीं कर रहे है ?

श्री मदन दिलावर : यह सरकार कब तक भीख मांगती रहेगी। (व्यवधान) सरकार जनता की भलाई के काम भी करेगी या भीख ही मांगती रहेगी ?

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लैटर हमने लिख दिया है, हमने प्रार्थना की है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 50 प्रतिशत वाली फसल बीमा योजना आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, हमें इस बात का उत्तर चाहिए। (व्यवधान) यह योजना 5-5 प्रान्तों में लागू है।

श्री तैय्यब हुसैन : पहले सुनिए। (व्यवधान) आप फैक्ट्स को भी नहीं सुनना चाहते।

श्री मानिक चन्द सुराना : उस योजना को तो लागू करिये। आपकी 80 पर्सेंट 20 पर्सेंट की बात भारत सरकार माने या न माने।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) यह आपका पांचवां व्यवधान है। बार-बार खड़े हो जाते हों। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अनेक प्रान्तों में 50-50 की योजना लागू है, गुजरात में बड़े पैमाने पर लागू है, कर्नाटक में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, पांच प्रान्तों में जो चीज लागू है...(व्यवधान) आपके पत्र का जवाब भारत सरकार यदि दो साल नहीं देगी या अगर उसके अनुरूप निर्णय नहीं करेगी तो आपने कहां लिखा है भारत सरकार मानेगी तो फसल बीमा योजना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुराणा जी।

श्री तैय्यब हुसैन : आप सुनने की कोशिश कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने स्पष्ट लिखा है घोषणा पत्र में कि फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, सुने तो सही, लूणकरणकर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सुराना जी, बैठिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आज तीन साल गुजर गये, आज तक 50-50 वाली बात लागू नहीं की है और लागू करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सुराना जी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : संशोधित नहीं होगी तो लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह आप बता दें।

श्री हीरासिंह चौहान : इसका निर्णय करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह दो जगह का निर्णय है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के हजारों-हजारों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है यह।

श्री अध्यक्ष : अनुशासन में रहे। (व्यवधान) और भी बैठे है, बार-बार खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले में हम शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं और हमने केन्द्र सरकार को लिखा है और 14 सितम्बर, 2000 को मीटिंग हुई थी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या लिखा है ?

श्री तैय्यब हुसैन : हमने यह लिखा है इसको 80 और 20 में कीजिए। (व्यवधान) उस वक्त केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि यह मामला विचाराधीन है, उन्होंने ना नहीं की अभी। फिर चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में, जो माननीय प्रधानमंत्रीजी ने बुलायी थी, यही बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 21 मई को दिल्ली में कही थी और सारी डिटेल में वह बात कही गई है। हम रिमाइंडर दे रहे हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया को। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अभी वे अण्डर कंसीडरेशन की बात कह रहे है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर बैठूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। (व्यवधान) मैंने प्रश्न यह किया था कि आप जैसे दबंग किसान नेता की फोटो छापकर घोषणा-पत्र में जो इन्होंने वायदा किया था, प्राकृतिक आपदा में किसान को उचित मुआवजा देंगे। अगर नहीं देंगे तो हां-ना में जवाब दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे तो यही जवाब चाहिए, मुझे और जवाब नहीं चाहिए। आपके फोटो के साथ इन्होंने जो वायदा किया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी सुनिए। मैं कह रहा हूं। मेरे नाम का आप उल्लेख मत कीजिए। जिसकी फोटो छपी है वह कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता था और आज जो बैठा हुआ है वह स्पीकर है। आज दूसरी हैसियत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया है।

डा. किरोड़ी लाल : आपका फोटो तो है साहब। आपके फोटो से वोट दे दिये। आपका फोटो देखकर किसानों ने वोट दे दिये। फोटो तो आपका था। (व्यवधान) प्राकृतिक आपदा का पैसा आपने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस पार्टी में इतना दम है तो बिना परसराम जी मदेरणा के मैदान में आकर देखे। आपके बिना मैदान में आये तो इनको धूल चटाकर दिखाएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था...(व्यवधान) आप यह बता दें किसान को उचित मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि फसल के भण्डार को रहन रखने पर 75 पर्सेंट राशि तुरन्त लेने के लिए जो इन्होंने प्रावधान किया, वह देंगे या नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी सुंदर फोटो और इतना असत्य वायदा।

श्री अमराराम (धोद) : हमने तो स्पेसिफिक सवाल पूछा है उन दोनों के जवाब तो आये, अध्यक्ष महोदय। वह जवाब तो आये। जवाब मंत्री जी ने दिया नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : किसानों को धोखा देने वालों, किसानों को ठगने वालों, किसानों को बेवकूफ बनाने वालों, किसानों के साथ चीटिंग करने वालों को सजा टोंक की जनता, हिण्डौली की जनता, लूणकरणसर की जनता ने दे दी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जनता जाने और हम जाने। जनता ने तो जवाब दे दिया है। (व्यवधान) किसानों को ठगने वालों, किसानों को बेवकूफ बनाने वालों, किसानों से चीटिंग करने वालों, किसानों पर धौंस रखने वालों, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को जनता ने बराबर जवाब दे दिया है, टोंक में, हिण्डौली में, लूणकरणसर में।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा का जवाब दिलाइए इनसे। फसल बीमा का जवाब दिलाइए।

श्री अध्यक्ष : अभी ठहर जाइए। अमराराम जी का जवाब दे दीजिए।

श्री तैय्यब हुसैन : जी जनाब। मैंने जैसा अर्ज किया हमने फसल बीमा के बारे में कोई विश्वासघात नहीं किया है। हमारी मान्यताएं है और हम कर रहे है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित मामले है ये केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर तय होंगे। दूसरा यह है कि इन्होंने कहा कि आपने कब लिखा। हमने 9 नवम्बर को चिट्ठी लिखी और उनको यह लिखा कि एफ.सी.आई. फ्लम्सी ग्राउंड्स पर रिजेक्शन कर रहा है और उसका फिर रिमाइंडर हमने 17 तारीख को भेजा है। यही बात इन्होंने पूछी थी, हम लगातार इसको परश्यू कर रहे है। इस तरह से किसानों का जो माल फ्लम्सी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा रहा है वह नहीं किया जाए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी और...

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है गिरदावरी और क्वांटिटी का।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आ गया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रमुख तो उसी से है, 80 प्रतिशत किसान नहीं आ रहा।

श्री तैय्यब हुसैन : केन्द्र सरकार ने कह दिया कि एक लाख टन खरीदेंगे तो उसके लिए कोई प्रोसिजर तो बनाना था।

श्री अमराराम (धोद) : केन्द्र सरकार ने यह नहीं लागू किया। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने यह लागू नहीं किया है कि गिरदावरी होगी, एक बीघा में 15 किलो होगा या राज्य सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है। यह केन्द्र सरकार ने कहीं नहीं लगाया।

श्री तैय्यब हुसैन : यह राइडर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। राज्य सरकार ने नहीं लगाया है।

श्री अमराराम (धोद) : तो उत्तर दीजिए कि एक बीघा में 15 किलो और गिरदावरी यहां लानी पड़ेगी।

श्री तैय्यब हुसैन : यह राइडर भी केन्द्रीय सरकार ने लगाया है।

श्री अमराराम (धोद) : आपको तहसीलदार से टोकन लेना पड़ेगा। कहीं केन्द्र सरकार या एफ.सी.आई. ने नहीं लगाया है यह।

श्री तैय्यब हुसैन : यह हमने नहीं लगाया है।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की सरकार ने लगाया है जिसमें गरीब किसान, सीमान्त और लघु 80 प्रतिशत कृषक हैं। एक भी विक्रय में नहीं आया। आप अध्यक्ष महोदय, निकलवाइए। जितना बाजरा, सात हजार मीट्रिक टन खरीदा गया है वह बाजरा भी केवल धनी किसानों का खरीदा गया है।

श्री अध्यक्ष : आप यह पहले कह चुके हैं। यह सब बात आप पहले कह चुके हैं। सब प्रश्न पूछ चुके हैं पहले और उसी का वे जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जब गिरदावरी—

श्री अध्यक्ष : उसी का जवाब दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : 80 प्रतिशत गरीब किसान तो—(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सात हजार मीट्रिक टन खरीदा गया है—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसानों का क्या हुआ। मेरा मूल प्रश्न कांग्रेस के घोषणा पत्र से सम्बन्धित था, उसका क्या हुआ?

श्री अमराराम (धोद) : यह बाजरा तो केवल धनी किसानों का खरीदा गया है। गरीब किसान का नहीं खरीदा जा रहा है क्योंकि 15 किलो से 75 किलो, डेढ़ क्विंटल, डेढ़ क्विंटल कौन लेकर आएगा। 80 प्रतिशत जो गरीब किसान है, जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए उसमें एक को भी नहीं मिला। यह गिरदावरी और क्वांटिटी आपने की है, राजस्थान सरकार ने की है। मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार के साथ राज्य

(श्री अमराराम)

सरकार भी मिलकर किसानों के साथ गद्दारी कर रही है। यह रेस्ट्रिक्शन आपने लगाया।

श्री तैय्यब हुसैन : केन्द्रीय सरकार को कहें, आप हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो। यह तो केन्द्रीय सरकार कर रही है।

श्री अमराराम (धोद) : आप इसको रिलेक्स करना चाहते है या नहीं करना चाहते है? अगर रिलेक्स नहीं करेंगे तो एक लाख मीट्रिक टन भी नहीं खरीदा जाएगा जिसमें से 20 दिन के अंदर केवल सात हजार मीट्रिक टन है। यह सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान के किसान के लिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 80 प्रतिशत किसान जो लघु और सीमान्त है उनसे एक किलो बाजरा भी नहीं खरीदा जा रहा है, सबसे बड़े दुःख की बात है यह। जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। जब तक यह रेस्ट्रिक्शन आप नहीं हटाएंगे गिरदावरी का और क्वांटिटी का तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इसका उत्तर भी आप दें। यह प्रश्न राज्य सरकार का है, केन्द्र सरकार ने कहीं यह नहीं लगाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। यह कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस घोषणा पत्र के पेज नं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय मेरा तो उत्तर दिलवा दें। यह रेस्ट्रिक्शन 15 किलो का हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। यह 15 किलो का नहीं हटाएंगे तो यह एक लाख मीट्रिक टन भी नहीं खरीदा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमराराम जी, आज आपका प्रश्न बाजरे के परचेज के संबंध में है और पर्ची पर आज बोल लेना आप।

श्री अमराराम (धोद) : पर्ची नहीं, मंत्री जी दे रहे थे जवाब, रिलेक्सेशन जो राज्य सरकार को करना है। एक लाख मीट्रिक टन तो उसमें हो। (व्यवधान) सवाल यह है, बात एक ही है मगर जो पर्ची है अगर सरकार रिलेक्सेशन कर देती है तो मुझे पर्ची पर काहे को बोलना है? मेरे को तो पर्ची पर इसलिए बोलना है कि 80 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसान है उनके बाजरे को नहीं खरीदा जा रहा है इसलिए मैंने पर्ची दी है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बोल लेना।

श्री अमराराम (धोद) : अगर मंत्री जी अभी रिलेक्स कर देते है तो मेरे को पर्ची पर नहीं बोलना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री जी जवाब दे देंगे तब और पूछ लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि इस पर फोटो आपका प्रतिपक्ष के नेता के नाते छपा है, मुख्य मंत्रीजी का कांग्रेस अध्यक्ष के नाते छपा है, सवाल यह है कि लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया। और इस कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नम्बर 18 पर यह लिखा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह पंचमढ़ी में भी आपका विचार मंथन शिविर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

शुरू हुआ 4,5,6 सितम्बर को। और उसमें भी यह चीज तय हुई कि इस देश के और इस प्रदेश के बहुसंख्यक लोग किसान हैं और किसान को राहत मिलनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से केवल यह जानना चाहता हूं कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा और आपने पंचमढ़ी शिविर में भी कहा कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, फसल बीमा योजना लागू करेंगे और प्राकृतिक आपदाओं से जो किसान की फसल खराब होगी उसको मुआवजा दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पजांब, कर्नाटक और दूसरे राज्यों में मिल रहा है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि आप इस कृषि को उद्योग का दर्जा कब तक दे देंगे, फसल बीमा योजना कब तक लागू कर देंगे और किसान की आये दिन प्राकृतिक आपदाओं से, जो फसल खराब होती है उसको मुआवजा देने का प्रावधान कब तक कर लेंगे। यह स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बार बार कह चुका हूं, लिखित में भी दे दिया है, वैसे भी कर लिया है कि यह सारी हमारी मान्यताएं हैं, हमारा यह है लेकिन जो मामलात है, ये तीनों के तीनों ऐसे मामलात हैं, जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित है तो आप सब को सहयोग करना चाहिए। और केन्द्रीय सरकार इसमें सहयोग करे ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने यह वायदा किया था। आप कब तक कर देंगे ?

श्री तैय्यब हुसैन : आप इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तीन साल का समय निकल गया, दो साल का समय शेष बच रहा है। क्या आप इसी घोषणा पत्र को पूरा नहीं करेंगे ?

श्री मानिक चन्द सुराना : यह घोषणा पत्र भारत सरकार के द्वारा आपकी अनुमति पर आधारित है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तीन साल पूरे हो गये। आप तो यह बताओ तीन साल में आपने कृषि को उद्योग का दर्जा देने और फसल बीमा लागू करने के लिए क्या प्रयास किये ? यह बताओ और कब तक लागू कर देंगे ? इस प्रदेश का किसान कब तक आपकी तरफ झांकता रहेगा, यह बताओ आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों की दुश्मन है कांग्रेस सरकार।

श्री तैय्यब हुसैन : यह घोषणा पत्र हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको पूरा करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और किसानों की दुश्मन है कांग्रेस सरकार।

श्री तैय्यब हुसैन : इसमे बहुत सारे प्रयास हमने किये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों को ठग रही है कांग्रेस सरकार।

श्री तैय्यब हुसैन : और ऐसा ही नहीं है, हमारे मुख्य मंत्रीजी लगातार प्रयास कर रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : यह क्या तरीका है? एक एक वक्ता बोल सकता है लेकिन हरेक को हरेक प्रश्न पर सवाल पूछने का अधिकार दिया है क्या? यह क्या मतलब है?(व्यवधान) घोषणा पत्र, घोषणा पत्र आपने क्या घोषणा पत्र किया था? सारे हाउस को मजाक बना रखा है। (व्यवधान) यह क्या तरीका है?

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका जवाब देगी सरकार तीन साल में आपने क्या किया? क्या आप दुबारा किसानों को फिर इसी घोषणा पत्र से बेवकूफ बनाना चाहते है? कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे? आज किसान बरबाद हो रहा है, अकाल तीन साल से पड़ रहा है, किसानों के खाने के लिए दाना नहीं है और आप तो रोज फोटो छपा रहे हो। आप कब तक फसल बीमा योजना लागू करेंगे और कृषि को उद्योग का दर्जा दे दोगे, यह बताओ आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों की दुश्मन है यह सरकार। किसानों के लिए ढोंग करने वाली है यह सरकार। (व्यवधान) किसानों को ठगने वाली है यह सरकार।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : डीजल के भाव किसने बढ़ाये? किसानों को बरबाद किसने किया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह ठगने के अलावा कुछ नही करेंगे।

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल के भाव बढ़ाकर किसानों को बरबाद किसने किया है?

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार डीजल के भाव बढ़ाने वाली सरकार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को आधार बनाकर चर्चा प्रारम्भ हुई है। यह प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है और मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि कांग्रेस सरकार ने साहस किया है मेनिफेस्टो को केबिनेट में अप्रूव करके, यह एक कार्य योजना का अंग होगा। इसके मायने यह है कि हमारी प्रतिबद्धता हो गयी चुनाव घोषणा पत्र को, चुनाव जीतने के बाद में भी जो आज तक कभी नहीं होती थी। आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद में कोई सरकार आती है वह उन घोषणा पत्रों को भूल जाती थी और विपक्ष भी भूल जाता था, खाली चुनाव नैक्स्ट आते थे तब चर्चा होती थी। एक अच्छी शुरूआत हुई है और मुझे कोई एतराज नहीं है कि तमाम लोग अपनी जेब में या ब्रीफकेस में घोषणा पत्र लेकर आये हैं। उसके आधार पर सवाल जवाब करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उसको तो हम पूरा करा रहे है, इनको चिन्ता ही नहीं है। बताओ किसके पास है?(व्यवधान) एक के पास भी नहीं है, एक के पास भी नहीं है। किसी के पास नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमको सब याद है।

श्री ललित भाटी : हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको कंठस्थ याद है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बताओ किसके पास है ?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उससे सत्ता पक्ष की जवाबदेही बढ़ेगी, जब आप घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों के आधार पर बात करेंगे तो मुझे मेरे मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को, तमाम साथियों को कम से कम यह आभास भी बढ़ेगा कि घोषणा पत्र हमने लिखा है उसमें अब तक कौनसा काम हुआ, कौनसा काम नहीं हुआ। कोई एतराज नहीं है इस बात का, लेकिन यह भी कोई सरकार वायदा नहीं कर सकती कि हम हण्डरेड परसेंट काम पूरे कर ही देंगे। हमारा प्रयास है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप बिन्दुवार जाएंगे, अगर पोस्टमार्टम करेंगे घोषणा पत्र का तो पांएगे कि अधिकांश मांगें हमने पूरी कर ली हैं और जो बाकी बच गयी है थोड़ी, उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको टोकना नहीं चाहता लेकिन एक दिन इसी पर बहस हो जाय। एक दिन आपके घोषणा पत्र पर ही बहस हो जाय। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : आप सुनने का साहस रखो।

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाओ, बात सुनें आप।

श्री रामस्वरूप : हम तो आपके नेता जी को भी सुनते हैं।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय 45 मिनट्स तक हमने हमारे विपक्ष के साथियों की बातों को सुना है, बरदाश्त किया है तो कम से कम कुछ मैं बोलूं उसको आप सुनने का माद्दा रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहस कर लो न घोषणा पत्र पर।

श्री अशोक गहलोत : मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज बाजरे का इश्यू जो है, अमराराम जी ने कहा, माहिर आजाद साहब ने कहा, आप लोगों ने कहा।

श्री मानिक चन्द सुराना : पहले फसल बीमा की बात बता दीजिए। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा चल रही है सदन में। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : फसल बीमा जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में लागू हो रही है उसको राजस्थान में लागू करेंगे? या नहीं करेंगे, यह बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फसल बीमा की बात तो बता दो।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अपना अनुभव है, मैंने देखा है दिल्ली के अन्दर भी, जब कभी कोई सवाल आता है राज्य के बारे में, राज्यों के हितों को लेकर सवाल आता है तो मैंने दिल्ली में भी देखा है। मैं भी पांच बार मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, 20 साल तक दिल्ली में रहा हूं। मैंने देखा है कि यहां तमाम पार्टियों के एम.पीज. चाहे कोई भी पार्टी के हों, तमाम मिलकर

(श्री अशोक गहलोत)

प्राइम मिनिस्टर के पास जाते है अपने स्टेट की पैरवी करने के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर बहस करके खाली किसानों का पेट नहीं भरने वाला है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने एक तरफ पंजाब को बिफोर लास्ट ईयर एक झटके में 350 करोड़ की मदद की, धान खरीदने के लिए, गेहूं की क्वालिटी घटिया थी, एफ.ए.क्यू. जिसको कहते है फेयर एवरेज प्राइस वह कम होते हुए भी उन्होंने एक झटके में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये देकर धान की खरीद करवाई, अब भी आपको आश्चर्य होगा एक तरफ एक करोड़ दस लाख टन धान खरीदने के आदेश दिये गये है। 1,500 करोड़ रुपये उसके अन्दर लगेंगे। उसमें भी एफ.ए.क्यू. की बात करें तो क्वालिटी घटिया है उसके बाद भी खरीदा जा रहा है क्योंकि वहां पंजाब में चुनाव आ रहे है। वह सरकार उनके साथ में मिली हुई है। (व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान) राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान) उनको सलाह दे दीजिये।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आप बैठिये। उनको आप बिठाइये। आप नीचे बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ... अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा पत्र में बिजली और...(व्यवधान) किसान फसल बीमा का बताइये।

श्री रतन लाल ताम्बी : कह रहे है, सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, विषय को इधर-उधर मत ले जाओ। आप सदन के नेता है इस नाते हम सब के नेता है। हमारा यह सवाल था कि आप अपनी घोषणा के अनुसार फसल बीमा योजना लागू करेंगे या नहीं करेंगे ?

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गलत परम्परा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य डाल रहे हैं। अगर सदन के नेता के भाषण में टोका-टाकी की गई तो हम आपके एक सदस्य को नहीं बोलने देंगे। आपके नेता को भी नहीं बोलने देंगे।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के सदस्यों से, कि यह ऐसा मामला है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...कैसा मामला है मालूम है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : यह ऐसा मामला है उसमें हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर कैसे हम केन्द्र से अधिक से अधिक राज्य के हित के फैसले करवा सकें। (व्यवधान) मेरी बात सुनें आप। बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे सवाल का उत्तर दो न।

श्री अशोक गहलोत : एक तरफ 1.10 लाख टन अनाज खरीदा जा रहा है। राजस्थान के दूसरे राज्यों से खरीदा जा रहा है। (व्यवधान) किया जा रहा है ज्यादातर फैसलों में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, मैं सही बताऊंगा कि यह सारी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान) बैठ जाओ।

श्री अशोक गहलोत : ... सब को मालूम था कि जो केन्द्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेर करती है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...घोषणा पत्र में से बिजली का किराया बढ़ा दिया। फसल बीमा आप...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : ...आगे आये और हमारी सरकार ने प्रयास किये हम बाजरे को खरीदने के लिए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कृषि को उद्योग का दर्जा और फसल बीमा, दो बातें।

श्री अशोक गहलोत : बैठिये आप। एक तरफ हमने प्रयास किये कि बाजरे को कैसे खरीदा जाये। (व्यवधान) ... और जानबूझ करके राजनीति की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन के नेता केवल आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आज हमने ये जो तीन प्रश्न उठाये हैं इनसे राजस्थान...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उप नेता महोदय, हम आपको नहीं सुनेंगे। हम आपको नहीं सुनेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल तीन प्रश्न। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष के किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलने देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...उसके बारे में आपको क्या कहना है? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) नहीं बोलने देंगे। किसी प्रतिपक्ष के सदस्य को नहीं बोलने देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन के नेता महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आज हमने ये मसले उठाये है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे सवाल के जवाब दें।

डा. महेश जोशी : नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके बारे में बताइये। कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहते है या नहीं? यह बताइये।

डा. महेश जोशी : हम आपको नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसान को लूटने वाली सरकार...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को नहीं बोलने देंगे, नहीं सुनेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जनता से सम्बन्धित है। किसान से सम्बन्धित है। राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी जिससे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रभावित है उस आबादी के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे तीन सवाल हैं, किसान से सम्बन्धित है।

श्री अशोक गहलोत : एक लाख टन बाजरा खरीदने की...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसान से सम्बन्धित है फसल बीमा, किसान से सम्बन्धित है कृषि को उद्योग का दर्जा देना और किसान से सम्बन्धित है फसल के नुकसान की भरपाई करना। यह जो 70-80 प्रतिशत जनता उससे जुड़ी हुई है उसके बारे में आपका घोषणा पत्र मौन क्यों है?

श्री अशोक गहलोत : ...किसान की फसल वो...(व्यवधान) और यह खरीददारी शुरू है उसका लाभ मिले। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...आपकी घोषणा मौन क्यों है, ये सवाल है। 70 प्रतिशत जिससे प्रभावित है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, बैठिये। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...और उसके बारे में अगर आपको वोट लेना था तब आपने ये ऊंची घोषणा करके उस गरीब को क्यों ठगने का काम किया?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...और आज उससे क्यों मुकर रहे हो। सवाल इस बात का है सवाल और बात का नहीं है। हमें तो केवल तीन सवालों का जवाब दे दीजिये आप कृपा करके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...कि फसल बीमा लागू होगी या नहीं होगी राजस्थान में? राजस्थान में कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : हम प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे, अध्यक्ष महोदय। हम नहीं सुनेंगे। यह बहुत बड़ी गलत परम्परा पड़ रही है। हम नहीं सुनेंगे आपको। (व्यवधान) हम नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अकेला ही नहीं...(व्यवधान) यह ऐसे बंद नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह हमारी लंग पावर है। एक घंटे तक भी खड़े हो जाओ तो भी नहीं...(व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनने में दिक्कत आ रही है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया लेकिन राजस्थान के किसान की चिंता समाप्त नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्नकाल तो समाप्त हो जायेगा, लेकिन राजस्थान के किसानों की चिंता तो समाप्त नहीं होगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रश्नकाल तो समाप्त कर देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उसका बाजरा...(व्यवधान) या तो सरकार बाजरे की खरीद की घोषणा करे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाजरे को खरीद नहीं रही सरकार। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्नकाल तो समाप्त हो जायेगा, लेकिन बाजरे को अभी तक नहीं खरीदा जा रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाजरा खुद खरीदो।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक लाख टन बाजरा राजस्थान के किसान से सरकार को खरीदना पड़ेगा, एक लाख टन। (व्यवधान)

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : एक लाख टन बाजरा खरीद कर किसानों को राहत पहुंचाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फसल बीमा योजना सरकार लागू करे अपनी घोषणा के अनुसार। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों की मेडिकल डायरी का मुद्रण

408. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पेंशनरों की मेडिकल डायरी का मुद्रण व वितरण कराने की क्या व्यवस्था है? वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में कितनी डायरियां राजकीय प्रेस से मुद्रित कराई गईं तथा उक्त पर कितना व्यय हुआ और प्रति डायरी कितना व्यय आया तथा कितनी डायरियां विक्रय की गईं उससे कितनी राशि प्राप्त हुई व डायरी की विक्रय दर निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है? क्या पुरानी डायरियों को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा गया? यदि हां, तो क्यों?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

(2) क्या यह सही है कि राजकीय प्रेस में छपाई गई डायरियों के कागज व कवर का स्तर निम्न श्रेणी का है? क्या डायरी पर पेज नम्बर मुद्रित नहीं है तथा पृष्ठ संख्या भी कम है? क्या यदि कोई स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्तर पर, डायरियां मुद्रित करवाकर, रियायती दर या बिना मूल्य पेंशनरों को वितरित करना चाहे, तो न्यासी बोर्ड को कोई एतराज है? क्या उक्त से राजकीय प्रेस का भार भी कम हो जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पूर्व मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये थे कि डायरी के मौजूदा प्रारूप में संशोधन किये जाये? क्या राजस्थान पेंशनर समाज से भी सुझाव मांगे गये थे? यदि हां, तो उक्त बिन्दु पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व कब तक नई डायरियां, कम दर पर उपलब्ध करा दी जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि प्रायः कोषालयों में डायरियां समय पर उपलब्ध नहीं होती? क्या पेंशनरों को मांगने पर डायरियां उपलब्ध हो उसके लिये कोई व्यवस्था है? उक्त मानिटरिंग किसके द्वारा की जाती है और किन-किन कोषागारों में डायरियां उपलब्ध नहीं है?

उत्तर

(1) पेंशनरों की मेडिकल डायरी का मुद्रण व वितरण का कार्य राजकीय मुद्रणालयों द्वारा किया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में क्रमशः 66,215 एवं 37,377 डायरियां मुद्रित कराई गई। जिन पर वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में क्रमशः रुपये 4,92,388 व रुपये 2,92,053/- व्यय हुये। इस प्रकार प्रति डायरी औसत व्यय क्रमशः रुपये 7.44 व 7.81 आया, इन वर्षों में क्रमशः 48,573 व 36,468 डायरियां विक्रय की गईं। इनसे इन वर्षों में क्रमशः रुपये 3,72,484/- व रुपये 2,86,612/- की राशि प्राप्त हुई। राजकीय मुद्रणालय द्वारा डायरियों के मुद्रण पर सामग्री की लागत दर राज्य सरकार के आदेश संख्या प01(7)वित्त/सा.वि.ले/87/11 दिनांक 26.5.1995 एवं प01(10)वित्त/सा.वि.ले/98 दिनांक 6.7.1998 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस लागत दर पर 20 प्रतिशत ओवर हैड चार्जेज तथा लागत दर व ओवर हैड चार्जेज पर 8 प्रतिशत बिक्री कर की गणना की जाती है तथा बिक्री कर की राशि पर 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता है। इनको सम्मिलित करने पर जो राशि आती है उस पर राजकीय मुद्रणालय कोषालयों को डायरियां विक्रय करते हैं। तत्पश्चात् कोषालयों द्वारा डायरियां "लाभ नहीं हानि नहीं" के आधार पर पेंशनर्स को विक्रय की जाती है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुरानी डायरियों को बढ़ी हुई दरों पर नहीं बेचा जाता है।

(2) जी नहीं। डायरियों में प्रयुक्त कागज एवं कवर का स्तर संतोषप्रद है। डायरी में पेज नम्बर मुद्रित नहीं है। पेज नम्बर लिखकर प्रत्येक पृष्ठ पर कोषालय की मोहर लगाई जाती है। डायरी में 36 पेज हैं जो पर्याप्त हैं। मेडिकल डायरियां राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त की जाकर उसी मूल्य पर पेंशनरों को वितरित की जाती है। सामान्यतः सरकारी प्रेस

(वित्त मंत्री)

में डायरियां उपलब्ध होती है। राज्य सरकार मेडिकल डायरियों का मुद्रण एवं वितरण स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने का विचार नहीं रखती।

(3) दिनांक 18.8.2000 को आयोजित न्यासी बोर्ड की बैठक में मेडिकल डायरी के मौजूदा प्रारूप में संशोधन के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। उसके पश्चात् न्यासी बोर्ड के कार्यालय स्तर पर पेंशनर्स समाज के अध्यक्ष के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी। उनसे सुझाव भी प्राप्त हुये हैं जिन्हें न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और न्यासी बोर्ड के निर्णय के उपरान्त ही डायरी के प्रारूप में संशोधन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी नहीं। कोषालयों में सामान्यतया हर समय डायरियां उपलब्ध रहती है और पेंशनरों द्वारा डायरी का शुल्क जमा कराने पर सम्बन्धित कोषाधिकारियों से मेडिकल डायरी प्राप्त की जा सकती है। इस व्यवस्था की मानिटरिंग सम्बन्धित कोषाधिकारियों द्वारा की जाती है, जो आवश्कतानुसार राजकीय मुद्रणालय से डायरियां क्रय कर पेंशनर्स को उपलब्ध कराते है। वर्तमान में राजकीय मुद्रणालय में किसी भी कोषालय का मांग-पत्र पेंडिंग नहीं है। अतः सभी कोषालयों में डायरियां उपलब्ध हैं।

सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन का पुनः स्थिरीकरण

409. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की "प्री 1996", "प्री 1998" के पुनः स्थिरीकरण के अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये? उक्त में से कितनों का पुनः स्थिरीकरण किया जा चुका तथा कितने आक्षेपों के साथ लौटाये गये और प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि कौनसी थी? क्या सरकार उक्त तिथि को बढ़ाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय आदेश क्रमांक एफ.(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 21-3-1998 के पैरा-II के तहत न्यूनतम पेंशन रु. 1275/- निर्धारित की गई है? क्या राज्य के पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन से भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे है? यदि हां, तो क्यों तथा उन्हें न्यूनतम पेंशन किस कारण से दी जा रही है? राज्य में कितने पेंशनर "न्यूनतम पेंशन" से कम पेंशन प्राप्त कर रहे है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पेंशन पुनः स्थिरीकरण के पुराने एवं जटिल प्रकरणों को निपटाने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रक्रिया अपना रखी है? क्या जिला/सम्भागीय व राज्य स्तर पर समीक्षा की जाती है? क्या पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में विचार करेगी?

उत्तर

(1) सेवानिवृत कर्मचारियों के प्री-1996 के पुनः स्थिरीकरण हेतु वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : प.15(2)एफ.डी./नियम/98

(वित्त मंत्री)

दिनांक 21.3.1998 के तहत दिनांक 30.04.2001 तक समस्त कोषालयों में 153252 प्रकरण प्राप्त हुए एवं प्री-1988 के पुनः स्थिरीकरण के पेंशन विभाग में 60059 प्रकरण प्राप्त हुये हैं।

प्री-1996 के 153120 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है तथा 132 प्रकरण निर्धारित प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत न करने के कारण आक्षेपों से लौटाये गये। प्री-1988 के 59006 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 1053 प्रकरण आक्षेपों के कारण से लम्बित रहे है। प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 31.03.2001 थी।

पेंशन पुनः स्थिरीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने हेतु तय तिथि नहीं बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। किन्तु देरी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को गुण-दोष के आधार पर अंतिम तिथि दिनांक 31.3.2001 के पश्चात् भी शिथिलता देकर स्वीकार किया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 21.03.1998 के पैरा-II के तहत न्यूनतम पेंशन रुपये 1275/- प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

पेंशनरों द्वारा पेंशन संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा कई पेंशनरों द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य के कोषाधिकारियों से उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 30.04.2001 तक 1461 पेंशनर न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। (सूची परिशिष्ट-क संलग्न है)

(3) पेंशन पुनः स्थरीकरण के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(2)एफ.डी/नियम/98 एवं एफ.15(5) वित्त/नियम/98 दिनांक क्रमशः 21.03.1998 एवं दिनांक 11.06.1998 के तहत ही कार्यवाही की जाती है।

पेंशन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई व्यवस्था वर्तमान में नही है।

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

पोलीटेक्निक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान

410. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पोलीटेक्निक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त शिक्षकों को वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त शिक्षकों को संशोधित वेतनमान अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति कब तक दे दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पोलीटेक्निक शिक्षकों को दिनांक 1.9.1996 से संशोधित वेतनमान सम्बन्धी आदेश दिनांक 25.10.2001 को जारी कर दिये गए हैं।

(2) प्रश्न के भाग-1 के उत्तर के अनुसार।

(3) प्रश्न के भाग-1 के उत्तर के अनुसार।

पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण

411. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रसारित परिपत्र दिनांक 12-2-1996 व 30-8-1994 एवं 16-2-1994 और दिनांक 18-5-1994 में विस्तृत निर्देशों के साथ पेंशन के निपटारे की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं उदारीकरण किया गया? क्या राजस्थान सेवा पेंशन नियम 1996 जारी किये जाने के बाद भी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया जाता है?

(2) क्या उक्त परिपत्रों की अनुपालना समय पर हो रही है? वर्ष 2001-2002 में किन-किन जिलों में बैठकें समय पर आयोजित की गई तथा किन-किन जिलों में बैठके क्यों आयोजित नहीं की गई? उक्त प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त बैठके समय पर आयोजित करने के लिए 'मानिटरिंग" किस विभाग द्वारा की जाती है? उक्त कार्य के लिए पेंशन विभाग का क्या उत्तरदायित्व है?

(4) क्या विभाग में उक्त कार्य हेतु कोई "साफ्टवेयर" तैयार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक करने का विचार है? क्या पेंशन नियम 1980-81 के तहत जो आवश्यक सूचनाएं सम्बन्धित विभागों से समय पर पेंशन विभाग में प्राप्त होती है, उसका निपटारा पेंशन विभाग द्वारा किया जाता है? क्या उक्त के लिए भी कोई "साफ्टवेयर" बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सेवा (पेंशन) नियम 1996 में सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व पेंशन विभाग को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। जिन प्रकरणों को सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार सेवानिवृत्ति से पूर्व ही प्रेषित कर दिये जाते हैं, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन विभाग द्वारा अधिकृतियां जारी कर दी जाती हैं। नियमानुसार भुगतान सेवानिवृत्ति के अगले दिवस को देय होता है जो कि सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा किया जाता है।

(2) उक्त परिपत्रों की अनुपालना में वर्ष 2001-2002 में विभिन्न जिलों में आयोजित बैठकों की सूचना सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

अधिकांश जिलों में बैठके निर्धारित समयावधि में आयोजित की गई है। अतः उत्तरदायी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है।

(वित्त मंत्री)

(3) जिला स्तरीय पेंशन कमेटी की बैठके समय-समय पर आयोजित करने के लिए पेंशन विभाग द्वारा वर्तमान में मानिटरिंग नहीं की जा रही है। जिला कलक्टर (अध्यक्ष) द्वारा कमेटी की बैठक की सूचना पेंशन विभाग को भिजवाने पर पेंशन विभाग का दल बैठक में उपस्थित होता है एवं निश्चित तिथि से पूर्व बकाया पेंशन प्रकरणों की सूची जिला कलक्टर को भिजवाता है।

(4) उक्त कार्य हेतु पेंशन विभाग में "साफ्टवेयर" तैयार नहीं किया गया है। पेंशन नियम 1980-81 के तहत आक्षेपों की पूर्ति उपरान्त कार्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग को पेंशन प्रकरण भिजवाये जाने पर प्रकरणों का निस्तारण हेतु पेंशन विभाग में कम्प्यूटर पर "साफ्टवेयर" तैयार किया हुआ है तथा इसके उपयोग से ही प्रकरण निपटाये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

रजिस्ट्री पर अनियमित ढंग से राशि की वृद्धि

412. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी.एल.सी. स्टाफ एवं सब रजिस्टार ने अलग-अलग स्थानों पर मनमाने ढंग से रजिस्ट्री पर रुपये बढ़ा दिये है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि की रजिस्ट्री पर रुपये बढ़ाने से पूर्व जन प्रतिनिधियों, विधायक, सांसद से सलाह मशविरा आवश्यक है ?

(3) क्या यह सही है कि डी.एल.सी. की कोई विधिवत मीटिंग बुलाये बगैर उक्त राशि बढ़ा दी गई है ?

(4) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करेगी और दोषी अधिकारियों को सजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है जिनमें जन प्रतिनिधि/विधायक भी सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रावधानों के विपरीत दरे बढ़ाने का कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है। अतः बिना मामले के ध्यान में आये कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

विशेष एमनेस्टी स्कीम के तहत भूमि एवं भवन कर में छूट

413. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वित्त विभाग द्वारा भूमि और भवन कर विभाग, राजस्थान को एक विशेष एमनेस्टी स्कीम (अप्रैल, जून 2000) लागू की गई थी, जिसके लिए भूमि एवं भवन के अधिभोगियों को कर में छूट दी गई थी ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कितनों ने लाभ

(श्री दिग्विजय सिंह)

उठाया और कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह सही है कि अब इस "एमनेस्टी स्कीम" को 31 अक्टूबर, 2001 तक बढ़ाई गई है ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसके लिए "कर संगणना प्रपत्र" जारी किया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग "राजस्थान आवासन मण्डल" द्वारा आबंटित भवनों के मूल्यों को मान्य नहीं कर रहा है जबकि "आवासन मण्डल" ने एक परिपत्र क्रमांक एफ2ए/ 3/44/ आम/ मूमक/ 74/ 8865-66 दिनांक 27-12-1989 को जारी किया हुआ, जिसमें आबंटन वर्ष में जो मकानों का कर मूल्य माना जावे ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भूमि और भवन कर विभाग द्वारा भी एक परिपत्र नं.एफ4(1)एफडी/टैक्स डीडब्लू/2000/324, एस ओ 400 जारी किया गया है जिस में कर वसूली किये जाने की बात लिखी है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त परिपत्र स्पष्ट है कि 1-4-2000 से पूर्व "बाजार मूल्य" का मूल्यांकन 31 मार्च, 2000 से पूर्व जो निर्धारित था वही लिया जावेगा और कर निर्धारित उस पर ही होगा ? परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त परिपत्रों का पालन नहीं कर "आवासन मण्डल" को लोक ओथोरीट मानने के बाद भी उसके द्वारा "भवन और भूमि का मूल्य" लगाने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस अवधि में योजना के अन्तर्गत 1611 भूमि भवन करदाताओं द्वारा योजना का लाभ उठाया गया तथा भूमि भवन कर विभाग को 243.04 लाख रुपये की राशि भूमि भवन कर के रूप में प्राप्त हुई।

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्रपत्र प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-1

(4) जी नहीं। आवासन मण्डल द्वारा आबंटित भवनों का आबंटन वर्ष में मूल्यांकन करने हेतु भूमि एवं भवन कर विभाग द्वारा एक परिपत्र दिनांक 27.12.1989 को जारी किया गया है। प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-2

(5) भूमि भवन कर विभाग द्वारा इस क्रमांक से परिपत्र तो नहीं किन्तु अधिसूचना जारी की गई है। प्रति संलग्न है।

(6) जी हां। प्रति संलग्न है। परिशिष्ट सं. 3 सं. 4

(7) आबंटन वर्ष के संदर्भ में विभागीय परिपत्रों की पालना की जा रही है एवं आबंटित भवन का स्वरूप बदल जाने पर लागत मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। कर निर्धारण दिनांक 1.4.1997 व 1.4.2000

(वित्त मंत्री)

हेतु विभागीय परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं की पालना की जा रही है।

(प्रपत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मानसरोवर, जयपुर में भवन कर वसूली

414. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा भूमि व भवन की वसूली हेतु कोई "ऐमनेस्टी स्कीम" अक्टूबर 2001 तक लागू की है? यदि हां, तो इसे लागू करने के पीछे क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि व भवन कर की वसूली वर्षों से नहीं हो रही है, इसलिए इसे लागू किया गया? उक्त वसूली नहीं होने के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार रखती है?

(3) भूमि व भवन का मूल्यांकन करते समय कौन सी प्रणाली काम में ली जा रही है या कोई मानदण्ड निर्धारित किए है? प्रणाली का सारणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा एस.एफ.एस. मानसरोवर के मकान मालिकों को नोटिस जारी किये थे? यदि हां, तो कुल कितने और किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि प्लाट नं. 3/19 एस.एफ.एस. मानसरोवर को कोई नोटिस नहीं दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों और मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है?

(6) क्या यह सही है कि प्लाट नं. 3/19 को वर्तमान कब्जाधारी ने खरीदा है इसलिए जानकारी के अभाव में नोटिस जारी नहीं हुआ?

(7) क्या यह भी सही है कि मूल आबंटी ने उक्त प्लाट बेचा था उस समय "आवासन मण्डल" द्वारा निर्मित भवन था, वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या भवन खड़ा है या नष्ट कर दिया है?

(8) क्या यह सही है कि सांगानेर जोन में श्री जकृत सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह उक्त का व उसके रिश्तेदार का कब्जा होने के कारण नोटिस नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है?

(9) क्या यह भी सही है कि प्लाट नं. 3/19 मानसरोवर पर कब्जाधारी के विरुद्ध बकाया वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना बकाया कर की वसूली एवं बकाया प्रकरणों के निस्तारण हेतु लागू की गई थी।

(2) जी नहीं। भूमि एवं भवन कर की वसूली हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व लक्ष्यों को अर्जित करने का समुचित प्रयास किया जाता है। गत वर्षों में विभाग को

(वित्त मंत्री)

राजस्व वसूली में बढ़ोतरी भी हुई है। अतः जांच कराये जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

(3) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन भूमि भवन कर अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लागत मूल्य विधि तथा किराया पद्धति आदि के अनुरूप किया जाता है। दिनांक 1.4.2000 से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। वांछित विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 1 एवं 1क व परिशिष्ट 2)

(4) जी हां। अब तक कुल 90 नोटिस जारी किये गये है। विवरण सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 3)

(5) जी नहीं। प्लाट नं. 3/19 के मकान मालिक को दिनांक 3.11.01 को नोटिस जारी किया गया है। कर निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) जी हां। वर्तमान क्रेता के नाम भी दिनांक 3.11.2001 को नोटिस जारी किया जा चुका है।

(7) जी हां। वर्तमान में उक्त प्लाट पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(8) जी नहीं। आबंटी एवं क्रेता के नाम विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।

(9) कर निर्धारण के उपरान्त कर निर्धारित होने पर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

काजी एक्ट के तहत निकाहनामा प्रमाण-पत्र

415. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पेंशन अदालत प्रकरण संख्या 49/98 में कौन-कौन से बिन्दु विचारणीय है ?

(2) क्या यह सही है कि पेंशनर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने विवाह की सूचना सक्षम अधिकारी को दे दी थी और सक्षम अधिकारी ने कार्यालयाध्यक्ष को अग्रेषित कर दी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16-4-1993 एवं 4-1-1996 के अन्तर्गत काजी एक्ट के अन्तर्गत निकाहनामा प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जब पेंशनर ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी का नाम परिवार के सदस्यों की सूची में जोड़े जाने के वास्ते सक्षम अधिकारियों को आवेदन कर दिया था ? क्या उक्त सम्बन्धी प्राप्ति रसीद पेंशनर की पत्नी के पास है ? यदि हां, तो अब पारिवारिक पेंशन स्वीकृति में विलम्ब का क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पेंशन अदालत प्रकरण संख्या 49/98 में निम्नलिखित दो बिन्दु विचारणीय है :—

1. पारिवारिक पेंशन तथा

2. 1.4.1979 से 31.5.1982 तक की अवधि का संशोधित लाइफ टाइम एरियर

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। विभाग के परिपत्र के अनुसार पेंशनर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्ट्रार/ग्राम पंचायत/जिला मजिस्ट्रेट से विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

(4) जी नहीं।

पेंशनर द्वारा अपने जीवनकाल में नियमानुसार वांछित सूचना/दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

विधायकों को क्षेत्र भ्रमण हेतु जिला पूल से वाहन सुविधा

416. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधायकों को क्षेत्रीय भ्रमण हेतु जिला पूल से सरकारी वाहन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा?

(2) क्या जिला अजमेर के विधायकों को उक्त आदेश से लागू होने के बाद वाहन उपलब्ध करवाये गये?

(3) क्या किसी माह विशेष में विधायक पांच दिन गाड़ी नहीं ले सके तो आगामी महीने में उक्त अवधि के वाहन का उपयोग कर सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या जिला प्रशासन कई बार विधायकों के वाहन मांगने पर वाहन उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट मोटर गैराज विभाग के पत्र क्रमांक 12(3)स्टेमो.गै./98 दिनांक 20.05.2000 द्वारा।

(2) जी हां।

(3) ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी हां। जिले से निर्वाचित माननीय विधायकों द्वारा एक ही समय पर वाहन मांगने अथवा जिला पूल में वाहन खराब होने आदि कारणों से किसी-किसी जिले में माननीय विधायकों को कभी-कभी समय पर वाहन उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।

जिला बांसवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण

417. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों/मार्गों/चौराहों/स्कूल भवनों/चिकित्सालयों के नामकरण के लिए कौन-कौनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रस्तावों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है?

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त प्रस्तावों के अनुरूप कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा से प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट क, ख, ग पर उपलब्ध है।

(2) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृतियों की सूचियां परिशिष्ट "अ, ब" पर उपलब्ध है।

(3) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के प्रस्ताव परिशिष्ट "ख" के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सेनानी समिति की आगामी बैठक में इसे विचारार्थ रखा जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

गांधी नगर क्लब जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति

418. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांधी नगर क्लब जयपुर की स्थापना कब एवं किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त क्लब में सार्वजनिक मेले सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते थे ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उक्त आयोजन बन्द कर दिये गये है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्लब में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेलों के आयोजन की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गांधी नगर क्लब, जयपुर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत पंजीकृत संस्था है। जिसका पंजीयन दि. 30.04.1959 को किया गया था। संस्था के उप नियमों के तहत इसका उद्देश्य गांधी नगर निवासियों एवं क्लब के सदस्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक उन्नति में सहायता करना और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, गांधी नगर बस्ती सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना एवं खेलकूद, व्यायाम तथा आमोद प्रमोद के साधनों की व्यवस्था करने के साथ-साथ कौटुम्बिक भावना का संचार करना था।

(2 गांधी नगर क्लब नामक संस्था द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रम किये जाते थे। संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त भवन एवं परिसर की लीज अवधि को न बढ़ाने एवं संस्था से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने अपना भवन एवं परिसर का कब्जा वापस लेकर गांधी नगर राजकीय सामुदायिक केन्द्र को प्रारम्भ किया गया है।

(3) गांधी नगर सामुदायिक केन्द्र जयपुर द्वारा तैयार किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार इस सामुदायिक केन्द्र में स्थित लान,

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

मैदान व हाल को शादी विवाह, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेल, मेला एवं सेमिनार आदि के आयोजन के लिए स्वीकृत किया जाता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को सामान्य श्रेणी में वरीयता

419. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राजपत्र भाग 4(ग) (1) दिनांक 28-09-1993 को प्रकाशित में कार्मिक (क-5) विभाग की अधिसूचना के अनुसार 27 अगस्त, 1993 को घोषित पिछड़े वर्गों के आशार्थियों को सभी रिक्त पदों पर 21 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? क्या उक्त आदेश की राज्य में शत-प्रतिशत पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या अन्य पिछड़ी जाति के मैरिट में सामान्य आशार्थी से अधिक अंक होने पर भी उसको सामान्य श्रेणी की मैरिट में नहीं मान कर केवल प्रार्थना पत्र पर आधी फीस देने के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में रखा गया? यदि हां, तो क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस विषय में राज्य सरकार से कोई मार्गदर्शन मांगा था? यदि नहीं, तो सरकार के उक्त आदेशों की पालना नहीं करने के दोषी जिम्मेदार के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों द्वारा निर्धारित फीस देने वाले आशार्थियों को अब मैरिट में सामान्य श्रेणी के अंको की वरीयता में आने वाले आशार्थियों को सामान्य श्रेणी में चयन की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सभी पदों में राज्य सरकार द्वारा 21% पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए हैं। इन आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियां संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(2) जी नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस में कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही है। अतः फीस के आधार पर मैरिट निर्धारण का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। आदेश सं.प.7(2)कार्मिक/क-2/96 दि. 17.6.1996 एवं अधिसूचना सं.प.1(2)कार्मिक/क-2/97 दिनांक 8.8.2001 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(अधिसूचना की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सेवानिवृत्त कर्मियों के विचाराधीन मामलों हेतु समझौता समिति का गठन

420. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीलाल गहलोत)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के आदेश प. 6/13/प्र.सु/अनु-3/97 दिनांक 2-3-2000 के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के न्यायिक मामलों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु समझौता समिति का गठन किया गया है ?

(2) क्या उक्त पैटर्न पर सेवा-निवृत 8 कर्मियों के जो मामले विभागीय जांच/न्यायालय में लम्बित चल रहे हैं उनके त्वरित गति से निस्तारण हेतु समझौता समिति गठित करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक गठित की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

होमगार्ड स्वयंसेवक से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य

421. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से 1997 तक की अवधि में शासन सचिवालय में किस-किस होमगार्ड स्वयंसेवक ने कब से कब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्तर का कार्य किया तथा किस-किस को कब-कब, कितना-कितना भुगतान सचिवालय के किस बजट मद से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्तर का कार्य कराने हेतु होमगार्ड विभाग से स्वयंसेवकों के नाम किन-किन आदेशों/पत्रों से मंगवाये गए तथा किन-किन आदेशों/पत्रों द्वारा होमगार्ड विभाग ने स्वयं सेवकों के नाम कार्मिक विभाग को भिजवाये ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सचिवालय में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत 190 ठेका श्रमिकों को सचिवालय के किस बजट मद से भुगतान किया गया/किया जा रहा है तथा इन्हें वर्तमान में किस-किस अनुभाग/विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्तर का कार्य कराने हेतु लगा रखा है ? नामों की सूची मय अनुभाग के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य कर्मचारी होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकित हो सकते है ? क्या उक्त की होमगार्ड ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर लगाई जाती है ? यदि हां, तो शासन सचिवालय में कार्यरत उक्त कर्मचारियों के नामों की संवर्गवार सूची (मय बेल्ट नम्बर) सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कोई व्यक्ति होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकित (पंजीकृत) होते हुए भी राज्य सरकार में नौकरी पा सकता है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों व किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से 1997 तक की अवधि में शासन सचिवालय में समादेष्टा (पुलिस अधीक्षक), गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के

(कार्मिक मंत्री)

माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्तर का कार्य करने हेतु होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं प्राप्त की गई थी। विभाग द्वारा इन्हें सीधा भुगतान नहीं किया गया बल्कि समादेष्टा कार्यालय से प्राप्त बिलों के आधार पर एकमुश्त भुगतान समादेष्टा को सचिवालय के बजट मद 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)सचिवालय(2)कार्मिक विभाग, आयोजना भिन्न-15 संविदा सेवाएं से किया गया। समादेष्टा द्वारा किये गये भुगतान का वांछित विवरण परिशिष्ट-1 (पृ. 1से 32 तक) में दिया गया है।

(2) उपलब्ध आदेशों/पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-2 (पृ. 33 से 323 तक) संलग्न है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत ठेका श्रमिक, ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे है। अतः श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार को उसके द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर विभागीय सत्यापन के पश्चात् सचिवालय के बजट मद 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 090-सचिवालय (2)कार्मिक विभाग, आयोजना भिन्न-15 संविदा सेवाएं से किया गया है/किया जा रहा है। इन ठेका श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अलग-अलग विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्तर का कार्य करने हेतु भेजा जाता है। चूंकि इसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक सामान्य याचिका संख्या 4261/99 एवं कुछ अन्य याचिकाएं विचाराधीन हैं, इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दिये जाने से न्यायालय में विचाराधीन वाद पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(4) जी हां। सामान्यतया होमगार्ड स्वयंसेवकों की रोटेशन से ड्यूटी लगाई जाती है। सचिवालय में सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति, नामांकित सचिवालयकर्मी की ड्यूटी करने के सम्बन्ध में रुचि, इनकी मान्यता अवधि एवं सीमित संख्या के कारण इनकी ड्यूटी पूरी तरह से रोटेशन से लगाया जाना सम्भव नहीं हो पाता। होमगार्ड स्वयंसेवकों के रूप में नामांकित सचिवालय कर्मियों की संवर्गवार सूची मय बैल्ट नम्बर परिशिष्ट-3 (पृ324) पर संलग्न है।

(5) जी हां। होमगार्ड्स स्वयंसेवक राज्य कर्मचारी नहीं है, वह केवल मात्र एक स्वयंसेवक है। आम नागरिक की भांति योग्यता एवं नियमानुसार अपने स्तर पर कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकता है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मालपुरा (टोंक) के साम्प्रदायिक दंगो में पीड़ितों को राहत

422. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 4 अप्रैल, 1997 को राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय स्टाफ नियम, 1957 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1963 में वर्ष 1992 में जयपुर, टोंक व मालपुरा के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

साम्प्रदायिक दंगो में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को राजकीय सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक संशोधन किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संशोधनों के आधार पर सभी मालपुरा के दंगो में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को राजकीय सेवा वर्ष 2000 तक प्राप्त हो गई ?

(3) क्या यह सही है कि मालपुरा (टोंक) में जुलाई, 2000 में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें 12 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए थे ?

(4) क्या सरकार उक्त दंगों में मरने वालों के आश्रितों को राजकीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या माननीय विधायक ने उक्त नियम में कार्मिक मंत्री को व गृह सचिव को कोई उक्त पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अक्टूबर, 2001 तक सभी 19 व्यक्तियों को नियुक्तियां प्रदान की गई है।

(3) जी हां।

(4) प्रकरण विचाराधीन है।

(5) जी हां। विचाराधीन है।

जिला उदयपुर के तहसीलदारों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

423. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गम्भीर रूप से आरोपित एवं सी.सी.ए.16 में दण्डित/विचाराधीन कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने के निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां तो कब एवं क्या-क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला उदयपुर में कार्यरत किन-किन तहसीलदारों के विरुद्ध ऐसे मामले हैं ? क्या सरकार उक्त को फील्ड से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेशों की प्रति प्रपत्र "क" एवं "ख" में संलग्न है।

(2) जिला उदयपुर में कार्यरत किसी तहसीलदार के विरुद्ध ऐसे मामले नहीं पाये गये है अतः उनके विरुद्ध फील्ड से हटाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जेल प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के भवन निर्माण में अनियमितताएं

424. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललित भाटी)

(1) क्या यह सही है कि जेल प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु प्रमुख सचिव, गृह विभाग को मुख्य मंत्री द्वारा पत्रांक मु.म./प.5(1)जेल/2001/5268 दिनांक 27-6-2001 द्वारा निर्देश दिए गए? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में क्या जांच पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब तक भी जांच जारी है? यदि हां, तो कब तक पूर्ण करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के बाद कारागार विभाग द्वारा निर्माण सामग्री घटिया स्तर की बताए जाने पर प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराए जाने का निर्णय लेकर दि. 21.11.2001 को प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को विस्तृत जांच कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

(पत्र की प्रति के लिए परिशिष्ट-7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के कारावासों की शिकायतें

425. श्री राजेन्द्र सिंह गण्डूरा (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा अन्तर्गत कारावासों में अमानवीय व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में किन-किन कारावासों में कैदियों को रखने के लिए कितनी संख्या निर्धारित है तथा कितने कैदी कारावासों में रखे गए हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में मात्र एक उप कारागृह, छबड़ा स्थित है। उप कारागृह, छबड़ा से बंदियों को अमानवीय यातनाएं देने की कोई सूचना शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न ही किसी बंदी को अमानवीय यातनाएं दी गई है।

(2) उप कारागृह, छबड़ा पर 50 बंदी रखने की क्षमता है। वर्तमान में उक्त कारागृह में 101 बंदी निरुद्ध है। अगस्त, 2001 से एक नयी बैरक तैयार कर बंदियों को रखा जा रहा है।

ग्राम मणु व गेनाणा (नागौर) की आंगोर भूमि पर अतिक्रमण

426. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मणु व गेनाणा तहसील लाडनूं जिला नागौर में आंगोर की भूमि पर काश्तकार ने कब्जा किया है? यदि हां, तो कब-कब किस के द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा करने वालों पर क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई? उक्त भूमि की खतौनी व खसरा की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या सरकार ने आंगोर की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किये है ? यदि हां, तो कब तथा उनकी पालना उक्त मामलों में कहां तक हुई ? जारी आदेशों की व की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार का यह विचार है कि आंगोर की भूमि पर कोई कब्जा नहीं हो ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर से कब तक कब्जे हटा दिये जायेंगे और पुनः कब्जा न हो इसके लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) ग्राम मणु व गेनाणा में अंगोर की भूमि पर कब्जा करने वालों का विवरण मय की गई कार्यवाही संलग्न अनुसूची संख्या 1 व 2 में उल्लेखित है। नकल खतौनी तथा खसरा गिरदावरी एवं खसरा परिवर्तनशील की नकल संलग्न है।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के प्रावधान है, तदनुसार अनुपालनी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाती है।

(3) नियमानुसार बेदखली प्रकरणों में भौतिक रूप से कब्जा हटाने की कार्यवाही तहसीलदार स्तर से एक माह अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी। पुनः कब्जा होने की स्थिति में नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

न्यायालयों में विचाराधीन सीलिंग प्रकरण

427. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीलिंग सम्बन्धी कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है ?

(2) उक्त में से गत तीन वर्षों में सरकार ने कितने मामले वापस लिये और मामले वापस लिये जाने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सीलिंग सम्बन्धी 1739 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

(2) उक्त में से गत 3 वर्षों में सरकार ने कोई मामला वापस नहीं लिया है। अतः सूचना शून्य मानी जावे।

गढ़ी क्षेत्र (बांसवाड़ा) में संचालित स्काउट गाइड संघ को भूमि आबंटन

428. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या स्काउट/गाइड प्रशिक्षण शिविर हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन का कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार को जिला बांसवाड़ा की गढ़ी क्षेत्र में संचालित स्काउट/गाइड संघ,

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

गढ़ी-परतापुर की ओर से 3-24 हैक्टेयर भूमि के आबंटन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं। परिपत्र क्रमांक एफ 3(9) उप/68 पार्ट-II दिनांक 6.5.71 व 1.3.97 के अनुसार निःशुल्क भूमि आबंटन का प्रावधान नहीं होने के कारण निःशुल्क भूमि आबंटन करना सम्भव नहीं हो रहा है।

(2) जी हां। पत्र क्रमांक एफ19(6) राज/उप/2000 दिनांक 25.8.01 से स्काउट/गाईड प्रशिक्षण केन्द्र परतापुर जिला बांसवाड़ा को प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 3-24 हैक्टेयर भूमि का आबंटन कर दिया गया है।

ग्राम रालावास (दौसा) के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमण

429. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रालावास तहसील लालसोट जिला दौसा में खसरा नं. 289, 289/1 (चरागाह के पास) में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को भू-आबंटन समिति द्वारा भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस को एवं कब? आबंटन आदेश एवं नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है एवं काश्त कौन कर रहा है तथा लगान किस-किस नाम से कब-कब जमा है? क्या आबंटी ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि आबंटी द्वारा उक्त भू-आबंटन के सम्बन्ध में नक्शे में तरमीम करने हेतु कलक्टर, दौसा को दिनांक 11-10-1999 एवं 30-5-2000 को निवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही सहित प्रार्थी द्वारा दिये गये पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम सेलेमपुरा तहसील लालसोट में लगे कैम्प में भी उक्त पीड़ित पक्षकार द्वारा निवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने तथा गरीब होने के कारण सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उक्त नक्शे में ट्रेस तरमीम के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त प्रकरण में अब तक कार्यवाही नहीं होने के लिये किस-किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और सरकार द्वारा अब तक उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है और अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? अब तक दोषियों के

(श्री घासीराम मेघवाल)

विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्षकारों को न्याय दिलाने हेतु उक्त आबंटियों को उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा दिलाने हेतु तथा नक्शे में तरमीम करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह सही है उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्षकार में माननीय मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर एवं जिला कलक्टर, दौसा के यहां पुनः अपनी भूमि का कब्जा दिलाने तथा नक्शे में तरमीम करवाने हेतु निवेदन किया है? यदि हां, तो सम्बन्धितों द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दि. 1.5.65 को ग्राम पंचायत सलेमपुरा पर आयोजित भू-आबंटन सलाहकार समिति की बैठक में ग्राम रालावास में स्थित सिवाय चक भूमि ख.न. 289 रकबा 178 बीघा 06 बिस्वा में से अनुसूचित जाति के 13 व्यक्तियों को 57 बीघा तथा अनुसूचित जन जाति के 18 व्यक्तियों को 106.06 बीघा कुल 31 व्यक्तियों को 163.06 बीघा भूमि का आबंटन किया गया था। आबंटियों की सूची एवं आबंटन आदेश परिशिष्ट (1) एवं नक्शे की प्रति परिशिष्ट (2) संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज एवं काश्त करने वाले व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट (3) संलग्न है। लगान जमा कराने वालों की सूची परिशिष्ट (4) संलग्न है।

वर्तमान में 2 आबंटी अपनी भूमि पर काश्त कर रहे हैं। 22 व्यक्तियों की आंशिक और 7 व्यक्तियों की सम्पूर्ण भूमि पर 36 अतिक्रमी काश्त कर रहे हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि आबंटी द्वारा दिनांक 11.10.99 के प्रार्थना पत्र को तत्कालीन जिला कलक्टर के समक्ष पेश किया था, जो मूल ही नियमानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 30.5.2000 का प्रा. पत्र दिनांक 20.06.01 को मंत्री महोदय सिंचाई, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, जो दिनांक 26.6.2000 को जिला कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिस पर तहसीलदार लालसोट को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अब उक्त ख. नं. 289 में नक्शे में तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.99 व 30.5.2000 की प्रतियां परिशिष्ट (5) एवं (6) एवं तरमीम शुदा नक्शे की प्रति परिशिष्ट 6 (1) संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम सलेमपुर तहसील लालसोट में लगे कैम्प दिनांक 16.10.2001 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर बाद जांच मौका कर 36 अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 183(बी) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई हेतु

(राजस्व मंत्री)

पक्षकारान को तलब किया गया है। इसमें सुनवाई की तिथि 27.11.2001 नियत है।

(5) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्राप्त होने पर शीघ्र तहसीलदार लालसोट को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु मामला लम्बी अवधि से विवादास्पद होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ था। अब नक्शे में तरमीम कर दी गई है।

(6) ग्राम रालावास तहसील लालसोट की आराजी ख.न.289 में से किये गये भू-आबंटन की भूमि का आबंटियों को कब्जा देने व नक्शे में तरमीम करने में हुए विलम्ब की जांच किये जाने हेतु सहायक कलक्टर लालसोट को जांच अधिकारी नियुक्त कर शीघ्र बाद जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश दिये गये है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) जी हां। प्रशासन उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्षकारों को न्याय दिलाने हेतु कार्यवाही कर रहा है। सभी आबंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये है। जिन आबंटियों की भूमि पर अन्य (अनु. जन जाति) का कब्जा है, उनके विरुद्ध धारा 183(बी) राज. टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में उक्त धारा के तहत बेदखली के आदेश पारित होने पर ही आबंटियों को भौतिक रूप से कब्जा दिलाया जायेगा एवं नक्शे में तरमीम की जा चुकी है।

(8) जी हां। यह सही है कि उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्षकारों ने जिला कार्यालय में, माननीय राजस्व मंत्री महोदय के यहां तथा प्रशासन गांव के संग कैम्प सलेमपुर दिनांक 16.10.01 को नक्शे में तरमीम कराने तथा पुनः अपनी भूमि का कब्जा दिलाने हेतु आवेदन पत्र पेश किये हैं। जिन पर नक्शें में तरमीम अब कर दी गई है तथा अतिक्रमण हटवाने हेतु धारा 183(बी) तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप तहसील पीपलखूंट (बांसवाड़ा) की क्रमोन्नति

430. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की उप तहसील पीपलखूंट को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उप तहसील पीपलखूंट सम्पूर्ण जन जाति क्षेत्र, बिखरी आबादी, पहाड़ी स्थल एवं प्रतिकूल भौगोलिक, आर्थिक स्तर का होने पर भी इसे तहसील का दर्जा नहीं देना अनुचित है? यदि हां, तो इसे पूर्ण तहसील का दर्जा कब तक दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा की उप तहसील पीपलखूंट को पूर्ण तहसील में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उप तहसील पीपलखूंट सम्पूर्ण जन जाति क्षेत्र होकर पहाड़ी एवं बिखरी आबादी वाला होकर भौगोलिक व आर्थिक रूप से प्रतिकूल परिस्थति वाला है। इसे उप तहसील से क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम खिंवास (जयपुर) की गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण

431. **श्री कृष्ण मुरारी गंगावत** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खिंवास तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के गैर मुमकिन तलाई के खसरा नं.71 की भूमि पर श्री केदार पुत्र श्री हरसहाय एवं श्री श्रवण पुत्र श्री भगवान सहाय ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमणकारियों से तहसीलदार जमवारामगढ़ की मिलीभगत है? यदि नहीं, तो अतिक्रमण की सूचना के बाद भी उक्त तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गई? क्या उक्त तहसीलदार ने गलत सूचना दी कि अतिक्रमण हटा दिया है? यदि हां, तो सरकार उक्त उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है/प्रस्तावित है?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री श्रवण पुत्र श्री भगवान सहाय राज्य कर्मचारी है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या सरकार अब मौके पर से उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम खिंवास, तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के ख.न.71 गै.मु. तलाई पर श्री केदार पुत्र हरसहाय एवं श्री श्रवण पुत्र भगवान सहाय ने वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है।

(2) यह सही नहीं है कि अतिक्रमणकारियों से तहसीलदार जमवारामगढ़ की कोई मिलीभगत है। बल्कि दिनांक 10.4.2001 को ग्राम खिंवास में पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त ख.न. से श्री केदार पुत्र हरसहाय द्वारा किया गया पक्का अतिक्रमण हटा दिया गया है।

(3) जी हां। श्री श्रवण द्वारा बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं है।

(4) पूर्व में किया गया अतिक्रमण दिनांक 10.4.01 को हटाया जा चुका है।

धौलपुर कांच मिल्स को आबंटित भूमि का विक्रय

432. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रयोजन विशेष के लिये आबंटित भूमि को अन्य प्रयोजन में काम में लेने पर भूमि को वापस शासकीय

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज किया जाता है? यदि हां, तो क्या धौलपुर कांच मिल्स को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की गई थी?

(2) क्या उक्त मिल्स के बन्द होने पर मिल्स मालिकों द्वारा उसकी भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विक्रय किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इससे प्रति दस्तावेज भूमि की कीमत जो राज्य सरकार को मिलनी चाहिये थी वह मिल रही है? यदि नहीं, तो इससे राज्य सरकार को अब तक कितनी राजस्व हानि हो चुकी है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

(3) क्या यह सही है कि उप पंजीयक, धौलपुर के कार्यालय में अनियमितता होने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। कांच मिल्स को भूमि आबंटित नहीं की गई थी। धौलपुर रियासत खाता सं. 2000 में साबिक ख.न. 36/1 मि. (37,38,39) (40,41)55/1 मि.56 मि.60 मि., 61 मि., 63 मि. कुल किता 8 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि कारखाना ग्लास फैक्ट्री के नाम रिकार्ड में दर्ज है।

(2) जी हां। आफिशियल लिक्विडेटर, राजस्थान हाईकोर्ट बैंच जयपुर के द्वारा 2.11.82 को उप पंजीयक धौलपुर के यहां श्री मामराज गुप्ता के नाम दस्तावेज पंजीबद्ध हुआ है। मिल मालिक श्री मामराज गुप्ता ने एक दस्तावेज पंजीयन क्र.1922 दिनांक 28.9.2001 मालियत 60000/- रुपये का उप पंजीयक धौलपुर के यहां पंजीयन कराया है। जिसका बाजार मूल्य 153394/- रुपये मानते हुए 16,874/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 1534/- रुपये पंजीयन शुल्क वसूल किया गया है। इस भूखण्ड का स्वामित्व मामराज गुप्ता का होने से कोई राजस्व हानि नहीं हुई है।

(3) जी हां। उप पंजीयक कार्यालय धौलपुर की महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक को निम्न दो शिकायतें प्राप्त हुई :—

1. प्रथम शिकायत श्री अम्बिका प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद निवासी ग्राम भगत का नगला पोस्ट सरावीखेड़ा से दिनांक 12.9.01 को प्राप्त हुई। जिसमें मुद्रांक कर की चोरी करने के सम्बन्ध में शिकायत की गई। इस शिकायत के क्रम में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त, भरतपुर को जांच करने के निर्देश दिये गये।

मामले में जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

2. दूसरी शिकायत श्री भगवान गोयल पुत्र श्री श्यामलाल निवासी निहालगंज कोठी, धौलपुर से दिनांक 20.06.01 को प्राप्त हुई। यह शिकायत वसीयतनामे से संबंधित है। जिसके क्रम में उप महानिरीक्षक वृत्त, भरतपुर से जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण विभाग के स्तर पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

बीकानेर डिवीजन में अन कमाण्ड क्षेत्र की भूमि का परिवर्तन

433. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर डिवीजन में सरकार द्वारा कितनी भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड क्षेत्र में परिवर्तित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चक 12, 13, 15 के पी.डी. में लगभग 100 मुरब्बों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो अभी तक इसको कमाण्ड क्यों नहीं किया जा सका है? क्या अब तक उक्त भूमि सिंचित होने से वंचित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चक 12, 13, 15 के पी.डी. के किसानों ने राजस्व मंत्री से पत्र व्यवहार किया है? यदि हां, तो पत्र व्यवहार पर क्या आदेश हुए? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब चक 12, 13, 15 के पी. डी. के किसानों की भूमि को सरकार कब तक सिंचित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बीकानेर डिवीजन में भाखरा नहर प्रणाली में 68.65 बीघा तथा इ.गा.न.प. में 24587.90 बीघा भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड में परिवर्तित की गई है।

(2) जी नहीं। चक 12, 13, व 15 के पी.डी. अनूपगढ़ शाखा के बाईं ओर निकलती है। इन चकों के 100 मुरब्बों का सर्वे नहीं करवाया गया है। ये मुरब्बे ऊंचे होने के कारण किशनपुरा वितरिका से कमाण्ड नहीं हो सकते। क्षेत्र अभी भी अनकमाण्ड है।

(3) जी हां। चक 12, 13 व 15 के पी.डी. के काश्तकार श्री भजनलाल वधंवा ने माननीय श्री राधेश्याम विधायक, श्रीगंगानगर के मार्फत माननीय सिंचाई एवं राजस्व मंत्री जी से पत्र व्यवहार किया है। वस्तुस्थिति से संबंधित को अवगत करा दिया है। पत्र की प्रति संलग्न है।

(4) चक 12, 13, 15 के पी.डी. के अनकमाण्ड रकबे को सिंचित करना सम्भव नहीं है।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

तहसील चौमूं (जयपुर) के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

434. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तहसील चौमूं (जयपुर) में नये राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त तहसील के ग्राम भोजलावा (मोरीजा), चारणवास (धोबलाई-सींगोद खुर्द) नयावास (टांकरडा) को नये राजस्व ग्राम इस वर्ष में बना दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील चौमूं में टांकरडा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नयावास के नाम से नया राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त तहसील के ग्राम भोजलवा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चारणवास पूर्व से ही राजस्व ग्राम है।

ग्राम पंचायत टांकरडा के अन्तर्गत "नयावास" को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम विजयमहल (जयपुर) में मन्दिर भूमि का अवैध बेचान

435. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर के ग्राम विजयमहल में ठाकुरजी नाबालिग के नाम भोग-राम के लिए कुल कितनी भूमि है? नाम-मन्दिर ठाकुरजी, खसरा, रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मन्दिर ठाकुरजी के अतिरिक्त ग्राम-विजयमहल में कर्बला तकिया, जैन नसियां, सती नसियां आदि धार्मिक स्थलों की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार कितनी है? अलग-अलग धार्मिक स्थल का नाम, खसरा नम्बर, भूमि अथवा भवन के क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम विजयमहल में धार्मिक स्थलों की जो भूमि व भवन राजस्व रिकार्ड सम्वत 1925 में दर्ज थे, क्या वह सभी भूमि अथवा भवन यथास्थिति में विद्यमान है? तहसील व जिला जयपुर के ग्राम विजयमहल के सभी खसरा नम्बरान सहित राजस्व रिकार्ड सम्वत 1925 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ठाकुरजी नाबालिग के भोग-राग हेतु आरक्षित भूमि को पुजारियों ने अपने नाम कराकर बेच दिया? क्या उक्त अधिकार पुजारियों को प्राप्त था? यदि हां, तो किस कानून के तहत? राज्य सरकार के आदेश, अधिसूचना, अधिनियम आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ठाकुरजी नाबालिग के भोग-राग की भूमि को बेच देने का अधिकार पुजारी को नहीं था? यदि हां, तो ऐसे पुजारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा अब भी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर के ग्राम विजयमहल में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार ठाकुरजी नाबालिग के नाम भोग-राग के लिये कोई भूमि दर्ज नहीं है।

(2) ग्राम विजयमहल में कर्बला तकिया, जैन नसिया, सती नसिया आदि धार्मिक स्थलों के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(3) सम्वत् 1925 का राजस्व रिकार्ड तहसील एवं प्रबन्ध विभाग में उपलब्ध नहीं है। तहसील में सम्वत् 2015 से रिकार्ड उपलब्ध है इसलिए सम्वत् 1925 के भूमि/भवनों की जानकारी उपलब्ध नहीं होने से उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं बताई जा सकती है।

(4) माफी मन्दिर श्री महादेव जी के नाम भू-प्रबन्ध संख्या 2015 में दर्ज भूमि किता-21 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा सं. 2022 की जमाबन्दी में बिना किसी वैद्य अधिकार/आदेश के पुजारी के नाम दर्ज हो गई। परन्तु राजस्व रिकार्ड अनुसार बेचान नहीं पाया जाता है। वर्तमान में यह भूमि तहसीलदार जयपुर की रिसीवरी में है।

(5) जी नहीं। ग्राम विजयमहल की उक्त पुजारियों के नाम दर्ज भूमि को बेचने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि रिसीवरी में चल रही है। उक्त अवैध हस्तान्तरण के रेफरेंस की कार्यवाही विचाराधीन है।

ग्राम विजयमहल (जयपुर) में मान सागर बांध की भूमि का क्षेत्रफल

436. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर के ग्राम विजयमहल में मान सागर बांध कुल कितने क्षेत्र में अवस्थित हैं? खसरा नम्बर व क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बांध मान सागर अथवा जलमहल के पेटे में खातेदार काश्तकारों की भूमि भी स्थित है? यदि हां, तो पेटा मान सागर में किन-किन काश्तकारों की खातेदारी भूमि है? नाम खातेदार, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मान सागर बांध की दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम सीमा पर कर्बला की भूमि और घनी आबादी बसी हुई है? यदि हां, तो उक्त आबादी कब और किस की भूमि पर बसी है? विवरण मय नाम खातेदार खसरा नम्बरान सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि क्रम संख्या 3 में वर्णित आबादी जो नई जमवारामगढ़ रोड के उत्तर में बसी है, उक्त आबादी भूमि में सिवाय चक भूमि पर भी आवासीय/वाणिज्यिक निर्माण करा लिए गये है? यदि हां, तो सिवाय चक (सरकारी) भूमि पर किस व्यक्ति का कब्जा है और उक्त भूमि कब्जेदार ने स्वयं अतिक्रमण की है अथवा किसी सहकारी समिति ने सरकारी भूमि पर भू-खण्ड आबंटित कर दिये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर के ग्राम विजयमहल के राजस्व रिकार्ड में जलमहल काआपरेटिव के नाम से बांध रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा भूमि में अवस्थित है। इनके ख.न. व क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट-"क" पर है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। पेटा मान सागर अथवा जलमहल के खातेदारों के नाम, खसरा नम्बर व क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर है।

(3) जी हां। मौके पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आबादी 18-20 वर्षों से बसी हुई है। खातेदार का नाम व खसरा नम्बर का विवरण परिशिष्ट-"ग" पर है।

(4) जी हां। खसरा नम्बर 132 व 133 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जिसमें भी आवासीय/ वाणिज्यिक निर्माण हो रहे है। भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम विजयनगर (जयपुर) को राजस्व ग्राम का दर्जा

437. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जयपुर की तहसील चौमूं के ग्राम हस्तेड़ा के अधीन नया राजस्व ग्राम विजयनगर बनाने का प्रस्ताव ग्राम सभा में लिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) वर्ष 1991 व 2001 की गणना के हिसाब से प्रस्तावित राजस्व ग्राम विजयनगर की आबादी कितनी है?

(3) अब उक्त नया राजस्व ग्राम कब तक घोषित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत हस्तेड़ा द्वारा ग्राम हस्तेड़ा से विजयनगर नामक नया राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव ग्राम सभा की मीटिंग दिनांक 15.8.2001 में लिया गया है।

(2) वर्ष 1991 व 2001 में ग्राम हस्तेड़ा की ही जनगणना हुई थी। पृथक् से विजयनगर की जनगणना नहीं हुई। विजयनगर नामक ग्राम प्रस्तावित है। ग्राम हस्तेड़ा की जनगणना 1991 में 4512 थी, वर्ष 2001 के आकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए है।

(3) ग्राम हस्तेड़ा से विजयनगर नामक नया राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव जिला स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

तहसील चौमूं (जयपुर) के प्रस्तावित राजस्व ग्रामों की जनसंख्या

438. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य के राजस्व गांवों की कोई सूची बनी हुई है? यदि हां, तो तहसील चौमूं (जयपुर) में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कौन-कौन से ग्राम 400 की जनसंख्या से अधिक है और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उक्त ग्रामों की जनसंख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। तहसील चौमूं की वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर पूर्व में 96 राजस्व ग्राम थे। उनमें से 400 से अधिक की जनसंख्या के 83 ग्राम है, जिनकी सूची संलग्न है।

उक्त ग्रामों की वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े राज्य सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम रायथल (बूंदी) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

439. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम रायथल तहसील एवं जिला बूंदी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 201 तथा अन्य खसरा नम्बरान के अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त ग्राम के अतिक्रमियों को धारा 22 तहत मिसल संख्या 490 वर्ष 1997 में तहसीलदार बूंदी द्वारा दिनांक 15-3-1997 को सजा एवं जुर्माना के आदेश से दण्डित किया जाने के पश्चात् भी वर्तमान में उक्त भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा काश्त की जा रही है? यदि हां, तो उक्त सरकारी भूमि पर से स्थाई बेदखली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) ग्राम रायथल तहसील एवं जिला बूंदी की राजकीय भूमि खसरा नं. 201 तथा अन्य खसरा नम्बरान पर अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत सम्वत् 2058 में दर्ज अतिक्रमियों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(2) जी हां। मिसल सं. 490 वर्ष 1997 द्वारा अतिक्रमियान श्री भंवरलाल, रामकरण, मोहनलाल व छोटूलाल आत्मज श्री बजरंगा मीणा के विरुद्ध तहसीलदार बूंदी ने दिनांक 15.3.1997 को धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर एक माह का सिविल कारावास एवं 560/- रुपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया था तथा भूमि से मौके पर बेदखल भी किया गया था। उक्त आदेश के पश्चात् भी खसरा सं. 201 रकबा 5 बीघा पर पूर्व के अतिक्रमियों द्वारा सम्वत् 2054, 2055, 2056, 2057 एवं 2058 में अतिक्रमण कर काश्त की है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर इनको भूमि से प्रति वर्ष बेदखल किया जाता रहा है।

ग्राम खेड़लाबास (जयपुर) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण

440. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(1) तहसील बस्सी (जयपुर) के ग्राम खेड़लाबास की सिवाय चक भूमि खसरा नं. 121/171 को दुकानें निर्माण हेतु सिवाय चक से आबादी में कब स्थानान्तरित किया गया? क्या उक्त सम्बन्ध में ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव पास किया गया? यदि हां तो कब एवं पंचायत कोरम ने उक्त प्रस्ताव को कब पास किया?

(2) उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 5.7.2000 को जिला कलक्टर, जयपुर के प्राप्त पत्र पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त पत्र एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि पर पूर्व से ही अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति काबिज है और दुकानें बनाने का विरोध भी किया था और अतिरिक्त जिला कलक्टर विकास के यहां, उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी? यदि हां, तो अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण के संबंध में पीड़ित व्यक्ति एवं ग्रामीण जनता सम्भागीय आयुक्त से भी मिले थे एवं अपना पक्ष प्रस्तुत किया? क्या सम्भागीय आयुक्त द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु विकास अधिकारी तहसील बस्सी को लिखा गया था? यदि हां, तो क्या विकास अधिकारी बस्सी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कार्यालय, जयपुर के आदेश क्रमांक 4371 दिनांक 5.7.2000 द्वारा एक बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई है। पंचायत प्रस्ताव दिनांक 20.5.2000 की ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा पंचायत कोरम में पारित किया गया।

(2) जिला कलक्टर जयपुर कार्यालय के आदेश क्रमांक आर11(37)2000/4372-76 दि. 5.7.2000 के क्रम में तहसीलदार बस्सी ने खसरा नम्बर 121/171 में रकबा 1 बीघा का नामान्तकरण संख्या 130 एवं 131 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। नामान्तकरण की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त भूमि पर हल्का पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति पूर्व से काबिज नहीं थे। इन्होनें प्रस्तावित भूमि से दूर अतिक्रमण कर रखा था। दुकानें जो निर्मित की गई है वह खाली भूमि पर की गई है। जो पूर्ण हो चुकी है।

(4) जी हां। सम्भागीय आयुक्त महोदय से उक्त प्रकरण वास्ते जांच हेतु प्राप्त होने पर इसकी जांच रिपोर्ट हेतु उप खण्ड अधिकारी (पूर्व), जयपुर को पत्रांक एफ1(1)पे/जांच/99/12136 दिनांक 18.12.2000 लिखा जाकर जांच रिपोर्ट चाही गयी थी। इस पर उप खण्ड अधिकारी, जयपुर-पूर्व ने उक्त शिकायत की जांच हेतु विकास अधिकारी, बस्सी को अपने पत्रांक क्रमांक पीए/2000/92 दि. 17.1.01 के द्वारा जांच करा कर रिपोर्ट चाही थी। जांच रिपोर्ट

(राजस्व मंत्री)

विकास अधिकारी बस्सी से प्राप्त होना अपेक्षित है।

(नामान्तरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील दीगोद (कोटा) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में काश्तकारों के नाम परिवर्तन में अनियमितताएं

441. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की तहसील दीगोद में पूर्व सेटलमेंट व कैचमेंट कार्यों में भूमि संबंधी रिकार्ड व मौके पर भूमि कम व ज्यादा व नाम परिवर्तन इन्द्राज में गलतियां हुई ?

(2) क्या उक्त के कारण किसानों को कठिनाइयां हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त में हुई त्रुटियों में सुधार हेतु विशेष अभियान करवाकर उक्त में राहत प्रदान करने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र कोटा की तहसील दीगोद में पूर्व सेटलमेंट में भूमि संबंधी रिकार्ड मौके पर भूमि कम व ज्यादा होने व नाम परिवर्तन संबंधी गलतियां हुई थी।

(2) जी हां। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा गलतियों की दुरुस्ती के लिए पुनः संशोधन व निरीक्षण कार्य हेतु वर्ष 1992-93 एवं 1994-1996 तक जिला कलक्टर के अधीन भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को लगाकर ग्रामवार आपत्तियां प्राप्त की गई एवं विशेष अभियान चलाकर प्राप्त आपत्तियों का तहसीलदार दीगोद द्वारा निस्तारण किया जा चुका है।

जिला हनुमानगढ़ में भूमि आबंटन पर रोक

442. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में किसानों को भूमि आबंटन पर रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ में विशेष/सामान्य भूमि आबंटन प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला हनुमानगढ़ में इ.गा.न.प. क्षेत्र के प्रथम चरण क्षेत्र में सामान्य आबंटन पर दिनांक 15.1.87 से रोक के अलावा किसी आबंटन पर रोक नहीं है।

(2) जिला हनुमानगढ़ में इ.गा.न.प. क्षेत्र के प्रथम चरण में सामान्य भूमि आबंटन प्रारम्भ करने का फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है टूकड़ों का एवं विशेष आबंटन का कार्य प्रगति पर है।

राजस्व मण्डल अजमेर का विघटन

443. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललित भाटी)

(1) क्या राज्य सरकार राजस्व मण्डल अजमेर के विखण्डन का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या जयपुर में राजस्व मण्डल की स्थाई रूप से डी.बी. (खण्डपीठ) व एस.बी. (एकलपीठ) में तीन सदस्यों को स्थाई रूप से नियुक्ति का विचार है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच की अगस्त, 2001 में सुनवाई हेतु लाया गया और तमाम रिकार्ड अभी तक राजस्व मण्डल अजमेर कार्यालय में नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्व मण्डल में राजस्व प्रकरणों को उक्त माह से बड़ी संख्या में "डिसमिस इन डिफाल्ट" किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने प्रकरण व क्यों?

(5) क्या यह सही है कि अध्यक्ष राजस्व मण्डल द्वारा जयपुर में सुनवाई के लिये कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति स्थाई रूप से कर दी है? यदि हां, तो किन व किस स्तर के कितने कर्मचारियों को कब से लगाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या जयपुर सम्भाग के प्रकरणों के दर्ज करने हेतु सिर्फ जयपुर बैंच में ही दर्ज किये जाए ऐसे आदेश जारी किये है? यदि हां, तो कब व क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर में राजस्व मण्डल की डी.बी. (खण्डपीठ) व एस.बी. (एकलपीठ) जाती है। जयपुर में स्थाई रूप से पीठ लगाये जाने का वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) यह सही है कि सर्किट बैंच जयपुर की सुनवाई हेतु अगस्त, 2001 में मण्डल से लाया गया रिकार्ड अभी तक वापस नही भिजवाया गया है, क्योंकि यह समस्त रिकार्ड सर्किट बैंच में की जाने वाली सुनवाई से संबंधित है, अतएव इसे अजमेर भिजवाये जाने का कोई तात्पर्य नहीं होता।

(4) यह सही है कि राजस्व मण्डल में माह अगस्त में काफी बड़ी तादाद में राजस्व प्रकरणों को "डिसमिस इन डिफाल्ट" खारिज किया गया है। ऐसे प्रकरणों की कुल तादाद 852 है, जिन्हें पक्षकारों अथवा अभिभाषकगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है।

(5) जयपुर में सुनवाई हेतु मण्डल स्तर से स्थाई रूप से किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कराई गई है।

(6) जयपुर सम्भाग की सभी सुनवाई एवं अपीलें सर्किट बैंच में किये जाने से ही इस क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सकती है और सर्किट बैंच कायम करने का उद्देश्य भी तभी पूरा हो सकता है। यह व्यवस्था व्यवस्थित रूप से निरन्तर चले इसके लिए अधिकारियों को तकाजा किया गया है।

भद्रकाली मंदिर, हनुमानगढ़ टाउन की मरम्मत पर व्यय

444. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हनुमानगढ़ टाउन के पास स्थित भद्रकाली माई के मन्दिर की मरम्मत का कार्य कब किया गया था और उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या सरकार उक्त मन्दिर की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिर श्री भद्रकालीजी, हनुमानगढ़ की मरम्मत का कार्य लगभग तीन वर्ष पूर्व स्थानीय भक्तगणों द्वारा अपने स्तर पर करवाया गया था। उक्त मरम्मत कार्य पर हुये व्यय का विवरण देवस्थान विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) मन्दिर की वर्तमान में मरम्मत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर मन्दिर की मरम्मत अवश्य करवाई जावेगी।

भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य

445. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार के द्वारा राज्य में पैदा होने वाली किन-किन जिन्सों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है ?

(2) वर्ष 2001-2002 के लिए गेहूं, चना, जौ, सरसों, गन्ना, मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, कपास आदि का समर्थन मूल्य कितना व कब घोषित किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य के पैदा होने वाली फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ, अरहर, मूंग, उड़द, चना, मसूर, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, कपास, तिल का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है।

(2) फसल वर्ष 2001-2002 हेतु भारत सरकार द्वारा मोठ का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। अन्य जिन्सों के समर्थन मूल्य निम्नप्रकार घोषित किये गये है :

फसल खरीफ	फसल मौसम 2001-2002	विपणन वर्ष 2001-2002	रुपये प्रति क्विंटल धान
धान	”	”	530/-
बाजरा, ज्वार, मक्का	”	”	485/-
मूंग, उड़द, अरहर	”	”	1320/-
तिल	”	”	1400/-
मूंगफली	”	”	1340/-
सोयाबीन - पीली	”	”	885/-
सोयाबीन - काली	”	”	895/-
कपास	”	”	1675/-

(कृषि मंत्री)

खरीफ जिन्स 2001-2002 के समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा दिनांक 7.9.2001 को की गई है एवं रबी 2001-2002 फसलों हेतु समर्थन मूल्यों की घोषणा किया जाना अभी शेष है।

मोबाइल सर्जीकल में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद

446. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मोबाइल सर्जीकल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में पदोन्नतियां की गई है? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदोन्नतियां करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा उक्त में सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मोबाइल सर्जीकल में राज्य में वर्तमान में कितने पद कनिष्ठ लिपिक के रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं निदेशक मोबाइल सर्जीकल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1999-2000 में पदोन्नति नहीं की गई है वर्ष 2000-2001 में कुल चार पदोन्नतियां की गई है, का विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त पदोन्नति करने के सम्बन्ध में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक कर्मचारी नियम 1957 के नियम 7(3) के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के 15% रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान एवं नियमित रूप से नियुक्त उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा जो कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु नियमों द्वारा निहित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं पदोन्नति से उक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अपनाई गई है। सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर से किया जाता है तथा उन्हीं के द्वारा पदोन्नति दी जाती है।

(3) मोबाइल सर्जीकल में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

दवाइयों की गुणवत्ता की जांच

447. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपभोक्ताओं को गुणात्मक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में दवाइयों के कितने नमूने लिये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(2) उक्त में से कितने नमूनों की जांच प्रयोगशाला में हुई व कब-कब परिणाम प्राप्त हुए? तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने मामलों मे दवाई मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाई गई और ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपभोक्ताओं को गुणात्मक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु गत तीन वर्षों में कुल 2948 नमूने लिये गये। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नमूनों की संख्या
1998-1999	1134
1999-2000	1849
2000-2001	765

(2) उक्त लिये गये नमूनों में से 2523 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त हुई। सूची संलग्न है। (एनेक्सर-1)

(3) उक्त में से 513 नमूने मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाये गये। ऐसी फर्मों की नामजद सूची, मय की गई कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है। (एनेक्सर-II)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चिकित्सा व स्वास्थ्य संस्थानों का राष्ट्रीय पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन

448. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई संस्थान स्थापित हैं तो चिकित्सा सेवाओं के राष्ट्रीय पैटर्न के अनुसार नहीं है? उक्त संस्थाओं के नाम व इनके चालू रखने के औचित्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्त संस्थानों की समीक्षा कर राष्ट्रीय पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य संचालन हेतु बुनियादी आवश्यक स्टाफ का पदस्थापन किया हुआ है। जैसे उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसाविका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, नर्सिंग संवर्ग एवं लैब टैक्नीशियन तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ नर्सिंग संवर्ग, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के विभिन्न पद सृजित किये हुये हैं।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राष्ट्रीय पैटर्न के अनुसार राज्य की नीति का निर्धारण करने हेतु समीक्षा उपरान्त पदों के सृजन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सवाईमानसिंह मेडिकल कालेज में सी.ए.एस. हेतु निर्धारित कोटा

449. मोहम्मद माहिर आज़ाद (नगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी. परीक्षाओं (एम.एस. एवं एम.डी.) में सेवारत चिकित्सकों (सी.ए.एस.) हेतु कोई कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो किस-किस महाविद्यालय में कितना-कितना ?

(2) क्या सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर में डी.एम. एवं एम.सी.एच. की प्रवेश परीक्षाओं में पंजाब आदि राज्यों की भांति सी.ए.एस. (चिकित्सकों) हेतु कोई कोटा निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों : जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर में सेवारत चिकित्सकों (सी.ए.एस.) का प्री.पी.जी. परीक्षा में 50 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। इस चिकित्सा महाविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय 278-डी के प्रावधान के अनुसार डी.एम.-एम.सी. एवं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मैरिट कम प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश में सेवारत चिकित्सकों (सी.ए.एस.) के आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

निजी क्षेत्र में संचालित मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश में अनियमितता

450. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने गत तीन वर्षों में कई मेडिकल कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेजों को निजी रूप से चलाने की मान्यता दी है ?

(2) क्या यह भी सही है उक्त कालेज अन्धाधुन्ध फीस एवं डोनेशन वसूल कर रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे ही एक कालेज महात्मा गांधी मेडिकल कालेज के व्यवस्थापकों ने एम.बी.बी.एस. में भर्ती के नाम पर 40, 50 लाख तक डोनेशन के नाम पर वसूली की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक की उच्चाधिकारियों से भी सीधी सांठगांठ है? क्या सरकार उक्त की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निजी क्षेत्र मे विनियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् के दिशा निर्देशों अनुरूप मेडिकल कालेज खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम-1987 के प्रावधानों के तहत शिक्षा विभाग द्वारा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

इंजीनियरिंग कालेज खोलने हेतु आशय पत्र/निरापत्ती प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार को इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नही। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

अनुबंधित फर्म द्वारा दवाई व उपकरण की सप्लाई में विलम्ब की जांच

451. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दवाई व उपकरण की आपूर्ति करने वाली फर्म द्वारा सप्लाई नहीं करने तथा सप्लाई में विलम्ब करने पर विभाग द्वारा दवाई व उपकरण अन्य फर्म से या सीधे ही बाजार से क्रय करके अन्तर की राशि सप्लायर से वसूल करने की शर्त अनुबन्ध में रखी जाती है? यदि हां, तो शर्तों के क्लाज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995-96 तथा 1997 में कितने मामलों में अनुबन्ध के पश्चात् फर्म द्वारा दवाई/उपकरण की आपूर्ति नहीं की है तथा कितने मामलों में आपूर्ति से मना कर दिया? अनुबन्ध की प्रति सहित फर्मवार विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कितने मामलों में अन्य फर्मों से दवाई तथा उपकरण क्रय करने में कितनी अधिक राशि व्यय की गई है? प्रकरणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अधिक व्यय की गई राशि पूर्व की अनुबन्धकर्ता फर्मों से वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो राशि कब तक वसूल कर ली जावेगी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त राशि वसूल करने में देरी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त शर्तों के क्लाज परिशिष्ट-"अ" के 17(iii) पर उपलब्ध है।

(2) अनुबंध के पश्चात् फर्म द्वारा दवाई/उपकरण की आपूर्ति नहीं की है उनकी फर्मवार सूची परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है। आपूर्ति से किसी भी फर्म ने मना नहीं किया है। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(3) अन्य फर्मों से दवाई व उपकरण क्रय करने पर 28,103 रुपये से अधिक व्यय किये गये। ऐसे 9 प्रकरणों को प्रकरणवार सूची परिशिष्ट-"स" पर उपलब्ध है।

(4) पूर्व की अनुबन्धकर्ता आपूर्ति फर्मों से अधिक व्यय की गई राशि में से 9533.00 रुपये वसूल कर लिये गये है। बाकी राशि भी शीघ्र वसूल कर ली जावेगी। मेडिकल

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

कालेज, जयपुर द्वारा भी अधिक व्यय की गई राशि 4080.57 की वसूली की गई है।

(5) जी नहीं। अधिक व्यय की गई राशि की वसूली अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्मों से करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय चिकित्सालय, जवाहरनगर, जयपुर के चिकित्सक द्वारा अनियमितता

452. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, जवाहरनगर जयपुर में डा. कानूनगो, चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त चिकित्सक द्वारा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा मरीजों को देर तक बिठाये रखता है?

(3) क्या उक्त चिकित्सक चिकित्सालय के पास ही एक कमरा किराये पर लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है? क्या उक्त चिकित्सक चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को पाबन्द करता है कि वे उन्हें उनके कमरे पर आकर दिखावें?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार उक्त चिकित्सक का स्थानान्तरण कर उनके स्थान पर कोई अन्य चिकित्सक को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24.2.2001 से कार्यरत है।

(2) इस तरह की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नागौर अस्पताल से पदों की समाप्ति

453. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में राज्य के 20 चिकित्सालयों में आई.सी.यू. में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पद स्वीकृत किये थे?

(2) सरकार ने राज्यादेश दिनांक 5.12.2000 के द्वारा अस्पतालों में से कितने जिलों से कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पद क्यों समाप्त किये?

(3) क्या नागौर अस्पताल से भी उक्त पद समाप्त किया गया था? यदि हां, तो नागौर चिकित्सालय के आई.सी.यू. से कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) का पद समाप्त करने के क्या कारण रहे हैं?

(श्री हबीबुर्रहमान)

(4) क्या अन्य जिलों से उक्त पद समाप्त नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्यादेश दिनांक 5.12.2000 के द्वारा राज्य के 23 चिकित्सालयों में स्थित गहन चिकित्सा इकाइयों में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पदों की अनुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पद के अतिरिक्त वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) व कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पद स्वीकृत होने के कारण समानीकरण योजना के अर्न्तगत कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पद को समाप्त कर इन पदों का सृजन अन्य संस्थानों में किया गया।

(3) जी हां। शेष प्रश्न की सूचना प्रश्न के भाग संख्या दो में उपलब्ध है।

(4) राज्य के 8 प्रथम श्रेणी के जिला चिकित्सालयों में स्थित गहन चिकित्सा इकाइयों में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पदों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए समाप्त नहीं किया गया। शेष 23 चिकित्सालयों में स्थित गहन चिकित्सा इकाइयों में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) के पद समाप्त किये गये।

विधान सभा क्षेत्र नागौर के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान

454. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो नागौर जिले के कौन-कौन से विद्यालय के छात्रो को गत वर्ष और चालू वर्ष में कितने-कितने छात्रों को कितनी राशि कब-कब दी गई ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिले के कई विद्यालयों को उक्त छात्रवृत्ति से वंचित भी रखा है ? यदि हां, उक्त अवधि में कौन-कौन से विद्यालय किन-किन कारणों से वंचित रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त छात्रवृत्ति को देने का कोई समय है या वर्ष में कभी भी दी जा सकती है ? यदि समय निश्चित है तो कौनसा समय और उक्त मामलों में समय की पाबन्दी रही या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में गत वर्ष एवं चालू वर्ष में आबंटित राशि एवं लाभान्वित छात्रों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) जी हां। जिले में बजट प्रावधान के अभाव में छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तथा चालू वर्ष हेतु बजट आबंटन किया जाना शेष है। चालू वर्ष का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट - "ख"

(3) छात्रवृत्ति देने हेतु सामान्यतः 15 अगस्त एवं 26 जनवरी निश्चित है। बजट

(शिक्षा मंत्री)

प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण समय की पाबन्दी नहीं रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पाली में प्रधानाध्यपक व विषय अध्यापकों के रिक्त पद

455. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की माध्यमिक स्कूल कार्यालय में प्रधानाध्यापक व विषय अध्यापकों के पद कितने समय से रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रधानाध्यापक के रिक्त पद को भरने की सूचना निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को स्थानीय विधायक द्वारा दी गई है? यदि हां, तो अब तक पदस्थापना नहीं देने के क्या कारण है?

(3) उक्त रिक्त पदों पर स्थापना अब कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) पाली जिले में माध्यमिक विद्यालयों में 27 प्रधानाध्यापकों के एवं 30 विषय अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापक) के पद रिक्त है। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राज्य में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति से भरने के आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

(3) राज्य के प्रधानाध्यापकों (माध्यमिक विद्यालय) के रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति से भरने के आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णयानुसार नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

प्रधानाध्यापक माध्यमिक व शिक्षा प्रसार अधिकारी परीक्षाओं हेतु पात्रता

456. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा और पंचायत समिति के अधीन कार्यरत बी.ए., बी.एड. या एम.ए., बी.एड. योग्यताधारी अध्यापकों को प्रधानाध्यापक माध्यमिक व शिक्षा प्रसार अधिकारियों के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के लिये पात्र नहीं माना जाता? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि 9 व 10वीं कक्षा का पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त अध्यापकों को ही प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का पात्र माना जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या प्रश्न के भाग (2) में वर्णित अध्यापकों को सरकार द्वारा प्रशासनिक पद का अनुभवी माना जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रश्न के भाग (1) में वर्णित अध्यापकों को भी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु नियमों में प्रावधान करने हेतु शिक्षक संघों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में विचार कर कब तक निर्णय कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि वर्तमान में सैकण्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है? यदि हां, तो कब तक व कितने पदों हेतु?

(7) क्या सरकार रिक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के नियमों में संशोधित कर पैरा (1) में वर्णित अध्यापकों को भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की छूट प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा और पंचायत समिति के अधीन कार्यरत बी.ए., बी.एड. या एम.ए., बी.एड. योग्यताधारी अध्यापकों को प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) व शिक्षा प्रसार अधिकारी के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के अनुसार ही पात्र माने जाते है। नियमों में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी के पदों हेतु नियमों में योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण इस प्रकार से दिया हुआ है :—

प्रधानाध्यापक की योग्यता :

स्नातक डिग्री एवं शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव या उच्च प्राथमिक विद्यालयों का 4 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव तथा 3 वर्ष तक का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव या पांच वर्ष तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक का अनुभव।

शिक्षा प्रसार अधिकारी/अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी की योग्यता :

शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा तथा द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, बी.एस.टी.सी. कक्षाओं के अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव।

नोट : अध्यापन अनुभव शिक्षा में उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् का मान्य होगा।

(2) भाग-1 में वर्णित नियमों के अनुसार ही अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्र माने जाते हैं।

(3) प्रश्न के भाग-1 में वर्णित नियमों के अनुसार ही अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्र माने जाते हैं।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा और पंचायत समिति विद्यालयों मे शिक्षण अनुभव रखने वाले उक्त योग्यताधारी शिक्षकों को भी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा प्रसार अधिकारी हेतु आयोजित

(शिक्षा मंत्री)

प्रतियोगी. परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमों में वांछित संशोधन करने की मांग शिक्षक संघों द्वारा अपने मांग पत्रों के माध्यम से उठाई गई है जो विभाग के पास विचाराधीन है।

(5) राज्य सरकार के पास प्रकरण विचाराधीन है।

(6) जी हां। प्रधानाध्यपक (माध्यमिक) पदों की भर्ती हेतु कुल 529 पदों की अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। प्रतियोगी परीक्षा की दिनांक आयोग द्वारा ही तय की जायेगी।

(7) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान में प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोनेर (जयपुर) के अध्यापकों का लम्बित भुगतान

457. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोनेर, जिला जयपुर में अध्यापक-अभिभावक समिति बनी हुई है? क्या उक्त समिति की नियमित बैठकें होती हैं? यदि हां, तो समिति के विधान की प्रति एवं गत तीन वर्षों की बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा छात्रों से विकास शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो जुलाई, 2001 तक कितनी राशि एकत्रित की गई और उक्त में से अब तक कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालय में मेडिकल एवं यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान हेतु प्रांथमिकता रजिस्टर का संधारण किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? गत तीन वर्षो के मेडिकल एवं यात्रा भत्ता बिलों की स्वीकृत एवं व्यय राशि तथा जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं के उक्त बिल लम्बित है, के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। अब कब तक उक्त बिलों का भुगतान कर दिया जावेगा?

(4) क्या उक्त विद्यालय के मेडिकल एवं यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान वरीयता के आधार पर किये जाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोनेर (जयपुर) में अध्यापक-अभिभावक समिति नहीं बनी हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मेडिकल एवं यात्रा बिलों के गत तीन वर्षो का आय-व्यय विवरण एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं के लम्बित बिलों का विवरण परिशिष्ट-"क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा वांछित बजट की उपलब्धता पर उक्त बिलों का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां। वित्त विभाग द्वारा वांछित बजट की उपलब्धता पर मेडिकल एवं यात्रा

(शिक्षा मंत्री)

बिलों का वरीयतानुसार भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

458. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं तथा उक्त में कितने पद अध्यापकों के स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं? शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार गांव लसोड़िया की उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय तथा कसारवाड़ी विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में 10 माध्यमिक एवं 6 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें व्याख्याताओं के 40, वरिष्ठ अध्यापकों के 102, एवं अध्यापकों के 72 पद स्वीकृत हैं जिनमें से क्रमशः 18, 22 एवं 24 पद रिक्त है। शालावार सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा पदोन्नति होने पर व्याख्याता के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। चयनित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने तक अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत व्याख्याताओं को मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 1658 रिक्त पदों की भर्ती प्रकिया पूर्ण कर 496 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। शेष पदों पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक हटने पर भरे जा सकेंगे। अध्यापकों के रिक्त पद प्रारम्भिक शिक्षा से अध्यापक उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(3) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विद्यालय क्रमोन्नति के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। आगामी वर्षों में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ विचारार्थ रखा जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय की सुविधा

459. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने पुस्तक वर्ष 2001-2002 में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रसार हेतु कितने पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालय

(श्री ललित भाटी)

घोषित कर जनता को उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण जनता को सार्वजनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इसके लिए क्या कार्य योजना है?

(3) क्या राज्य सरकार मण्डल मुख्यालयों पर स्थित विद्यालय पुस्तकालयों को सिटी ब्रांच लाइब्रेरी के रूप में नगरीय जनता को सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार 50 हजार की आबादी पर एक नगर शाखा पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य की समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। 204 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को विद्यालय समय पश्चात् दो घंटे के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया है। 24 पंचायत समिति मुख्यालयों पर पूर्व में ही पुस्तकालय होने के कारण संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का निर्णय किया है शेष पंचायत समितियों में 9 पुस्तकालय पहले से ही कार्यरत है। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(3) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 में बजट में प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। आर्थिक संसाधनों के अभाव में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

460. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के कौन-कौनसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस विषय के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों पर कब तक अध्यापक नियुक्त कर दिये जायेंगे?

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त रहने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में

(शिक्षा मंत्री)

किस-किस विषय के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। साथ ही रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु गेस्ट फैकल्टी योजना के तहत व्याख्याताओं को मानदेय पर लगाने हेतु व्यवस्था की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णयानुसार नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। अध्यापकों के पद पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग द्वारा अध्यापक उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के सेवानिवृति पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से पद रिक्त हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला जालौर के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

461. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, अंग्रेजी, एवं गणित विषयों में वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं ?

(2) उक्त जिले के कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला जालौर के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) जालौर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पद निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम पद	रिक्त पद		
		विज्ञान	अंग्रेजी	गणित
1.	वरिष्ठ अध्यापक (पुरुष)	27	30	19
2.	वरिष्ठ अध्यापक (महिला)	02	03	02

रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-"क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा

(शिक्षा मंत्री)

अंतिम निर्णयानुसार नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। फिर भी जालौर जिले में उपलब्ध वरिष्ठ अध्यापकों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 2-विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों और 5-गणित के वरिष्ठ अध्यापकों को विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लगाया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राज्य में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति में अलीगढ़ की डिग्रीयों की मान्यता

462. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब, अदीब माहिर, अदीब कामिल डिग्रीयों को क्रमशः हाई स्कूल, इंटरमिडियेट व बी.ए. के समकक्ष राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी? यदि हां, तो कब एवं किस आदेश से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1991 में उक्त डिग्रीयों को मानते हुए उक्त डिग्रीधारियों को नियुक्तियां दी गई थी? क्या वर्ष 1998-99 में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति में उक्त योग्यताओं को मान्यता थी?

(3) क्या उक्त डिग्रीयों की मान्यता राज्य सरकार द्वारा अब समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में उर्दू अध्यापकों के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में उक्त डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार के पत्रांक : एफ2(7) जीए(बी)63 जयपुर दिनांक : 21.01.1965 के द्वारा रोज़गार हेतु मान्यता दी गई थी। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जामिया उर्दू, अलीगढ़ की अदीब कामिल, माहिर डिग्रीयों के आधार पर नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

उदयपुर शहर को जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित मानसी वाकल योजना

463. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी पूर्ति मे देवास योजना स्टेज-1 एवं स्टेज-2 की स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं व्यय होने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या देवास योजना के स्थान पर बाद में मानसी वाकल योजना के निर्माण हेतु कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई? यदि हां, तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केन्द्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई तथा इस पर कुल कितना व्यय होने वाला था तथा कब तक उक्त योजना को पूरा किया जाना था?

(3) मानसी वाकल योजना का शिलान्यास किसके द्वारा कब किया गया था तथा क्या उस समय उक्त योजना की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति थी? यदि नहीं, तो क्या जनता को भ्रमित करने का प्रयास था?

(4) क्या मानसी वाकल योजना के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान जिंक, जलदाय विभाग एवं राज्य सरकार के मध्य कोई समझौता लिखित या मौखिक करार हुआ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 1997 में हुए समझौते के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के लिये अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये एवं भूमि अवाप्ति हेतु कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु दिनांक 17 जून, 1968 को देवास स्टेज-1 योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 103.83 लाख रुपये की स्वीकृत हुई थी। इस परियोजना का बांध एवं टनल संबंधित निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित कराया गया जिसकी अनुमानित लागत 64.66 लाख रुपये थी। योजना के निर्माण कार्य में कुल राशि रुपये 103.85 लाख खर्च हुई थी एवं इसे वर्ष 1973 में पूर्ण कर लिया गया था। देवास स्टेज-2 परियोजना की स्वीकृति नहीं हुई थी।

(2) जी हां। देवास स्टेज-2 योजना के स्थान पर बाद में मानसी वाकल योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सिंचाई विभाग के पत्रांक 815 दिनांक 3.8.89 द्वारा रुपये 12.27 करोड़ की जारी की गई थी। परियोजना की कुल लागत जिसमें बांध निर्माण के साथ पाइप लाइन, पम्पिंग स्टेशन व अन्य आवश्यक कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति आर.डब्ल्यू.एस. एस.एम.बी. की नीति निर्धारण समिति 139वीं बैठक में दिनांक 11.6.2001 को स्वीकृति जारी की गई जिस पर 60 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है। पूर्ण मांग अनुसार यथा समय बजट उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य वर्ष 2004 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग सेंट्रल वाटर कमीशन से बांध की ड्राइंग व डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

(3) मानसी वाकल योजना का शिलान्यास तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय, श्रीमान् शिवचरण माथुर जी द्वारा दिनांक 20.6.89 को किया गया था। शिलान्यास के समय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उनके पत्र क्रमांक 2259/एफ.सी.एण्ड एस/89 दि. 21.7.89 द्वारा रुपये 12.27 करोड़ रुपये की जारी कर दी गई थी। अतः इसमें जनता को भ्रमित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(4) जी हां। इस योजना के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जन स्वास्थ्य

(सिंचाई मंत्री)

अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य सरकार के मध्य एक "मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टेंडिंग" पर दिनांक 11.2.97 को लिखित में करार हुए थे। जिसकी प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य "मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टेंडिंग" के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बांध निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति, स्थल परीक्षण व ड्राइंग-डिजाइन बनाया जाकर इसका अनुमोदन कार्य कराया जा चुका है। पाइप लाइन सर्वे व डिजाइन, बांध निर्माण कार्य प्रगति पर है। सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी झाड़ौल के मार्फत वर्ष 1993 से अब तक 236 लोगों को 35,43,258 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

(परिशिष्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत फुलाद (पाली) का अपूर्ण गंगाबाला एनीकट

464. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अकाल राहत एवं विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत वर्ष 2000-2001 में विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में एनीकट स्वीकृत किये हैं? यदि हां, तो कितने और प्रत्येक पर कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी खर्च हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत फुलाद में गंगाबाला एनीकट का निर्माण भी इसी वर्ष हुआ? यदि हां, तो उक्त एनीकट में कितने इंच पानी भरा रहा और नहीं, तो इसके क्या कारण रहे? क्या उक्त एनीकट अपूर्ण है? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो गया, इसकी स्वीकृति कितनी थी तथा खर्चा कितना हुआ?

(3) क्या गंगाबाला एनीकट का निर्माण पानी रोकने के उद्देश्य से किया गया है? क्या उक्त में सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है? यदि हां, तो उक्त के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर (सहायता) पाली द्वारा वर्ष 2000-2001 में अकाल राहत एवं आर.आइ.डी.एफ.-6 योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खारची में कुल 5 एनीकटों की स्वीकृति सिंचाई खण्ड पाली को जारी की गयी। कार्यवार स्वीकृत राशि, कार्य पर किये गये व्यय सहित सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) जी हां। इस वर्ष 2001 में आयी वर्षा से उक्त एनीकट अपनी निर्धारित पूर्ण भराव क्षमता एक मीटर तक भरा था। गंगाबाला एनीकट का कार्य पूर्ण है। इस कार्य हेतु 1.71 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई तथा 0.95 लाख रुपये का खर्च हुआ।

(3) जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

जी नहीं। उक्त एनीकट कार्य पर कोई सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं हुआ। अतः किसी प्रकार की किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम व द्वितीय चरण में सिंचित क्षेत्र

465. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम व द्वितीय चरण में कितनी एकड़ क्षेत्र कमाण्ड है ? अब तक कितने क्षेत्र में रबी तथा खरीफ की फसल बोई गई ?

(2) प्रथम चरण की नहरों में पानी के उपयोग की क्षमता कितनी है तथा कितने क्षेत्र को नहरों से सिंचित किया गया है और द्वितीय चरण में कितने पानी का उपयोग नहरों में हो रहा है तथा कितने क्षेत्र में फसलें बोई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण का कमाण्ड क्षेत्र क्रमशः 13.98 लाख एवं 34.84 लाख एकड़ है। परियोजना के प्रथम चरण में रबी के दौरान अधिकतम 7.20 लाख एकड़ तथा खरीफ के दौरान 7.67 लाख एकड़ तथा द्वितीय चरण में रबी के दौरान 2.80 लाख एकड़ तथा खरीफ के दौरान 3.81 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल बोई गई है।

(2) प्रथम चरण की नहरों में पानी के उपयोग की क्षमता 8302 क्यूसेक्स है, जिससे 14.87 लाख एकड़ अधिकतम क्षेत्र को सिंचित किया गया है, तथा द्वितीय चरण में 2.17 एम.ए.एफ. पानी का उपयोग नहरों में किया जाकर 6.61 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल बोई गई है। सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

गंगनहर, भाखरा तथा इन्दिरा गांधी नहरों में बंदी

466. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई व अगस्त, 2001 में गंगनहर, भाखरा तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरें बन्दियों की शिकार रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अवधि में उक्त तीनों परियोजनाओं में कितना पानी मिला ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में सतलज व व्यास नदियों का पानी फिरोजपुर हैड से पाकिस्तान जा रहा था ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तीनों ही सिंचाई प्रणालियों में माह जुलाई एवं अगस्त 2001 में बन्दी नहीं रही है। गंगनहर, भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु माह जुलाई एवं अगस्त 2001 में उपलब्ध करवाये गये पानी का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) का अपूर्ण एनीकट कार्य

467. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) के गोविन्द सागर एनीकट की कितनी राशि किस सन् में ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा स्वीकृत की गई ? स्वीकृत-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि स्वीकृत होने के बाद कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा कितनी राशि कब तक व्यय कर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट के निर्माण के संबंध में कुछ जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें की गई थी ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जांच करने पर शिकायत को झूठा पाया गया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रारम्भ में ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा जारी राशि में से कुछ ही राशि व्यय की गई ? यदि हां, तो शेष राशि को किस जगह खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि एनीकट की राशि को अन्यत्र व्यय कर दिये जाने के कारण पैसे के अभाव में कार्य रुका है जिसे पुनः प्रारम्भ करने के लिये ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर ने फिर से आवश्यक राशि की स्वीकृति जारी की है ? यदि हां, तो पुनः स्वीकृत राशि के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) अब तक उक्त एनीकट का निर्माण कार्य अधूरा पड़े रहने के क्या कारण है ?

(8) क्या सरकार उक्त एनीकट का निर्माण कार्य वर्षा पूर्व कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) उक्त एनीकट में हुये विलम्ब में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) के गोविन्द सागर एनीकट की 4.99 लाख रुपये की राशि वर्ष 1996-97 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर के पत्रांक 3135-40 दिनांक 11.3.1997 द्वारा स्वीकृत की गई। स्वीकृति की प्रति प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) राशि स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त कार्य मई-जून, 1998 में प्रारम्भ हुआ एवं जून, 2001 तक कुल 3.53 लाख व्यय किया गया।

(3) जी हां। प्राप्त शिकायतों की प्रतियां प्रपत्र-"ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। जांच की प्रति प्रपत्र-"स" पर संलग्न है।

(सिंचाई मंत्री)

(5) जी नहीं। प्रारम्भ में जारी 1.25 लाख रुपये का उपयोग इसी कार्य पर किया गया है।

(6) जी नहीं। अभिकरण के द्वारा फिर से आवश्यक राशि की स्वीकृति अभी जारी नहीं की है।

(7) प्रारम्भ में सरपंच बेरोडा बिछोछ एवं प्रधान पंचायत समिति बामनवास आदि क्षेत्र के कुछ जन प्रतिनिधियों के विरोध के कारण कार्य कई बार बन्द रहा एवं वर्तमान में संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में बंद है।

(8) संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव है।

(9) एनीकट के निर्माण में हुए विलम्ब के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(प्रपत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील घाटोल, बांसवाड़ा की स्वीकृत बोरी-बानघाटी सिंचाई परियोजना

468. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल में अति महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना बोरी-बानघाटी स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(2) अब उक्त योजना स्वीकृत होने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है और उक्त योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

(3) उक्त योजना के प्रारम्भ होने में क्या-क्या समस्या आ रही है? क्या सरकार उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु कोई समुचित कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त परियोजना वर्ष 1996-97 में विभाग द्वारा तैयार की गई परन्तु वन विभाग से सहमति अभी अपेक्षित है।

(2) उक्त परियोजना के डूब क्षेत्र में वन विभाग की संरक्षित भूमि आती है, जिसकी स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् ही उक्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव होगा।

(3) इस परियोजना के डूब क्षेत्र में मुख्यतया वन विभाग की संरक्षित भूमि आने के कारण ही परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। वन विभाग से भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रकरण राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को जून, 2000 में प्रेषित किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की कच्ची नहरें/वितरिकाएं

469. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संजीव बेनीवाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की कई नहरें/माइनर एवं वितरिकाएं अभी तक कच्ची है जिससे कि किसानों को सिंचाई का पूरा पानी मिलने में बाधा उत्पन्न होती है? यदि हां तो ऐसी नहरों/माइनरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की उक्त नहरों/माइनरों एवं वितरिकाओं को शीघ्र पक्का करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा की भाखड़ा परियोजना की अमर सिंह सब ब्रांच प्रणाली की कच्ची नहरें/वितरिकाएं एवं माइनरें की सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त वितरिकाओं एवं माइनरों को पक्का करने की योजना अनुमानित लागत रुपये 3330.54 लाख की आधुनिकीकरण परियोजना, आर.डब्ल्यू. एस.आर.पी., के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की चुकी है। प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

भाखड़ा नांगल सिंचाई प्रणाली झांसल वितरिका में सिंचाई हेतु जल वितरण

470. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की झांसल वितरिका के टेल पर गत कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त झांसल वितरिका के टेल पर पानी नहीं पहुंचने के क्या कारण है?

(3) क्या सरकार झांसल वितरिका के टेल के काश्तकारों को सिंचाई हेतु शीघ्र पानी दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की झांसल वितरिका के टेल पर पानी पहुंचता है, परन्तु यह निर्धारित मात्रा से कम होता है।

(2) भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की झांसल वितरिका में सिंचाई हेतु पानी अमर सिंह ब्रांच के माध्यम से हरियाणा राज्य की नहरों से प्राप्त होता है। हरियाणा सरकार द्वारा नहरों का पानी देने के लिए निर्धारित चक्रीय प्रणाली अनुसार इस नहर में पानी उपलब्ध होता है। चक्रीय प्रणाली में तीन ग्रुप बनाये हुए हैं। और बारी-बारी से प्रथम वरीयता के ग्रुप को एक-एक करके चलाया जाता है। फिर भी हरियाणा सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रथम वरीयता में भी निर्धारित मात्रा में पानी नहीं देने से झांसल वितरिका में भी पानी कम रहता है। इसके लिए प्रायः समय-समय पर तार, टेलीफोन, फैक्स व पत्रों के माध्यम से हरियाणा के सिंचाई अधिकारियों को निर्धारित मात्रा में पानी देने हेतु ताकीद की जाती है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां। झांसल वितरिका की टेल पर निर्धारित मात्रा में समय पर पानी पहुंचने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु पानी हरियाणा राज्य से प्राप्त होता है, अतः पानी की उपलब्धता पर नियन्त्रण राजस्थान का नहीं होने के कारण इसमें बाधाएं आती रही हैं। झांसल वितरिका के टेल के क्षेत्र को सिद्वमुख परियोजना की रतनपुरा वितरिका, भिरानी माईनर व बोर्डर माइनर से सिंचाई जल उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव है। रतनपुरा वितरिका का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं इसके पूर्ण होने पर क्षेत्र के कृषकों को लाभ हो सकेगा।

सिंचाई परियोजना फलिया की प्रशासनिक स्वीकृति

471. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सिंचाई परियोजना फलिया की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है? यदि हां, तो कब और कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जावेगा?

उत्तर

जी नहीं। फलिया लघु सिंचाई परियोजना जिला बारां के अनुमान को राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने के कारण अनुमानित लागत 126.90 लाख रुपये के लिए अनुमोदित की जा चुकी है एवं परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा रही हैं। योजना को नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ.-7 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर परियोजना कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जगन्नाथ जी महादेव मन्दिर जालौर के सामने बने एनीकट की खुदाई

472. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर के जगन्नाथ जी महादेव मन्दिर के सामने झरने में एक एनीकट पूर्व में बनाया था?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ वर्षों में पानी के बहने से एवं पानी के साथ धूल के आने से एनीकट धूल से भर गया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट धार्मिक स्थल होने से श्रद्धालुओं के लिये आने-जाने वाले यात्रियों के लिये पेयजल स्रोत है? क्या सरकार इसे पुनः खुदवा कर धूल निकलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु उक्त एनीकट को सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई मद में एनीकटों का कोई कार्य नहीं किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

473. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां कब से कार्यरत हैं ?

(2) उक्त चिकित्सालयों में कहां-कहां कौन-कौन चिकित्सक या अन्य कर्मी कब से कार्यरत है और कितने पद किस-किस वर्ग के रिक्त है ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या गत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान आम जनता से प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1999-2000 से सितम्बर 2001 तक उक्त चिकित्सालयों को कितनी राशि आबंटित हुई और उक्त में से कितनी व्यय हुई ? उक्त अवधि में उक्त चिकित्सालयों में कितने बीमार पशुओं का इलाज हुआ है ? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में पालतू/अपालतू पशुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार को समय-समय पर और पशु चिकित्सालय खोलने बाबत कोई पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 6 पशु चिकित्सालय निम्नांकित स्थानों पर अंकित अवधि से कार्यरत है :—

1. पशु चिकित्सालय, बस्सी	12/82 से
2. पशु चिकित्सालय, तूंगा	05/89 से
3. पशु चिकित्सालय, बांसखो	03/85 से
4. पशु चिकित्सालय, कानोता	09/92 से
5. पशु चिकित्सालय, माधोपुरा	09/98 से
6. पशु चिकित्सालय, देवगांव	1995-96 से

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सूची "क" संलग्न है। इन पशु चिकित्सालयों में कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) जी हां। गत तीन वर्षों में किये गये निरीक्षणों के दौरान आम जनता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) विधान सभा क्षेत्रवार बजट आबंटित नहीं किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कार्यरत 6 पशु चिकित्सालयों द्वारा वर्ष 1999-2000 से सितम्बर, 2001 तक व्यय राशि व बीमार पशुओं की चिकित्सा का संस्थावार विवरण सूची "ख" संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(5) जी हां। सीमित बजट उपलब्धता के कारण नई पशु चिकित्सा संस्था खोलना सम्भव नहीं है।

(6) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

जिला कोटा में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

474. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा और बारां की पंचायत समिति, अटरू, बारां, शाहबाद, छबड़ा, तथा सांगोद, खैरावाद, लाड़पुरा अर्न्तगत किन-किन स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ?

(2) उक्त केन्द्रों पर कितनी-कितनी गायों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया ? उक्त केन्द्रों पर कितनी-कितनी तरल नाइट्रोजन दी गई ?

उत्तर

(1) जिला बारां की पंचायत समिति अटरू, बारां, शाहबाद, छबड़ा, तथा जिला कोटा की पंचायत समिति, सांगोद, खैराबाद, शाहपुरा, लाड़पुरा के अर्न्तगत निम्नांकित स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित किये जा रहे है :—

जिला	पंचायत समिति	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
बारां	बारां	बारां, कोयला, माथना, फतेहपुर, मंडोली, बामना, मुन्दलक
	शाहबाद	शाहबाद, केलवाड़ा, राजपुरा, देवरी, कस्बा थाना, समरानिया
	अटरू	मूडला-बिसोती, चरडाना, अटरू, कवाई, बडोरा, कुन्जेड़, सकतपुर, ननावता, फूलबड़ोद
	छबड़ा	छबड़ा, जैपला, पाली
कोटा	खैरावाद	रामगंजमंडी, चेचट, सुकेल, मोडक
	सांगोद	सांगोद, कनवास, मोईकलां, आबां, देवली
	लाडपुरा	लाडपुरा, सिविल लाइन-कोटा, विज्ञान नगर-कोटा, किशनपुरा तकिया, मण्डाला, बौराबास, बालोता, गोपालमील, कैथून, ताथेड, मानसगांव, बडगांव, काला-तालाब, बोरखेड़ा, रायपुरा, नयागांव, खेडारसूलपुर, अन्नतपुरा, अरण्डखेड़ा, सकतपुरा

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) उक्त केन्द्रों की कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति तथा तरल नाइट्रोजन वितरित की गई मात्रा की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

जिला नागौर में अध्यापकों के रिक्त पद

475. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद विभिन्न पाठशालाओं में सृजित हैं तथा कितने अध्यापक उक्त पाठशालाओं में कार्यरत है और कितने पद रिक्त हैं? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा इस शिक्षा सत्र 2001-2002 के दौरान बंद कर दी गई है? यदि हां, तो वर्तमान में रिक्त पदों को किस प्रकार भरा जा सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत नागौर जिले में संचालित विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। नव नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटने पर ही रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

476. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कौन-कौन से विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के विद्यालयों में रिक्त पदों का पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में प्रस्तावित स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के भवन

477. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ज़िला बाड़मेर व जैसलमेर में वर्ष 2000-2001 में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के कितने पक्के भवन बनाए

(श्री अमीन खान)

गए हैं और कितने भवन बनाने शेष हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में शिक्षाकर्मी स्कूल कितने हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला बाड़मेर में 93 तथा जिला जैसलमेर में कोई भवन नहीं बनाया गया है। जिला बाड़मेर व जैसलमेर में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के निर्मित, निर्माणाधीन तथा भवनविहीन का विवरण पंचायत समितिवार परिशिष्ट-क, ख संलग्न है।

(2) बाड़मेर में 199 एवं जिला जैसलमेर में 28 शिक्षाकर्मी स्कूल है। पंचायत समितिवार संख्या निम्नानुसार है :

जिला	पंचायत समिति	शिक्षाकर्मी स्कूलों की संख्या
1	2	3
बाडमेर	सिवाना	28
	बाड़मेर	21
	सिणधरी	13
	शिव	14
	बालोतरा	37
	धौरीमन्ना	07
	चौहटन	41
	बायतू	38
	योग	199
जैसलमेर	सम	04
	सांकडा	24
	योग	28

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-478

(स्थगित)

ग्राम पंचायत मारोठ (नागौर) में स्वर्ण जयन्ती पाठशाला भवन निर्माण

479. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 में ग्राम पंचायत मारोठ पंचायत समिति कुचामन (नागौर) में क्या राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला अकाल राहत व दसवें वित्त आयोग से मटीरियल कम्पाउंडेड मिलाकर करने के लिये 2.14 लाख की स्वीकृति जारी हुई थी? यदि हां, तो उक्त पाठशाला का निर्माण कार्य किस तिथि को प्रारम्भ होकर पूर्ण किया गया? क्या अकाल राहत की निर्धारित अवधि में काम पूरा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण काम की माप-पुस्तिका में किस संबंधित अभियन्ता द्वारा किस तिथि को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया व माप-पुस्तिका के आधार पर उक्त निर्माण का क्या मूल्यांकन किया व इस काम के लिये राशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र कब जारी हुआ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(3) उक्त निर्माण में तत्कालीन सरपंच द्वारा कितनी उदरत राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई तथा पंचायत समिति ने उक्त निर्माण की बकाया सम्पूर्ण राशि ग्राम पंचायत मारोठ को किस तिथि को कितनी राशि का भुगतान किया व उससे उदरत राशि का वापस भुगतान तत्कालीन सरपंच को क्यों नहीं किया ?

(4) क्या उक्त निर्माण में अकाल राहत कार्य के अतिरिक्त भी कोई नया निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उसका मूल्यांकन कितना है? क्या उक्त राशि पंचायत अपनी निजी आय से खर्च करने के लिये सक्षम है? क्या ग्राम सभा ने उक्त व्यय की गई राशि की पुष्टि कर दी है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त पाठशाला का निर्माण कार्य दिनांक 26.5.1999 को प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 15.8.1999 को पूर्ण हुआ। यह कार्य अकाल राहत की निर्धारित अवधि के बाद दसवें वित्त आयोग के तहत पूर्ण हुआ।

(2) उक्त निर्माण कार्य की माप-पुस्तिका में अंकन की तिथि व उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि जारी प्रमाण-पत्र में अंकित नहीं है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त निर्माण कार्य तत्कालीन सरपंच द्वारा 63471/- रुपये का भुगतान स्वयं के पास से किया। उक्त निर्माण कार्य की बकाया राशि 63471/- रुपये में से 50476/- रुपये का भुगतान ग्राम पंचायत मारोठ को दिनांक 31.1.2001 को किया गया। पूर्व सरपंच द्वारा रुपये 12741/- स्वीकृति से अधिक व्यय किये है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व सरपंच के विरुद्ध विभिन्न मामलों वसूली प्रस्तावित होने के कारण वर्तमान सरपंच ने रोक रखी है।

(4) जी हां। अकाल राहत के अतिरिक्त भी निर्माण कार्य करवाया गया। चूंकि अतिरिक्त कार्य की कोई सक्षम स्वीकृति नहीं थी इसलिए मूल्यांकन नहीं करवाया गया। अतिरिक्त कार्य पर हुए व्यय की ग्राम सभा द्वारा पुष्टि नहीं की गई।

(प्रमाण पत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत देवली (नागौर) के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच

480. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति कुचामन (नागौर) के ग्राम माथासूखा में वर्ष 1997 के दौरान कराये गये सामुदायिक भवन का निर्माण सरपंच श्री नारायण लाल चौधरी की देख-रेख में सम्पन्न करवाया गया? उक्त निर्माण कार्य में लगे कारीगरों को व मजदूरों तथा पत्थर डालने वालों का भुगतान सरपंच द्वारा अभी तक नही करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(2) क्या उक्त शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी परबतसर को करने के निर्देश जिला सतर्कता समिति सचिव द्वारा दिये गये थे? क्या उप खण्ड अधिकारी ने उसकी जांच की है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या ग्राम मींडा के नया बास में निर्मित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के बकाया भुगतान के संबंध में जिला सतर्कता समिति के सचिव विकास अधिकारी पंचायत समिति को माह अगस्त में निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त संबंध में विकास अधिकारी ने क्या तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है? विवरण सदन की मेज पर रखें। बकाया भुगतान अब तक न करने के संबंध में सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य पर लगे कारीगरों, मजदूरों व पत्थर डालने वालों का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(2) जी हां। शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी परबतसर से कराने के निर्देश जिला सतर्कता समिति द्वारा दिये गये थे। उप खण्ड अधिकारी द्वारा की गयी जांच से संबंधित रिपोर्ट संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत मींडा के नया बास में निर्मित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के भवन के संबंध में जिला सर्तकता समिति द्वारा विकास अधिकारी को निर्देश प्रदान किये थे। विकास अधिकारी द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इस स्कूल के पेटे पूर्व सरपंच श्री सरदाराराम के नाम से कोई राशि बकाया नहीं है। इस कार्य पर श्री बोदूराम पुत्र श्री तुलछाराम कुमावत निवासी भीण्डा द्वारा दी गयी अमानत राशि जमा है। उनके द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर उक्त राशि का भुगतान उन्हें कर दिया जायेगा।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कोटा द्वारा रोक के बावजूद किये गये स्थानान्तरणों की जांच

481. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 2 अक्टूबर, 2001 से पूरे राज्य में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम को मध्य नजर रखते हुए राज्य के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा रखा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कोटा व ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी इटावा के द्वारा पंचायत समिति इटावा के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों को निरस्त करने व दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 18.9.2001 से विभाग में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। किन्तु प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप समुचित संख्या में अध्यापक लगाने के निर्देश भी हैं।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (प्राशि) इटावा (कोटा) द्वारा स्थानान्तरण/अधिशेष अध्यापकों का समायोजन किये गये अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी नहीं। क्योंकि ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (प्राशि) इटावा ने उक्त स्थानान्तरण राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार ही किये है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

विकास अधिकारी के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

482. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति में शिक्षा अधिकारी ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये है?

(2) क्या यह भी सही है कि कई विकास अधिकारी शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर है?

(3) क्या यह सही है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी पर छुट्टी आदि का नियंत्रण विकास अधिकारी को दे रखा है?

(4) क्या यह भी सही है कि कई ब्लाकों में कनिष्ठ अधिकारी विकास अधिकारी पद पर हैं, जिससे वरिष्ठ ब्लाक शिक्षा अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं?

(5) क्या सरकार सभी विकास अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों के केडर में नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) विकास अधिकारी के पद पर विशेष चयन राजस्थान सिविल सेवाएं (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ट शर्तें) नियम 1982 के अन्तर्गत उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी द्वारा किया जाता है इसलिये विशेष प्रक्रिया द्वारा ही विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापन होता है जिससे असमंजस की कोई स्थिति नहीं रह जाती है।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 20 पद ही विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित कर रखे हैं। समय-समय पर अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकास अधिकारी के समस्त पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पदस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

नगरपालिका उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में शाला भवन का निर्माण

483. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की नगरपालिका उदयपुरवाटी के वार्ड नं. 6 में शाला भवन के निर्माण कार्य को निदेशक, शिक्षा बीकानेर के आदेश से रोका गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शाला भवन का निर्माण कार्य छत स्तर तक हो चुका है, एक लाख के करीब रुपया खर्च हो चुका है तथा मुख्य मंत्री कार्यालय से निदेशक को स्पष्ट लिख दिया गया है कि मुख्य मंत्री कार्यालय से कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किंये गये हैं फिर भी कार्य को चालू करने के आदेश निदेशक के कार्यालय से जारी नहीं किये जा रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन के स्थान, उपयोगिता, निर्मित कार्य आदि के बारे में पूरी जांच जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाकर रिपोर्ट भेजी जा चुकी है फिर भी कार्य चालू करने के आदेश जारी नही हो रहे हैं? अब आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। उप सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 4-4-2001 में संलग्न शिकायत तथा नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश की पालना में निर्माण कार्य को अस्थाई तौर पर रोका गया।

(2) निदेशालय के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19-10-2001 के द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त चालू करने के निर्देश जिला शिक्षा (प्रा.शि.), झुंझुनूं को दिये गये है। निर्माण कार्य पुनः शुरू हो चुका है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-02 के अनुसार।

पंचायती राज व्यसस्था के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकार

484. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को काफी अधिकार दिये गये हैं? क्या उक्त अधिकारों का सही दिशा में सही उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या केन्द्र/राज्य प्रदत्त विभिन्न योजनाओं के कई कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी प्रारम्भ से अब तक ग्राम पंचायतों को बनाया

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

जाता रहा है? क्या पंचायत ने स्वराज के अनुसार विकास कार्य किया है? यदि हां, तो राज्य विकास के क्षेत्रों में क्यों पिछड़ा हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र/राज्य की वित्तीय निधि को विभिन्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किया जाता है, फिर भी कार्य निर्धारित मानदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं होते हैं और किया गया निर्माण कुछ समय में ही नष्ट हो जाता है? क्या उक्त से वित्तीय निधि को हानि नहीं होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संविधान के 73 वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई है, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेती है। इसमें ग्रामीणों की प्रशासन में सहभागिता में वृद्धि हुई है।

(2) जी हां। केन्द्र/राज्य प्रदत्त विभिन्न योजनाओं के कई कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा आबंटित धन राशि के अनुपात में कराये जा रहे है। इस प्रकार विकास कार्यों में गति प्रदान की जा रही है।

(3) जी हां। सामान्यतया यह कथन सत्य नहीं है कि निर्माण कार्य कुछ समय में ही नष्ट हो जाते हैं। जो कार्य मानदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं होते हैं और कुछ समय में नष्ट हो जाते है उनमें सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है एवं वित्तीय हानि की वसूली भी नियमानुसार की जाती है।

विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं हेतु निःशुल्क वितरण हेतु प्राप्त पुस्तकों का रख-रखाव

485. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो किसके द्वारा वितरित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुस्तकों की संख्या विद्यालय में किस आधार पर भेजी जाती है? क्या भेजी गई पुस्तकें पूर्ण छात्रों को मिल पाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वितरण के लिए भेजी जाने वाली पुस्तकें पूर्ण वितरित हो जाती है? यदि नहीं, तो शेष रही पुस्तकों का क्या किया जाता है एवं पुस्तकों की देख-रेख करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण की जाने वाली पुस्तकों को इस वर्ष दीमक खा गई? यदि हां, तो उक्त पुस्तकों का वितरण नहीं किये जाने का क्या कारण रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(5) क्या सरकार ने पुस्तकों को दीमक खा जाने पर किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त छात्राओं तथा कक्षा 1 से 5 तक के समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित नोडल अधिकारी द्वारा संस्था प्रधानों को उपलब्ध कारवाई जाती है। संस्था प्रधानों के माध्यम से छात्र/छात्राओं को वितरित की जाती है।

(2) सत्र की छात्र संख्या को आधार मानकर सम्भावित मांग विद्यालयों द्वारा भेजी जाती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नियमानुसार सभी छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करवा दी जाती है।

(3) वितरण पश्चात् शेष रही पुस्तकें आगामी सत्र के उपयोग हेतु संस्था प्रधानों की देखरेख में विद्यालयों में सुरक्षित रखी जाती है।

(4) निःशुल्क वितरण की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को दीमक खाने सम्बन्धित प्रकाशित समाचार के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच प्रक्रियाधीन है।

(5) जांच प्रक्रियाधीन है, जांचोंपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की जांच

486. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ने सत्र 2001-2002 में अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु दिनांक 19-5-2001 को परिपत्र सं./शिविरा/प्राथ/सं./शिक्षा/एफ. 4/927/99-2001 तथा पंचायती राज विभाग का परिपत्र 19-5-2001 तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर का 29-9-01 जारी किये थे? यदि हां, तो सरकार द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर जिला चूरू व तहसील चूरू में कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये? क्या स्थानान्तरण से पूर्व सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति चूरू व जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू ने पंचायत समिति, चूरू व जिला परिषद् चूरू की प्रशासनिक व स्थाई समिति से स्वीकृति ले ली थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), चूरू व ब्लाक प्रभारी शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, चूरू ने शैक्षिक व्यवस्था हेतु 48 अध्यापकों के स्थानान्तरण दिनांक 5-10-2001 को किये? यदि हां, तो स्थानान्तरण से पूर्व सम्बन्धित प्रधान व पंचायत समिति की प्रशासनिक व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शिक्षा समिति में स्वीकृति ले ली? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार बिना प्रशासनिक स्थाई समिति व प्रधान के अनुमोदन पर किये गये स्थानान्तरणों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), चूरू द्वारा बिना छात्र संख्या के अनुपात के अनियमित स्थानान्तरण करने की शिकायत उप निदेशक, शिक्षा, चूरू को प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जिला चूरू में कुल 309 शिक्षकों के स्थानान्तरण किए गए जिसमें से पंचायत समिति, चूरू में 54 शिक्षकों के स्थानान्तरण किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., चूरू एवं ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, चूरू ने जिला परिषद् एवं पंचायत समिति, चूरू की प्रशासन एवं स्थापना समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति चूरू द्वारा 41 शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया गया है। यह स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस व्यवस्था हेतु पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अस्थाई व्यवस्था है।

(3) जी हां। जांच प्रक्रियान्तर्गत है।

सरपंच ग्राम पंचायत रौपा (भीलवाड़ा) द्वारा जारी भूमि विक्रय पट्टों की जांच

487. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 से 1999-2000 तक ग्राम पंचायत रौपा तहसील जहाजपुर में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 21-12-1985 को भूमि विक्रय पर रोक लगाये जाने के पश्चात् भी सरपंच द्वारा भूमि विक्रय कर पट्टे जारी किये गये है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितने पट्टे किस-किस अवधि के निरस्त किये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चरण नं.1 में अंकित अवधि के दौरान सरपंच द्वारा अनियमित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि व पुश्तैनी भूमि बता कर बाद में नीलामी द्वारा भूमि विक्रय करने की गम्भीर शिकायत की जांच जिला कलक्टर द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो कब से? उक्त में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? विवरण सदन की में पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसी गम्भीर अनियमितता/आदेशों की अवहेलना जैसी शिकायतों की जांच कराने हेतु विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सत्य है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 21.12.85 के द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत रौपा को यह आदेश दिये कि गाडरियों के चोक स्थित भूखण्ड अन्य आदेश तक नीलाम नहीं किये जावें तथा इस सम्बन्धी समस्त पत्रावलियां इस कार्यालय में प्रस्तुत कर संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी को हस्तगत करे। इस प्रकरण की जांच जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 17.7.2001 के अनुसार उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा कर रहे है। जांच के उपरान्त ही अनियमित तौर पर जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी हां। नागरिक दल रौपा द्वारा तत्कालीन जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यह ध्यान में लाया गया कि ग्राम पंचायत रौपा द्वारा गाडरियों के चौक में भूमि के प्लाट नीलाम किये जा रहे हैं। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा से जांच कराई जा रही है।

(3) उक्त प्रकरण की जांच करने हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा को पूर्व से ही अधिकृत किया हुआ है।

जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर का अवकाश प्रकरण

488. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जालौर अपने वर्तमान पद पर कब से कार्यरत है?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जालौर अधिकांश समय अवकाश पर ही रहते है? क्या उक्त कारण राज कार्य में बाधा होती है? उक्त अधिकारी वर्तमान कार्यकाल के दौरान कितने दिवस अवकाश पर रहे है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, जालौर द्वारा उक्त अधिकारी को कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा राज कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिला परिषद्, जालौर में उपस्थिति देने हेतु नोटिस दिया था? क्या उक्त की पालना हुई?

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि.) जालौर अपने वर्तमान स्थान पर दिनांक 12.2.2001 से कार्यरत है।

(2) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि.), जालौर वर्तमान कार्यकाल के दौरान 46 दिन अवकाश पर रहे। जिनका वितरण इस प्रकार है।

(पंचायती राज मंत्री)

माह	अवकाश	अवकाश का प्रकार
फरवरी, 01	05	मेडिकल अवकाश
मार्च, 01	शून्य	
अप्रैल, 01	शून्य	
मई, जून, 01	शून्य	
जुलाई, 01	02	आक. अवकाश
अगस्त, 01	09	मेडिकल अवकाश
सितम्बर, 01	06	01 आक., 05 मेडिकल अवकाश
अक्टूबर, 01	14	01 आकस्मिक, 13 मेडिकल अवकाश
17 नवम्बर 01 तक	10	मेडिकल अवकाश
	46	

(3) जिला कलक्टर, जालौर के निर्देशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जालौर द्वारा पत्र दिया गया। उक्त पत्र के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से दिनांक 1.11.2001 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर सम्पर्क किया है।

(4) विभाग में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड का समापन

489. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है तथा आबंटित राशि भी कम हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान बजट में रुपये 120 करोड़ राशि उक्त नहर परियोजना में व्यय करने का प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि आबंटित बजट की 60 प्रतिशत राशि संस्थापन व्यय में व्यय होती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि नहर बोर्ड पर प्रतिवर्ष चार करोड़ की राशि व्यय की जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि बोर्ड का कार्य विभाग द्वारा किया जा सकता है ?

(6) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड को समाप्त करने का विचार रखी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अब तक परियोजना का 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है।

(2) वर्ष 2001-2002 में इस विभाग को रुपये 115 करोड़ स्वीकृत हुए थे। अब यह राशि संशोधित कर रुपये 160 करोड़ हो गयी है।

(3) जी नहीं। इस वर्ष आबंटित बजट राशि रुपये 160 करोड़ में से संस्थापन पर रुपये 36.23 करोड़ व्यय किये जावेंगे।

(4) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड एवं विभाग पर सम्मिलित वर्ष 2000-2001 में 1.56 करोड़ की राशि खर्च हुई है।

(इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(5) जी नहीं। समबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को त्वरित गति से पूर्ण करने के लिए मण्डल का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है।

(6) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लागत रुपये 3995 करोड़ है तथा मार्च, 2001 तक 2205 करोड़ व्यय हो चुके हैं जो कि कुल लागत का 55 प्रतिशत है। शेष 45 प्रतिशत कार्य सम्पादित करने हेतु मण्डल का रहना नितान्त आवश्यक है। अतः इस मण्डल को समाप्त करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जिला धौलपुर के वन विहार पर्यटन क्षेत्र को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

490. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला धौलपुर में वन विहार को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के लिये पूर्व में निर्णय लिया था?

(2) क्या उक्त क्षेत्र को विकसित किये जाने के स्थान पर वहां के दुर्लभ साज-सामान का नष्ट कर दिया? यदि हां, तो उक्त भवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वहां की स्थिति को नष्ट किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचरियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990-91 में वन विहार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु वन विभाग से राजस्थान पर्यटन विकास निगम को दिनांक 15-12-1990 को हस्तान्तरित किया गया था।

(2) यह सही नहीं है कि वहां के दुर्लभ साज-सामान को नष्ट कर दिया गया है। निगम द्वारा भवन का संधारण व साज-सज्जा कर इसका संचालन किया गया परन्तु निरन्तर हो रही हानि को दृष्टिगत रखते हुए निगम के संचालन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 1996 मे ईकाइ को बन्द कर, पुनः वन विभाग को दिनांक 16-8-1996 को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

491. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 में कितने विज्ञापन किन-किन को कितनी-कितनी राशि के दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त विज्ञापनों पर व्यय की गई राशि के एवज में निगम को कितना लाभ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पर्यटन निगम ने वर्ष 2000-2001 में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या गिफ्ट

(श्री धर्मपाल चौधरी)

विशिष्ट व्यक्तियों को दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गिफ्टों पर निगम द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा वर्ष 2000-2001 में दिये गये विज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) विज्ञापन जारी करने के पश्चात् विज्ञापन का असर या व्यवसाय पर मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में नहीं किया जा सकता। इसलिए इन विज्ञापनों से निगम को कितना लाभ हुआ, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। विज्ञापन जारी करने के बाद आय कब होती है या व्यवसाय पर असर कब होगा, यह निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) निगम में वर्ष 2000-2001 में विशिष्ट व्यक्तियों को गिफ्ट प्रदान नहीं किये गए।

(4) शून्य।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

जिला झुंझुनूं व सीकर के पर्यटन की दृष्टि से प्रस्तावित स्थान

492. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं के लोहारगल, किरोडी तथा ज़िला सीकर के शाकम्भरी स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु क्या-क्या कार्य गत पांच वर्षों में हाथ में लिये गये ?

(2) उक्त पर कितनी-कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय की गई और अधूरे रहे कार्यों को पूरा करने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं के लोहारगल, किरोड़ी तथा ज़िला सीकर के शाकम्भरी के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से गत पांच वर्षों में कराये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों पर प्रति वर्ष व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। एक कार्य प्लेट फार्म एवं कुण्ड के चारों तरफ स्टोन सैण्ड निर्माण कार्य किरोडी में निर्माणाधीन चल रहा है, जिसके लिये वांछित धनराशि सम्बन्धित कार्यकारी अभिकरण को उपलब्ध करवा दी गई है। उक्त कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा करने के विभागीय प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

493. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में विधायक कोटे से किन-किन गांवों में कितनी

(श्री हबीबुर्रहमान)

राशि की स्वीकृति निकली और उक्त में से कितने बाकी रहे ?

(2) उक्त कार्यों में वास्तविक रूप से कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिन-जिन ग्रामों में जितनी-जितनी राशि की स्वीकृति जारी हुई उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर अंकितानुसार है। कुल स्वीकृत 116 कार्यों में से 70 कार्य पूर्ण हुये एवं 46 कार्य बाकी रहे।

(2) उक्त कार्यों पर 83.57 लाख रुपये व्यय हुये हैं, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम 6 पर अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

कालेज शिक्षा निदेशालय द्वारा दूरभाष पर जारी स्थानान्तरण आदेश

494. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालेज शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर, 1999 में 230 व्याख्याताओं के विभिन्न कालेजों में स्थानान्तरण किये ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2000 में 200 व्याख्याताओं, 12 प्राचार्यों एवं उपाचार्यों का स्थानान्तरण दूरभाष पर किये गये तथा दूरभाष पर ही कार्य मुक्त करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो दूरभाष पर की गई वार्ता के बिल के भुगतान की रसीद सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कालेज निदेशक, द्वारा प्रश्न क्रमांक 2 के तहत स्थानान्तरित 34 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण निरस्त किये गये ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्थानान्तरण आदेश में कितने अधिकारियों को यात्रा एवं स्थानान्तरण भत्ता दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मात्र 22 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण किये गये हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न के खण्ड (2) के प्रत्युत्तर के अनुसार जब स्थानान्तरण ही नहीं किये गये तो यात्रा एवं स्थानान्तरण भत्ते का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुलपति द्वारा शिक्षकों को नियम विरुद्ध आवास आबंटन

495. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगत सिंह दायमा)

(1) क्या डा. (श्रीमती) बी.एल. कोटिया को एल-3-ए, डा. लीना परमार को एल-1-ए, डा. सतीश शास्त्री को एल-2-ए मकानों के आबंटन-पत्र जारी किये हैं? यदि हां, तो संबंधित आबंटन-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटन पत्र किस-किस अधिकारी के आदेशों के अनुसरण में आवास आबंटन नियमों के किस-किस नियम के तहत जारी किये गये हैं?

(3) क्या आवास आबंटन समिति की सिफारिशों के बगैर भी कुलपति किसी शिक्षक को आवास स्थाई तौर पर आबंटित कर सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? आवास आबंटन समिति की बैठक दिनांक 28-11-1997 की कार्यवाही वृतान्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-4-1997 की अनुपालना में किन-किन कर्मचारियों को किस किस दिनांक को नोटिस दिये गये? कर्मचारियों की सूची जारी किये गये नोटिसों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को पैनल रेन्ट व बकाया पैनल रेन्ट राशियां कर्मचारियों से काटने की लिखित सूचना जून, 2001 में देने के बावजूद ये दोनों की कटौतियां जून व जुलाई माह में क्यों नहीं की गई? उक्त में कुल कितने कर्मचारी डिफाल्टर है और जुलाई में किस-किस कर्मचारी से ये दोनों कटौतियां एक साथ की गई और कितनी-कितनी राशि वसूल की गई?

(6) क्या डा. पी. डी. शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल को कुलपति आदेश दिनांक 28-6-2000 के अनुसरण में डिफाल्टर घोषित किया है? यदि हां, तो कुलपति कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या डा. आर. डी. गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर ने आवास, आवास समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध एक ज्ञापन दिनांक 6-4-1999 व नोटिस दिनांक 7-4-1997 के विरुद्ध ज्ञापन दिनांक 17-4-1999 विश्वविद्यालय को दिया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जारी आबंटन पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट-1-ए, 1-बी एवं 1-सी)

(2) उक्त आबंटन पत्र आबंटन समिति की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये है। यह आबंटन पत्र विश्वविद्यालय आवास आबंटन नियम 1982 के तहत जारी किये गये है।

(3) जी नहीं। दिनांक 28.11.1997 को हुई आवास आबंटन समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश दिनांक 21.11.2000 द्वारा कुलपति कोटे में डिफाल्टर

(उच्च शिक्षा मंत्री)

55 कर्मचारियों की सूची जारी कर पैनल रेन्ट वसूलने के आदेश जारी किये गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को पैनल रेन्ट व बकाया रेन्ट राशियां कर्मचारियों से काटने की कोई लिखित सूचना नहीं दी गयी, लेकिन कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.6.2001 के द्वारा कर्मचारियों के वेतन से नियमित कटौती के निर्देश प्रसारित किये गये। तदनुसार जून, 2001 से ही सम्बन्धित कर्मचारियों से नियमित वसूली की जा रही है।

(6) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (संलग्न-परिशिष्ट-4)

(7) डा. आर. डी. गुर्जर ने 6-4-1999 व 17-4-1999 को ज्ञापन प्रस्तुत किये। इन पर कुलपति ने पत्र संख्या 1864 दिनांक 22.4.1999 द्वारा आवास आबंटन समिति की सिफारिशों को स्थगित कर दिया तथा नोटिस दिनांक 7.4.1997 को आदेश दिनांक 22.4.1997 के द्वारा वापस ले लिया गया।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय

496. डा. कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या आयुर्वेदिक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहां-कहां कब से कार्यरत हैं ?

(2) उक्त चिकित्सालयों को जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2001 तक कुल कितने बजट की दवाइयां एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और कितना खर्च हुआ व कितना बजट शेष है ?

(3) जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2001 तक कुल कितने मरीजों का रजिस्ट्रेशन/इलाज उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक कुल कितना-कितना स्टाफ कब से कार्यरत है ? क्या कुछ पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों का वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ? निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर एवं जनता द्वारा की गई शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 20 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इनका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के इन आयुर्वेद औषधालयों को जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2001 तक सप्लाई की गई औषधियों की राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज़ पर रख दिया गया है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालय, जटवाड़ा के लिये वर्ष 2000 में 01.642 लाख रुपये औषधालय भवन की मरम्मत हेतु आबंटित किये गये थे, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा कराये गये हैं। निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। विभागीय औषधालयों को किसी भी लेखा मद में पृथक कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है।

(3) जनवरी, 1999 सितम्बर, 2001 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की रोगी संख्या का विवरण परिशिष्ट-"ग" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2001 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-"घ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्तमान में इस विधान सभा क्षेत्र के विभागीय औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

नर्स/कम्पाउण्डर का एक पद औषधालय, बांसखो में माह अक्टूबर, 2001 से रिक्त है। परिचारक के पद निम्न औषधालयों में रिक्त है :—

तूंगा - दिनांक 8-01-2001 से

देवगांव - दिनांक 3-12-2000 से

(5) जी हां। चयनित अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर पद भरना सम्भव हो सकेगा।

(6) जी हां। जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2001 के मध्य किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-"च" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं जनता द्वारा की गई शिकायतों पर अब तक विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नप्रकार है :—

आयुर्वेद औषधालय, जटवाड़ा

दिनांक 29-1-01 को उप निदेशक, जयपुर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय चिकित्सक अनुपस्थित मिले। इन्हें सी.सी.ए. नियम-17 में दिनांक 11-6-01 को आरोप पत्र दिया जा चुका है। विभागीय जांच कार्यवाही चल रही है।

आयुर्वेद औषधालय, काशीपुरा

दिनांक 9-3-2000 को सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर ("ब" क्षेत्र) द्वारा औषधालय का निरीक्षण किया गया। औषधालय बन्द पाया गया। स्थानीय जनता ने भी लिखित में चिकित्सक के अनुपस्थित रहने की शिकायत की। इस प्रकरण में चिकित्सक को आदेश दिनांक 3-10-2000 से

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

निलम्बित किया गया। कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 19-3-2001 द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। जांच विचाराधीन रखते हुए कार्मिक विभाग ने चिकित्सक को दिनांक 29-3-2001 को बहाल कर दिया है।

आयुर्वेद औषधालय, साम्भरिया

इस औषधालय के चिकित्सक द्वारा ड्यूटी नहीं देने सम्बन्धी शिकायत के प्रकरण में जांच जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर ("ब" क्षेत्र) के स्तर पर की जा रही है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

यूनानी, होमियोपैथी, आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथी दवाइयों के उपयोग की स्वीकृति

497. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यूनानी, होमियोपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथी दवाइयां लिखने की इजाजत दिये जाने का आदेश कब व किसने जारी किया? क्या उक्त आदेश जारी करने से पूर्व प्रभारी मंत्री से स्वीकृति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) यूनानी, होमियोपैथिक व आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथी दवाई लिखने के आदेश के विरोध में किस-किस संगठन व संस्था के ज्ञापन सरकार को मिले व सरकार ने आदेश को कब व क्यों वापस लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर (अलवर) व चूरू में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कितने नये आयुर्वेद चिकित्सालय खोले गये? उक्त दोनों विधान सभा क्षेत्रों में कितने आयुर्वेद चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के पद रिक्त है? उक्त रिक्त पदों की पूर्ति अब कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) स्नातक डिग्रीधारी आयुर्वेद, यूनानी होमियोपैथिक चिकित्सकों को आपात स्थिति में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों के प्रयोग की अनुमति राज्यादेश दिनांक 18.9.2001 द्वारा दी हुई थी, जिसे शासन सचिव, आयुर्वेद द्वारा जारी किया गया था।

यह आदेश पूर्व में जारी किया हुआ है कोई नया आदेश नहीं है।

(2) उक्त आदेश के विरुद्ध आयुर्वेद विभाग को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया है। दिनांक 26.9.2001 द्वारा उक्त आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू में वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण की घोषणा के अधीन एक नवीन आयुर्वेद औषधालय, आसलखेड़ी में खोलने की स्वीकृति जारी की गई है। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर जिला अलवर में कोई नवीन आयुर्वेद औषधालय नहीं खोला गया है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

वर्ष 2000-01 में राज्य में कोई नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर (अलवर) में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से किसी भी औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर का पद रिक्त नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र चूरू में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से एक औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सक का तथा दो अन्य औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद रिक्त है।

रिक्त पदों की पूर्ति वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त, योग्य आशार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ के आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों का स्थानान्तरण

498. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2001 से अक्टूबर 2001 तक विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कौन-कौन से आयुर्वेद औषधालय से किन-किन वैद्यों/नर्सों/कम्पाउण्डरों का स्थानान्तरण किस-किस कारण से अन्यत्र किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वैद्यों की नियुक्ति पदस्थापन शिकायतों के आधार पर की गई थी? यदि नहीं, तो किन कारणों से स्थानान्तरण/पदस्थापन किये?

(3) क्या उक्त स्थानान्तरण नीति के आधार पर किये गये थे? यदि नहीं, तो किन-किन को किस-किस कारण से हटाया?

उत्तर

(1) जनवरी 2001 से अक्टूबर 2001 के मध्य विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों में से 5 आयुर्वेद चिकित्सकों एवं 2 नर्स/कम्पाउण्डरों के स्थानान्तरण अन्यत्र स्थानों पर किए गए है, इनका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारण से किये गये हैं।

(3) जी हां। स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-27 देखें)

उपनिवेशन विभाग, बीकानेर में लम्बित आबादी स्वीकृति का प्रस्ताव

499. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपनिवेशन विभाग, बीकानेर के कार्यालय में कितनी आबादियों को स्वीकृत कराने या नियमित करने के प्रस्ताव ग्राम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पंचायतों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं? उक्त समस्त गांवों/चकों जिनमें आबादियों के स्वीकृत करने के प्रस्ताव सम्मिलित हैं की सूची मय तारीख के जब से प्रस्ताव लम्बित है सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबादियों को स्वीकृत करने व नियमित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 1998 से सितम्बर, 2001 तक कितनी आबादियां उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपनिवेशन विभाग, बीकानेर कार्यालय में आबादियों को स्वीकृत कराने या नियमित कराने के 23 प्रस्ताव ग्राम पंचायतों, जन-प्रतिनिधियों व ग्रामीणों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" मय तारीख के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आबादियों को स्वीकृत करने व नियमित करने के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 व 102(ए) के साथ पठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक आदेश प. 18(149)राज/उप/73 दिनांक 15.7.74 एवं संशोधित आदेश प. 19(45) राज/उप/88 दिनांक 12.5.89 जारी किये गये हैं जिनकी प्रतियां सदन पटल पर रख दी गई है।

(3) दिसम्बर, 1998 से सितम्बर, 2001 तक जिला बीकानेर के उपनिवेशन विभाग के संकाय क्षेत्र में स्वीकृत चक आबादियों की सूची परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से तहसील छींपा बड़ौद के ग्राम मालोनी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल मीणा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, झालावाड़ में आशुलिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा के खिलाफ विचाराधीन जांच पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों का क्षतिपूर्ति भत्ता रोक लिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री अमराराम (धोद) सदस्य की ओर से श्री कल्याण कालेज, सीकर के विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पंचायत छींपा बड़ौद के सरपंच के पद का चार्ज आदेशों के अनुरूप नहीं देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जैसलमेर के श्री जवाहर चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में कतिपय सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची की मेटल्ड सड़कों पर डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

(5) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गणेशगंज के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कतिपय गांवों जनता जल योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू की तहसील राजगढ़ के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में स्थित जगन्नाथ महादेव मंदिर के पास बहने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

झरने पर दीवार बनाकर बांध बनाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमराराम (धोद) सदस्य की ओर से अजमेर वितरण निगम के सीकर वृत्त के कर्मचारियों का एक दिन की हड़ताल का अभी तक अवकाश समायोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बड़वा के पट्टा नम्बर-11 की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से जहाजपुर में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(13) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

(14) श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य की ओर से दौसा नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

(15) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से कोटपूतली बस स्टैण्ड की स्थिति अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में।

(16) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांवों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में।

(17) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(18) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य के विद्यालयों में पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पढ़े हुए माने गये। (व्यवधान)

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों से पर्चियां प्राप्त हुई हैं। प्रोफेसर सांवरलाल, पर्ची पर बोलो। (व्यवधान) श्री अमराराम चौधरी (व्यवधान), श्री रामप्रताप, पर्ची पर बोलो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालालजी विश्नोई। श्री आर.पी. शर्माजी। बोलो बोलो। (व्यवधान) आप बोलो ना।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जालौर जिले में पुलिस द्वारा कथित रूप से समाजकंटकों को दिये जा रहे संरक्षण से उत्पन्न स्थिति

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में जिस तरीके की पुलिस विभाग द्वारा अनियमितता बरती गई थी...(व्यवधान) उस तरीके से मैंने गृह मंत्री महोदय को ... जिस प्रकार का प्रतिवेदन दिया था, आज भी वहां की जनता और गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री हीरालाल विश्नोई, विधायक के संदर्भ में टिप्पणी निम्नप्रकार है।

जिला जालौर में पुलिस का समाजकंटको/तस्करों से सांठगांठ कर आम जनता को परेशान करने एवं अवांछनीय तत्वों को संरक्षण देकर झूठे अभियोग दर्ज कर धन कमाने आदि आरोप लगाये गये हैं, जो सत्यता से परे है।

प्रस्ताव में सात अभियोगों का उल्लेख करते हुए उनमें मुलजिमों से सांठगांठ कर धन लेकर एफ.आर. लगाने का आरोप इन अभियोगों की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्वतः ही निराधार साबित होते है क्योंकि सात अभियोगों में से 02 अभियोगों में चालान पेश किये गये हैं, एक अभियोग में एफ.आर. लगाई गई है, जो अभियोगों में सी. आई. डी. (सी.बी.) तथा दो में जिला पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखित सात अभियोगों का तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अभियोग सं.	धारा	दिनांक	थाना	वर्तमान स्थिति
244/2000	19/54 आबकारी अधिनियम	9.10.2000	सांचौर	अन्वेषणाधीन सी.आई.डी. (सी.बी.)
271/2001	143, 382 भा.द.सं. (1)(6)(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट	14.9.2001	सांचौर	अन्वेषणाधीन जिला पुलिस
172/2001	447, 435, 436 भा.द.सं.	16.6.2001	सांचौर	एफ.आर. 29.8.2001
250/2000	302, 34 भा.द.सं.	11.10.2000	सांचौर	चालान 9.1.2001
32/2001	8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट	22.2.2001	मोदरा	अन्वेषणाधीन जिला पुलिस
61/2001	302, 147, 148, 149, 323, 324, 325 भा.द.सं.	13.6.2001	करड़ा	चालान 10.9.2001
268/99	465, 467, 471, 120-बी, भा.द.सं.	3.11.1999	सांचौर	अन्वेषणाधीन सी.आई.डी (सीबी)

यहां यह भी कहना उचित होगा कि माननीय विधायक श्री हीरालाल विश्नोई द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर उक्त समस्त अनुसंधानाधीन अभियोगों का सत्यापन राज्य अपराध शाखा से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अमराराम चौधरी, श्री गणेशीराम मेघवाल, डा. रतन लाल जाट, श्री केसाराम चौधरी, श्री रामनारायण विश्नोई, श्री मदन दिलावर, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री देवीसिंह भाटी, श्री हीरासिंह चौहान, श्री सुरेन्द्र गोयल, श्री रामप्रताप, श्री नन्दलाल मीणा, श्री धर्मपाल चौधरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य विधान सभा राज्य में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की समस्याओं का समुचित समापन करने के सम्बन्ध में पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001

माननीय श्री शांति धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री सांवरलाल, श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, श्री शिवराम सिंह कुशवाह, डा. किरोड़ी लाल, डा. रतन लाल जाट, श्री हीरासिंह चौहान, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री धर्मपाल चौधरी, श्री रामप्रताप, श्री हरीशचन्द, श्री केसाराम चौधरी, श्री रामनारायण विश्नोई, श्री शिवनाथ सिंह, श्री अमराराम (धोद), श्री मदन दिलावर, श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा), श्रीमती सुमित्रा सिंह। (व्यवधान) प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2001 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान) बिराजें, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः विचार।

खण्ड 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह कि खण्ड-2 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 - श्री मदन दिलावर। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री सांवरलाल।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 एवं 5-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 एवं 5 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 एवं 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड - 6 श्री मदन दिलावर। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री सांवरलाल।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-7 श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री सांवरलाल।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 स्वीकार किया गया।

खण्ड-8 श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री सांवरलाल।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-9 श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री सांवर लाल।

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 स्वीकार किया गया।

खण्ड-10 श्रीमती सुमित्रा सिंह।

प्रश्न यह है कि खण्ड-10 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड -10 स्वीकार किया गया।

खण्ड-11 से 31-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 से 31 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 से 31 स्वीकार किये गये।

खण्ड-32 माननीय प्रभारी मंत्रीजी। संशोधन प्रस्तुत करें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि :—

Clause (30) 32

In sub-clause (3) of clause (30) 32, for the existing para (c), following be substituted, namely :—

"(c) all prosecutions instituted under the provisions of the repealed Act shall be effective and disposed of in accordance with such law;"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-32 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

अनुसूची-क-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह कि अनुसूची-क प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप मे स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची-क स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुसूची-ख-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह कि अनुसूची - ख प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची-ख स्वीकार की गई।

अनुसूची-ग - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची-ग प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची-ग स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतिधारीवाल, प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्र-गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:18 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली का विकास

211. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुन्दा को पर्यटन की दृष्टि से विशेष दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो गोगुन्दा के विकास हेतु क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि के व्यय का वर्षवार प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थल के विकास पर अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि का उपयोग कर लिया गया है और कितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि बिना कोई उपयोग के सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास तीन वर्षों से पड़ी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजतिलक स्थान पर महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति लगाने का भी विचार है? यदि हां, तो मूर्ति कब तक स्थापित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार महाराणा प्रताप के गुप्त शस्त्रागार स्थान मायरा की गुफा को विकसित करने एवं संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार की योजना तैयार की गई है और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान पर हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध खनन कार्य को रोकने हेतु कोई कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुन्दा को मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। वर्तमान में इस स्थल पर पार्किंग सुविधा, चारदीवारी तथा कैफेटेरिया का निर्माण किया जा चुका है। बावड़ी की मरम्मत व महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना की जानी है, जिसकी डिजाइन व नक्शा अनुमोदित किया जा चुका है। वर्ष 1998-99 में राशि रुपये 15.00 लाख प्राप्त हुए है, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त स्थल पर निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

1. वर्ष 1999-2000 में महाराणा उदयसिंह जी की छतरी पर मरम्मत एवं परिवर्धन कार्य हेतु 2.42 लाख रुपये व्यय किये गये है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

2. वर्ष 2001-2002 में महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति की स्थापना एवं इस हेतु पेडस्टल का निर्माण-राशि रुपये 10.00 लाख का कार्य प्रस्तावित है।

3. वर्ष 2001-2002 में ऐतिहासिक बावड़ी की मरम्मत एवं संरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 2.58 लाख का कार्य प्रस्तावित है।

(2) वित्तीय वर्ष 1989-90 में केन्द्रीय सरकार की सहायता राशि तथा राज्य आयोजना राशि को मिलाकर 5.39 लाख रुपये से कैफेटेरिया का निर्माण किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1998-99 में 15.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, उसमें से अब तक 2.42 लाख रुपये महाराणा उदयसिंह जी की छतरी के संरक्षण पर व्यय किये जा चुके है और अब राशि रुपये 12.58 लाख के कार्य प्रस्तावित है, जिसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना है।

(3) जी, हां। आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन व नक्शा तथा प्रस्तावित अन्य कार्यों के लागत प्रस्ताव के अभाव में व भूमि अवाप्ति कार्य अधूरा रहने के कारण राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग में शेष रही है। परन्तु अब यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क एवं विकास निगम को आबंटित किया गया है।

(4) जी, हां। मूर्ति स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मूर्ति की डिजाइन एवं नक्शा अनुमोदित किया जा चुका है व निविदा की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है एवं यह प्रयास किये जा रहे है कि मार्च, 2002 तक मूर्ति स्थापित कर दी जाये।

(5) जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। इस स्थल का सर्वे आदि करवाने के पश्चात् विचार कर निर्णय किया जावेगा। इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा ना ही कोई अवैध खनन हो रहा है।

सेवानिवृत्त अध्यापकों के स्थान पर नयी नियुक्तियां

212. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कुल कितने अध्यापक सेवानिवृत्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सेवानिवृत्त अध्यापकों के स्थान पर नयी नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो कब, कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में गत तीन वर्षों में कुल प्रथम श्रेणी के 1510, द्वितीय श्रेणी के 1762 एवं तृतीय श्रेणी के 925 अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं। सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) व्याख्याताओं के कुल 1510 पदों में से 498 पद वर्ष-1998-99 में डी.पी.सी. से, 476 पद वर्ष 1999-2000 में डी.पी.सी. से एवं 536 पद वरिष्ठ अध्यापकों को पाते वेतन पर लगाकर भरे गये।

वरिष्ठ अध्यापकों के कुल 1762 पदों में से 493 पद वर्ष 1998-99 में सीधी भर्ती से, 579 पद वर्ष 1999-2000 में डी.पी.सी. से, एवं 690 पद वर्ष 2000-2001 में डी.पी.सी. से भरे गये।

अध्यापकों के कुल 925 पदों में से 201 पद वर्ष 1998-99 में सीधी भर्ती से भरे गये एवं 724 पद भरने हेतु पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग से मांग की गई है। फिलहाल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक ही 724 रिक्त पदों के विरुद्ध भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट "क"

गत तीन वर्षों में कुल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी) सेवानिवृत्त अध्यापकों की सूची (1998-99 से 2000-01 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5
कोटा मण्डल				
1.	कोटा	46	51	27
2.	बूंदी	24	11	22
3.	बारां	12	24	22
4.	झालावाड़	31	33	10
5.	सवाईमाधोपुर	26	42	28
6.	करौली	15	47	25
जोधपुर मण्डल				
7.	जोधपुर	59	61	28
8.	सिरोही	41	34	34
9.	बाड़मेर	22	12	04
10.	जालौर	15	09	02
11.	जैसलमेर	08	05	05

1	2	3	4	5
अजमेर मण्डल				
12.	अजमेर	81	155	63
13.	भीलवाड़ा	60	58	31
14.	नागौर	65	52	33
15.	टोंक	36	43	24
उदयपुर मण्डल				
16.	उदयपुर	160	92	42
17.	बांसवाड़ा	71	41	06
18.	चित्तौड़गढ़	73	63	26
19.	डूंगरपुर	42	30	12
20.	राजसमंद	25	33	35
जयपुर मण्डल				
21.	जयपुर	128	207	97
22.	अलवर	91	136	63
23.	भरतपुर	68	83	33
24.	सीकर	54	96	75
25.	दौसा	23	30	19
26.	धौलपुर	18	19	85
चूरू मण्डल				
27.	झुंझुंनूं	26	79	61
28.	चूरू	64	66	37
29.	हनुमानगढ़	24	38	13
30.	गंगानगर	38	42	15
31.	बीकानेर	24	33	22
	योग	**1510**	**1762**	**925**

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

213. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के पशु चिकित्सालय, खेरली में चिकित्सक के पद पर महिला चिकित्सक के पद पर महिला चिकित्सक पदस्थापित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महिला चिकित्सक को प्रतिनियुक्ति पर अलवर लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में कोई पशु चिकित्सक कार्यरत नहीं है ? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत निदेशक, पशुपालन विभाग एवं माननीय मंत्रीजी को प्राप्त हुई है ? क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी बार-बार शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में अब तक चिकित्सक नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या सरकार अब उक्त चिकित्सालय में पशु चिकित्सक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन सहायकों के स्थानान्तरण में अनियमितता की गई है ? क्या सरकार निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) डा. अनिता अग्रवाल, पशु चिकित्सालय, खेरली में कार्यरत है। उक्त सम्बन्ध में निदेशक, पशुपालन विभाग एवं राज्यमंत्री पशुपालन विभाग कार्यालय में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) पशु चिकित्सक कार्यरत है।

(5) जी, नहीं।

झिलमिल बांध रायपुर (पाली) की भराव क्षमता

214. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील रायपुर में झिलमिल बांध भूल से दो सौ एकड़ से कम सिंचाई का मानकर ग्राम पंचायत बिराटिया खुर्द को सुपुर्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो पुनः जांच के बाद कब उक्त बांध वापस विभाग में लिया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त बांध की भराव क्षमता कितनी एम.सी.एफ.टी. मानी है तथा उक्त से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है ?

(श्री हीरासिंह चौहान)

(3) क्या उक्त बांध से पड़ौसी गांव बिराटिया कलां की भूमि सिंचित होती रही है? यदि हां, तो कितने बीघा? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या सहायक अभियंता, जैतारण की उदासीनता के कारण बांध की जल वितरण समिति की बैठक नहीं हो रही है? यदि हां, तो व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त उपलब्ध पानी का वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। बांध से वास्तविक सिंचाई 200 एकड़ क्षेत्र से अधिक होने के कारण मुख्य अभियंता सिंचाई, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 2321 दिनांक 19.12.2000 के द्वारा इसे विभाग में पुनः लेने हेतु आदेशित किया गया था एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता जोधपुर द्वारा पुनः जांच की जाने के बाद मुख्य अभियंता सिंचाई के आदेश क्रमांक 2116 दिनांक 21.11.2001 द्वारा विभाग के अधीन ही रखा गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में झिलमिल बांध की कुल भराव क्षमता 30.43 एम.सी.एफ.टी. है। इससे वर्ष 1996-97 में अधिकतम 637 एकड़ एवं पिछले वर्ष 2000-2001 में 185 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा चुकी है।

(3) जी, हां। उक्त बांध से बिराटिया कलां की वर्ष 1997-98 में अधिकतम 284 एकड़ (716 बीघा) भूमि सिंचित हुई है एवं पिछले वर्ष 2000-2001 में कोई सिंचाई नहीं हुई है। पिछले पांच वर्ष का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) बांध की जल वितरण समिति की बैठक ग्राम पंचायत बिराटिया द्वारा दिनांक 5.11.2001 को आयोजित की जा चुकी है।

(5) जी, हां। बांध से उपलब्ध जल का वितरण दिनांक 5.11.2001 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6/टीएएसएस/पार्ट-II/ दिनांक : 21.11.2001

कार्यालय आदेश

झिलमिल बांध ग्राम बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर जिला पाली का निर्धारित सिंचाई क्षेत्र 200 एकड़ से कम होने के कारण मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या-5/2000 की अनुपालना में ग्राम पंचायत बिराटिया खुर्द के अधीन माह जून, 2000 में हस्तान्तरित कर दिया गया था परन्तु वास्तविक सिंचित क्षेत्र 200 एकड़ से अधिक होने पर इसे पुनः विभाग में लेने हेतु दिनांक 19.12.2000 द्वारा आदेशित किया गया था।

सरपंच बिराटिया खुर्द के प्रार्थना-पत्र पर माननीय सिंचाई मंत्री महोदया के निर्देश दिनांक 10.10.2001 की अनुपालना नें मुख्य अभियंता सिचांई सम्भाग जोधपुर ने प्रकरण पर वस्तु स्थिति जांच प्रतिवेदन अपने पत्र क्रमांक 11681 दिनांक 20.11.2001 द्वारा प्रेषित किया है, जिसके अनुसार झिलमिल बांध की कुल भराव क्षमता 30.43 मिलीयन घन फीट (अनुपयोगी 01.48 मिलीयन घन फीट) होने एवं गत 6 में से 4 वर्ष में 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई होने के कारण इसे सिंचाई विभाग के अधीन रखा जाने को उचित बताया गया है।

अतः यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त बांध को तुरन्त प्रभाव से सिंचाई विभाग के अधीन पुनः ले लिया जावे एवं बांध में उपलब्ध जल के उचित उपयोग हेतु नियमानुसार जल वितरण कार्यवाही सम्पादित की जावे।

ह०/-
मुख्य अभियंता, सिंचाई
राजस्थान, सरकार

परिशिष्ट "ब"

झिलमिल बांध (बिराटिया खुर्द बांध) से पांच वर्षों में बिराटिया कलां ग्राम की सिंचित हुई भूमि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	सिंचाई
1.	1996-1997	249 एकड़ (633 बीघा/101 है.)
2.	1997-1998	284 एकड़ 716 (बीघा/115 है.)
3.	1998-1999	49 एकड़ (122 बीघा 20 है.)
4.	1999-2000	225 एकड़ (569 बीघा/91 है.)
5.	2000-2001	

रसायन शालाओं द्वारा निर्मित औषधियों की गुणवत्ता

215. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विभिन्न रसायन शालाओं द्वारा वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में किस-किस किस्म की औषधियां/औषधियों में काम आने वाले विभिन्न द्रव्यों की खरीद किस-किस मूल्य पर और किन-किन फर्मों से की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रसायन शालाओं में तैयार होने वाली औषधियां बाजार में उपलब्ध औषधियों से अत्यधिक महंगी और गुणवत्ता में हल्की तैयार होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि रसायन शालाओं के द्वारा विभिन्न औषधालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियां तथा अर्जुनछाल, ईसबगोल आदि साधारण किस्म की औषधियों में भी मिलावट रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में विभागीय रसायन शालाओं द्वारा क्रय की गई औषधियों एवं औषधियों के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न द्रव्यों की खरीद का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। विभागीय रसायन शालाओं में औषधियों का निर्माण शास्त्रोक्त पद्धति से किया जाता है। अतः जांच कराने का कोई मामला नहीं बनता।

(4) जी, नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर शुगर मिल का बन्द प्रकरण

216. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी गई गंगानगर शुगर मिल श्रीगंगानगर को सरकार बन्द कर रही है? यदि हां, तो किस कारण? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्रीगंगानगर में हो रहे गन्ने के उत्पादन को ध्यान में रखकर एवं मजदूरों व कर्मचारियों के हितों को देखते हुये उक्त मिल को चालू रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी, हां।

ड्रग निर्माण लाइसेंस समिति के सदस्य

217. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ड्रग लाइसेंस देने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या यह सही है कि कैम्बरवैल व गैटवैल को लाइसेंस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस आधार पर तथा क्या यह उचित है?

(3) उक्त लाइसेंस देन वाली समिति में कौन-कौन सदस्य हैं।

(4) ड्रग लाइसेंस देने की फीस क्या रखी है?

उत्तर

(1) राज्य में ड्रग लाइसेंस केन्द्रीय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में तहत सृजित नियमावली के नियम 64 में निर्धारित प्रावधनों की अनुपालना किये जाने पर दिया जाता है।

(2) जी, नहीं। कैम्बरवेल व गैटवेल को उक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं। आधार का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) अधिनियम के तहत औषधि अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु समिति का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्तमान में औषधियों की खुदरा बिक्री हेतु लाइसेंस फीस 3000/- तथा रेजिस्ट्रक्टेड लाइसेंस हेतु फीस 1000/- रुपये व होमयोपैथिक हेतु लाइसेंस की फीस 250/- रुपये निर्धारित है।

अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

218. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा, कृषि एवं खाद्य विभाग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही किये जाने के प्रकरण कब से विचाराधीन है? उक्त में से कितने अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं एवं शेष को कब तक जारी कर दिय जायेंगे।

(2) उक्त विभागों के कितने अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों में मुकदमे चलाये जाने के मामले अनुमति दिये जाने हेतु विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा कृषि एवं खाद्य विभाग के कुल 524 अधिकारियों के विरुद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के प्रकरण विचाराधीन है जिनका वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है। अब तक प्राप्त संबंधित सभी अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(2) चिकत्सा विभाग के 22 अधिकारियों के विरुद्ध आपराधक प्रकरणों में मुकदमे चलाये जाने के मामले अनुमति दिये जाने हेतु विचाराधीन है, जिसकी सूचना संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार है। कृषि एवं खाद्य विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लम्बित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

चिकित्सा विभाग		कृषि विभाग		खाद्य विभाग	
वर्ष	विचाराधीन प्रकरण	वर्ष	विचाराधीन प्रकरण	वर्ष	विचाराधीन प्रकरण
1984	01	1995	02	1997	01
1985	01	1996	04	2000	01
1986	02	1997	09		
1987	03	1998	02		
1988	02	1999	03		
1989	04	2000	09		
1990	04	2001	07		
1991	03				
1992	02				
1993	03				
1994	10				
1995	29				
1996	50				
1997	111				
1998	88				
1999	99				
2000	53				
2001	21				
कुल योग	**486**	**कुल योग**	**36**	**कुल योग**	**02**

परिशिष्ट "ब"

चिकित्सा विभाग के मुकदमे चलाये जाने की अनुमति के विचाराधीन मामले

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विभाग	अनुमति हेतु कब से मामला विचाराधीन है
1.	डा. अशोक महरिया	चिकित्सा विभाग	9.6.1999
2.	डा. आदर्श सक्सैना	चिकित्सा विभाग	2.2.2001
3.	डा. रामबाबू गुप्ता	चिकित्सा विभाग	12.4.2001
4.	डा. जुगल किशोर यादव	चिकित्सा विभाग	27.4.2001
5.	डा. धनराज मेवाड़ा	चिकित्सा विभाग	6.6.2001
6.	डा. आर.पी. शर्मा	चिकित्सा विभाग	26.6.2001
7.	डा. चिरंजी लाल	चिकित्सा विभाग	2.7.2001
8.	डा. अखिल कुमार सक्सैना	चिकित्सा विभाग	24.7.2001
9.	डा. ओम शाह	चिकित्सा विभाग	24.7.2001
10.	डा. मंगलदास कामर	चिकित्सा विभाग	15.9.2001
11.	डा. भगवान अग्रवाल	चिकित्सा विभाग	24.9.2001
12.	डा. रामचन्द्र	चिकित्सा विभाग	9.10.2001
13.	डा. जे.सी. मयंगर	चिकित्सा विभाग	30.10.2001
14.	डा. अजय कपूर	चिकित्सा विभाग	25.10.1997
15.	डा. मेघ सिंह दुल्लर	चिकित्सा विभाग	27.6.2000
16.	डा. विजय प्रकाश भादू	चिकित्सा विभाग	21.11.2000
17.	डा. पी.सी. बीरवाल	चिकित्सा विभाग	26.5.2001
18.	डा. राजकमल जैनव	चिकित्सा विभाग	13.6.2001
19.	डा. श्यामलाल खूटेटा	चिकित्सा विभाग	17.7.2001
20.	डा. रीना माथुर	चिकित्सा विभाग	17.8.2001
21.	डा. केदार प्रसाद	चिकित्सा विभाग	24.9.2001
22.	डा. पूनम चन्द रांका व अन्य	चिकित्सा विभाग	27.9.2001

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भू-संरक्षण कार्य

219. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा संवत् 2055 से 2057 में कलस्टर योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने कार्य पूर्ण करवाये गये एवं उक्त पर संवत्वार कुल कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में कलस्टर योजना एवं अन्य योजना के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने कार्य चल रहे हैं एवं उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? उक्त में से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा संवत् 2055 से 2057 में कलस्टर योजना अन्तर्गत कुल 17 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं जिन पर कुल रुपये 216.97 लाख की राशि व्यय हुई है । करवाये गये कार्यों एवं उन पर व्यय राशि का संवत्वार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) वर्तमान में कलस्टर योजना के अन्तर्गत जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा 7 कार्य करवाये जा रहे हैं। स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा सम्वत् 2055 से 2057 कलस्टर योजना अन्तर्गत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	व्यय राशि (लाखों में)		
		सम्वत् 2055	सम्वत् 2056	सम्वत् 2057
1.	साई जी की बैरी-I	1.03	1.62	0.98
2.	साई जी की बैरी-II	5.16	3.54	1.64
3.	साई जी की बैरी-III	6.05	5.33	4.78
4.	साई जी की बैरी-IV	5.48	7.75	0.72
5.	साई जी की बैरी-V	4.30	6.36	4.65
6.	लालना II ए	2.03	3.54	2.12
7.	लालना II बी	1.80	2.68	2.01
8.	लालना II सी	3.76	5.26	7.60
9.	लालना II डी	4.23	5.12	8.65
10.	लालना II ई	4.02	6.96	6.17
11.	बालू I	4.67	3.68	4.63
12.	बालू II	4.58	3.52	5.81
13.	बालू III	4.68	5.04	6.00
14.	बालू IV	12.06	3.96	3.00
15.	थान	5.64	3.69	—
16.	मोकलसर IIए	2.87	3.74	3.91
17.	मोकलसर IIबी	1.78	5.60	2.77
	कुल	**74.14**	**77.39**	**65.44**

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कलस्टर योजना अन्तर्गत जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	योजना	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (31.10.2001 तक लाख में)
1.	इन्द्राणा	डी.डी.पी.	30.00	5.72
2.	रामपुरा	डी.डी.पी.	30.00	1.10
3.	सिणधरी चारणान	डी.डी.पी.	30.00	1.00
4.	गिरली कितपाल-I	डी.डी.पी.	25.00	22.64
5.	गिरली कितपाल-II		25.00	22.81
6.	मोतीसरा	राजप्रविप.	92.35	22.63
7.	पादरू	डी.डी.पी.	30.00	0.05
	कुल		**262.35**	**75.95**

जिला धौलपुर के पर्यटन स्थलों की मरम्मत

220. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2001-2002 में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन मद के तहत जिला धौलपुर को राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त जिले में समस्त तीर्थों का भान्जा मुचकुन्ड तीर्थ स्थल, वन विहार, तालाबशाहीं, दमोह आदि अत्यन्त प्राचीन काल के होने के कारण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण अपनी प्राकृतिक छटा के लिये विश्व प्रसिद्ध हैं? क्या उक्त पर्यटन स्थल वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? क्या सरकार उक्त तीर्थ स्थलों की साज-सज्जा एवं निर्माण सुधार के लिये प्रति वर्ष कोई राशि आबंटित करती है? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी राशि आबंटित की गई? यदि नहीं तो, क्यों?

(3) क्या धौलपुर में पर्यटन स्थलों की देखभाल के लिये कोई कार्यालय है? यदि हां, तो उसका क्या नाम है एवं कहां स्थित है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विभाग की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय स्थिति के मद्देनजर वर्ष 2001-2002 में राज्य योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) धौलपुर जिले में वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत मचकुण्ड एवं तलाब शाही में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 1.88 लाख की स्वीकृति दी गई है। राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2001-2002 में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान में ये स्थल विभाग की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उच्च प्राथमिकता में नहीं है।

(3) कार्यालय सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर के क्षेत्राधिकार में जिला धौलपुर भी सम्मिलित है। जिला धौलपुर में पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की देखभाल हेतु विभागीय स्तर पर अधीक्षक, जयपुर वृत्त तथा जिला स्तर पर संग्रहाध्यक्ष, भरतपुर के नियंत्रण में है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/कुल सचिव का चयन

221. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों का चयन कब हुआ था ?

(2) उक्त विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हेतु स्थाई चयन किस वर्ष में हुआ ?

(3) गत 10-15 वर्षों में स्थायी चयन क्यों नहीं किया गया ?

(4) विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर व सहायक कुल सचिव व उप कुल सचिव हेतु स्थायी चयन कब किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में अधिकारियों एवं शिक्षकों का चयन निम्नलिखित वर्षों में हुआ है :—

पद	वर्ष
शिक्षक	1989
सहायक कुल सचिव	1985
उप कुल सचिव	1994

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हेतु नियमित चयन वर्ष 1989 में हुआ।

(3) विभिन्न प्रशासनिक कारणों के कारण गत दस-पन्द्रह वर्षों में स्थायी चयन प्रक्रिया नहीं हो पाई।

(4) विश्वविद्यालय में कार्यभार की समीक्षा की जा रही है, उसके पश्चात् ही स्थायी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के प्रस्तावित पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र

222. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पशु चिकित्सालय/पशु उप केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार विशेषतः पिछड़े डांग क्षेत्र में निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता देते हुये बाड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार पुदीन्ना ग्राम पंचायत खुधेरा, मदनपुर, सेवर, पाली, गोलादि मंसूरा में पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 2001 में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सरमथुरा डांग क्षेत्र में खुरपका, मुंहपका रोग पशुओं में फैला था? यदि हां, तो कितने पशुओं की मृत्यु हुई तथा सरकार ने रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पशु चिकित्सालय/पशु उप केन्द्र खोलने के निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित हैं :—

(अ) ग्रामीण क्षेत्र हेतु

1. दो पशु चिकित्सालयों की दूरी कम से कम 6 से 8 किलोमीटर रखी जावे।
2. चिकित्सालयों का कार्य क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि उसमें पर्याप्त संख्या में पशु उपलब्ध हों।

(ब) शहरी क्षेत्र हेतु

1. दो स्थानों के बीच की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर रखी जावे।
2. चिकित्सालय खोलते समय क्षेत्र में पशुओं की पर्याप्त संख्या निश्चित की जावे।
3. निःशुल्क भवन की व्यवस्था की जावे।

वर्तमान में निर्धारित मापदण्डों में शिथिलता देकर बाड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

(3) जी, नहीं। माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 2001 में सरमथुरा डांग क्षेत्र में पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग फैलने तथा पशुओं की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उप खण्ड अधिकारी प्रथम टोंक के समक्ष विचाराधीन सीलिंग भूमि प्रकरण

223. श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, उनियारा टोंक की सीलिंग भूमि की अधिघोषणा सही नहीं किये जाने के कारण उप खण्ड अधिकारी टोंक, प्रथम के यहां दो सीलिंग प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं? यदि हां, तो कब से और प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों प्रकरणों में कुल भूमि 795 बीघा 3 बिस्वा का प्रकरण है जबकि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1955 के अधीन यह अधिक भूमि कैसे रखी हुई है?

(3) क्या यह सही है कि भूमिधारी ने राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 के तहत "कुटुम्ब" के नाम से भूमि नियम विरुद्ध अर्जित कर रखी है और आज भी उससे लाभ अर्जित कर रहा है? यदि हां, तो क्यों और यह कहां तक उचित है?

(4) क्या यह भी सही है कि इसकी जानकारी उप खण्ड अधिकारी प्रथम के ध्यान में आने के बाद अधिनियम, 1973 की धारा 24 व 29 के तहत सक्षम अधिकारी जिला दण्डनायक, टोंक को कार्यवाही के लिए भेजा था? यदि हां, तो क्या स्थिति है और क्या कार्यवाही चल रही है?

(5) क्या यह सही है कि भूमिधारी व उनके परिवार उक्त भूमि पर वर्षों से काश्त कर रहे हैं और गरीब काश्तकारों से भारी रकम वसूल रहे हैं? क्या उक्त कार्यवाही अधिनियम, 1975 का उल्लंघन है?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण का निर्णय होने तक उक्त अधिक अर्जित भूमि को अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उप खण्ड अधिकारी, टोंक प्रथम के न्यायालय में सी.प्र.सं. 36/99 तहसील टोंक से संबंधित है, जो वर्ष 1999 से श्रीमती सुशीला कुमारी के नाम से विचाराधीन है तथा जिसमें भूमिधारक के वारिसान के नाम नोटिस जारी होकर पत्रावली सबूत दस्तावेज पेश करने हेतु विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 5.12.2001 की तारीख पेशी नियत है। दूसरा प्रकरण उप जिलाधीश जयपुर के यहां से उप खण्ड अधिकारी टोंक, प्रथम को स्थानान्तरित सीलिंग प्रकरण संख्या-26/69 विचाराधीन है। जो तहसील सांगानेर से संबंधित है। इस प्रकरण में वर्ष 1976 में उप खण्ड अधिकारी, जयपुर के द्वारा 212 बीघा 18 बिस्वा भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की जाकर भूमिधारक के खाते में 86 बीघा 15 बिस्वा भूमि छोड़ी गई है, जिसकी पुष्टि में उप खण्ड अधिकारी, जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण

(राजस्व मंत्री)

विचाराधीन है। इस हेतु उप खण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर (जयपुर) को दिनांक 30.8.2001 को पत्र लिखा है।

(2) यह सही है कि कुल 795 बीघा 17 बिस्वा भूमि उक्त दोनों सीलिंग प्रकरणों के बाबत है। इन प्रकरणों के निर्णित होने पर ही यह जानकारी हो सकेगी कि भूमिधारी के पास सीलिंग से कितनी भूमि अधिक है।

(3) उक्त विचाराधीन सीलिंग प्रकरणों के निर्णित होने पर ही यह जानकारी हो सकेगी कि भूमिधारी के पास सीलिंग से कितनी अधिक भूमि है।

(4) उप जिलाधीश, जयपुर के यहां से उप खण्ड अधिकारी, टोंक, प्रथम को स्थानान्तरित सीलिंग प्रकरण संख्या-26./69, जो तहसील सांगानेर के जयसिंहपुरा की 331 बीघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में है, में तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट के अनुसार 212 बीघा 18 बिस्वा भूमि उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है।

(5) विचाराधीन भूमि का प्रकरण तहसील टोंक के ग्राम लाम्बा व नीमोला से संबंधित है। यह भूमि ग्राम लाम्बा के तालाब व पेटा में स्थित है जो पानी भरने पर पानी के डूब में रहती है। खाली होने पर विभिन्न काश्तकारों द्वारा काश्त की जाती है। धारक द्वारा गरीब काश्तकारों से भारी भरकम रकम वसूल करने की जानकारी या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(6) विचाराधीन सीलिंग प्रकरणों के निर्णित होने पर ही जानकारी हो सकेगी कि भूमिधारी के पास सीलिंग से कितनी भूमि अधिक है। बिन्दू सं.-4 में अंकित 212 बीघा 18 बिस्वा अधिग्रहित भूमि को 26.6.1976 को कब्जा राज ले लिया गया था जिसमें से 209 बीघा 10 बिस्वा भूमि 47 व्यक्तियों को आबंटित की जा चुकी है एवं शेष 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि का गे.मु. रास्ता का नामान्तरण सं.-110 दिनांक 26.10.1976 को खोला जा चुका है।

जिला आबकारी/सहायक आबकारी अधिकारी के रिक्त पद

224. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरने हेतु कितने समय से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हुई है तथा उक्त के लिये कौन उत्तरदायी है?

(3) क्या सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में आबकारी सेवा के वर्तमान में जिला अधिकारी के 8 पद एवं सहायक आबकारी अधिकारी का 1 पद रिक्त है।

(2) जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी के पदों को भरने हेतु वर्ष 1999-2000 से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पाई है। इसके लिए न्यायिक निर्णय की अनुपालना में क्योंकि पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से आहूत की जानी है अतः कोई व्यक्ति विशेष उत्तरदायी नहीं है।

(3) जी, हां। सरकार शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

225. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने वरिष्ठ व कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कितने चिकित्सा अधिकारी तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बी.पी.एल. कार्डधारियों को कितनी राशि की दवाइयां वर्ष 1999-2000 से सितम्बर, 2001 तक आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 में दुर्घटनाओं की संख्याओं को देखते हुये सरकार ने बहरोड़ में एक्सीडेंटल यूनिट स्थापित की थी? यदि हां, तो उक्त में वर्तमान में कितने चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वरिष्ठ विशेषज्ञों, कनिष्ठ विशेषज्ञों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के तथा विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा संवर्ग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञों, कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) बी.पी.एल. कार्डधारियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने हेतु अलग से बजट प्रावधान नहीं होता। चिकित्सा संस्थानों में दवा उपलब्ध कराने हेतु जो बजट रखा जाता है उन दवाओं में पहले बी.पी.एल. कार्डधारियों को दवा दी जाती है इसके अलावा मेडिकल केयर रिलीफ सोसाइटी की आय का 25 प्रतिशत भाग उक्त मरीजों की दवाइयों पर व्यय किया जाता है।

(4) जी, हां। एक्सीडेंटल यूनिट बहरोड़ में निम्नांकित चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है :—

1. चिकित्सा अधिकारी 3

2. नर्स श्रेणी द्वितीय 3

राज्य में चिकित्सा सम्वर्ग के रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	45
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	285
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	168
4.	चिकित्सा अधिकारी	362

विधानसभा क्षेत्र मुण्डावर (अलवर) के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सम्वर्ग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (सर्जरी, स्त्रीरोग)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर	स्वास्थ्य निरीक्षक	1 (डाइंग केडर)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिन्दौली	स्वास्थ्य निरीक्षक	1 (डाइंग केडर)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डनवाड़ा कलां	चिकित्सा अधिकारी	1

जिला अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी संस्था की सदस्यता

226. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलक्टर, अजमेर सम्भागीय आयुक्त, अजमेर सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यथा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई अन्य पदाधिकारी जो अजमेर सिटीजन काउंसिल अजमेर के चेयरमैन एवं अन्य पद पर आसीन हैं, ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13(2) एवं राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 के अनुसार पद ग्रहण करने से पूर्व क्या कार्मिक विभाग एवं राज्य सरकार से स्वीकृति चाही थी ? यदि हां, तो ऐसे पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों को पद ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा कब स्वीकृति दी गई ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व अनुमति नहीं लेने पर अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13(2) तथा राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में जिला कलक्टर, अजमेर ने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भिजवाया था कि कलक्टर, अजमेर को पदेन अध्यक्ष, अजमेर सिटीजन्स काउंसिल एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) को पदेन उपाध्यक्ष, अजमेर सिटीजन्स काउंसिल बनने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जावे। पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन है।

(3) जी, नहीं।

परिशिष्ट "अ"

प्रेषण :

कलक्टर,
अजमेर।

प्रेषिति :

विशिष्ट शासन सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
कार्मिक (क-1, क-4 विभाग)
राजस्थान, जयपुर।

विषय : जिलाधीश, अजमेर को काउंसिल के पदेन अध्यक्ष, अतिरिक्त जिलाधीश का काउंसिल के पदेन उपाध्यक्ष, अतिरिक्त जिलाधीश का काउंसिल का पदेन उपाध्यक्ष बनाने के सम्बन्ध में स्वीकृति।

महोदय,

अजमेर समग्र विकास हेतु अजमेर के नागरिकों सहित एक काउंसिल का निर्माण किया हुआ है, जिसमें जिलाधीश अजमेर को काउंसिल के पदेन अध्यक्ष, अतिरिक्त जिलाधीश काउंसिल के पदेन उपाध्यक्ष बनाया गया है।

अतः निवेदन है कि जिलाधीश, अजमेर को काउसिंल का अध्यक्ष बनाने एवं अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर को काउंसिल का पदेन उपाध्यक्ष बनाने हेतु स्वीकृति भिजवाने का कष्ट करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ये पद पूर्णतया आनरेरी है इसमें अधिकारियों की फीस/शुल्क के रूप में कुछ भी देय नहीं होगी।

भवदीय
ह०/-
कलक्टर, अजमेर

ग्राम पंचायत बिलासपुर (टोंक) के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

227. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत बिलासपुर, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक को वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ई.ए.एस. विधायक फण्ड, अकाल राहत कार्यों आदि योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? सूची कार्यवार राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो राशि स्वीकृत हुई है उसका पंचायत कोष में जमा नहीं होना पाया गया है? यदि नहीं, तो पंचायत रोकड़ में कुल कितनी राशि जमा बताई गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिया निर्माण व मरम्मत नोनदपुरा पर 5400/- रुपये खर्च होना बताया है? क्या उसका सत्यापन किया गया है? क्या मौके पर पुलिया का निर्माण ही नहीं है?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच बिलासपुर (टोंक) द्वारा निर्माण कार्यों पर लाखों रुपयों की अनियमितता की गई है और फर्जी कार्य बताकर रकम उठाई गई है?

(5) क्या सरकार उक्त समस्त कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बिलासपुर, पंचायत समिति-उनियारा जिला टोंक में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों तथा कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) जी, नहीं।

(3) नोनदपुरा पुलिया के मरम्मत कार्य पर हुए 5400/- रुपये की राशि व्यय होना दर्शाया गया है। कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन करवाये जाने पर रुपये 4734/- की लागत का मरम्मत कार्य करवाया जाना पाया गया। ग्राम नोनदपुरा में उक्त पुलिया पूर्व में ही बनी हुई है।

(4) सरपंच द्वारा उक्त पुलिया मरम्मत का कार्य दिनांक 16.10.2001 से 23.10.2001 की अवधि में सम्पादित करवाया गया है, किन्तु उक्त कार्य दिनांक 21.6.2000 से 29.6.2000 की अवधि में सम्पादित दिखाकर रुपये 5400/- की राशि का व्यय पूर्व में ही तद्नुसार दिखाकर भुगतान उठा लिया जाना पाया गया है।

(5) उक्त प्रकरण की जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति-अलीगढ़ से करवा ली गई है तथा भुगतान मरम्मत कार्य से पहले ही अनियमित रूप से उठाये जाने के परिप्रेक्ष्य में पंचायत अधिनियम के तहत

(ग्रामीण विकास मंत्री)

सम्बन्धित सरपंच के विरुद्ध तथा ग्रुप सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके हैं। मूल्यांकित राशि से अधिक व्यय रुपये 666/- की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश किए जा चुके हैं। अन्य मामलों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-1

विभिन्न योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत बिलासपुर पंचायत समिति उनियारा द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	योजना	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	समायोजित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	JGSY	ग्रेवल रोड़ मुकुन्दपुरा	49600.00	49380.00	49380.00
2.	JGSY	नाली निर्माण सुरक्षा दिवार सामुदायिक भवन बिन्जारी	35000.00	34996.00	34996.00
		वर्ष 2000-2001			
1.	JGSY	सार्व. कूप श्रीनगर	3000.00	3000.00	3000.00
2.	JGSY	पुलिया मरम्मत नोन्दपुरा	5400.00	5400.00	5400.00
3.	JGSY	ग्रेवल रोड़ रघुनाथपुरा	31000.00	31000.00	31000.00
4.	JGSY	रास्ता दुरूस्ती कार्य बिलासपुर	8000.00	7800.00	7800.00
5.	EAS	प्रा.शाला निर्माण रघुनाथपुरा	22000.00	22000.00	22000.00
6.	EAS	अधुरा ग्रेवल रोड बिलासपुर से रघुनाथुपरा	39600.00	407400.00	377277.00
7.	MPLAD	सीसी रोड ग्राम पंचायत बिलासपुर पर ग्राम श्रीनगर	100000.00	100000.00	100000.00
8.	MPLAD	सीसी रोड बैरवा मोहल्ला बिन्जारी	250000.00	248630.00	244253.00

अकाल राहत सम्बवत् 2057 में स्वीकृत कार्य

1	2	3	4	5	6
1.	Relif	ग्रेवल रोड़ बिलासपुर से रघुनाथपुरा	400000.00	355793.00	355793.00
2.	Relif	सार्व. तालाब देवपुरा पर फसेवाल मिट्टी कार्य	400000.00	333624.00	333624.00
3.	Relif	सार्व. तालाब श्यामपुरा की टूटी पाल का निर्माण	375000.00	170090.00	170090.00
4.	Relif	अपूर्ण दो हाल बरामदा प्रा. शाला श्यामपुरा	100000.00	100000.00	100000.00
5.	Relif	सार्व. तालाब पर मिट्टी कार्य आगरा बिलासपुर	100000.00	38220.00	38220.00
6.	Relif	सार्व. तालाई मिट्टी खुदाई कार्य व घाट निर्माण श्रीनगर	125000.00	59920.00	59920.00
7.	Relif	सार्व. कूप भवानीपुरा	40000.00	24613.00	24613.00

ह०/-
अति. कलक्टर (विकास)
टोंक

ग्रामीण क्षेत्र के आम रास्तों पर अतिक्रमण

228. श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कच्चे रास्ते धीरे-धीरे इतने तंग हो गये है कि यदि दो वाहन आमने-सामने से आ जायें तो निकलना कठिन हो जाता है? यदि हां, तो उन्हें रिकार्ड के अनुसार एवं आवागमन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

जी, हां। यह सही है कि कतिपय स्थानों पर रिकार्ड में दर्ज रास्तों पर अतिक्रमणों द्वारा अवैध कब्जा पर लिये जाने के कारण तंग हो गये है। राज्य सरकार ने अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें बेदखल कर शास्ति आरोपित करने एवं

(राजस्व मंत्री)

सिविल कारावास का प्रावधान पूर्व में ही किया हुआ है। अतिक्रमण की समस्या की गम्भीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3.2.92 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(5) के पश्चात् नई उप-धारा (6) जोड़कर राजकीय भूमियों पर (सड़क, चरागाह, रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान, जोहड़, तालाब एवं सार्वजनिक कुओं आदि) पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध 15 दिवस के नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ने पर तीन वर्ष्‌ तक के कारावास एवं रुपये 20,000/- तक जुर्माने की सजा से दण्डित किया जा सकता है किन्तु यह कारावास एक माह की अवधि से कम अवधि का नहीं होगा।

2 अक्टूबर, 2001 से संचालित प्रशासनिक गांव के संग अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार ने रास्तों के अतिक्रमणों के चिन्हीकरण किये जाने हेतु निर्देश दिए है। जिससे मौके से अतिक्रमण हटाया जा सके।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय (अजमेर) के मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित व्यक्ति

229. प्रो. सांवर लाल (भिनाय) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से मुफ्त इलाज/दवाइयां आदि की सुविधा लागू की गई है? यदि हां, तो किस-किस को क्या-क्या सुविधा उक्त कोष से उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर एवं जे.एल.एन. हास्पीटल, अजमेर द्वारा भी मरीजों को उक्त कोष से लाभान्वित किया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस को किस-किस बीमारी हेतु कितनी-कितनी सहायता उपलब्ध करवाई गई? उक्त कोष में अब तक राज्य सरकार व भारत सरकार का अंशदान कितना-कितना है?

उत्तर

(1) जी, हां। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत राज्य की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यकतियों को चिन्हित एवं गम्भीर रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, चिन्हितत बीमारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। क्योंकि चिन्हित बीमारियों के इलाज की सुविधा भिनाय क्षेत्र के चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है।

(3) जी, हां, एसएमएस अस्पताल, जयपुर द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है, जे.एल.एन. अस्पताल,

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

अजमेर द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

उक्त कोष के अन्तर्गत अब तक राज्य सरकार द्वारा 14.00 करोड़ रुपये व भारत सरकार द्वारा 2.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अभियोजन स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरण

230. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विभाग के पास कुल कितने मामले किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध चालान पेश करने की स्वीकृति हेतु चार्जशीट जारी करने हेतु तथा अन्य प्रकार की स्वीकृति हेतु लम्बित हैं? उक्त मामले कितनी-कितनी अवधि से लम्बित है?

(2) 1 अप्रेल, 2001 से 30 सितम्बर, 2001 की अवधि में कितने मामलों का निस्तारण किया गया तथा वे किन-किन से सम्बन्धित थे?

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग में वर्तमान में कुल 66 अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण अभियोजन स्वीकृति दिये जाने हेतु लम्बित हैं। सूची संलग्न है।

(2) अप्रेल, 2001 से 30 सितम्बर, 2001 की अवधि में 26 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। संबंधित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद (बारां) के आय-व्यय का अंकेक्षण

231. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां की ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद में वर्ष 2000 से अक्टूबर, 2001 तक किन-किन स्रोतों से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और किस-किस मद में कितनी राशि किस-किस दिनांक को व्यय की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत छीपाबड़ोद को अंकेक्षण विभाग में आडिट नहीं कराये जाने के बावजूद भी वर्ष 2001-2002 में अनुदान की अग्रिम राशि दे दी गई है? यदि हां, तो क्यों और उक्त के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?

(पंचायती राज मंत्री)

(3) सरकार उक्त कार्यों के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला बारां की ग्राम पंचायत छीपाबड़ोद में दिनांक 1.4.2000 से अक्टूबर 2001 तक कुल 15,49,722/- रुपये प्राप्त हुए तथा 15,44,418/- का व्यय किया गया है। विवरणवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत-छीपाबड़ोद का वर्ष 1999-2000 से अंकेक्षण बकाया है। ग्राम पंचायत छीपाबड़ोद जनसंख्या के आधार पर एक बड़ी ग्राम पंचायत है। कस्बे की सफाई व्यवस्था, राष्ट्रीय पर्व दशहरा आदि के कारण ग्राम सेवक तथा सरपंच के आवेदन पर वर्ष 2001-2002 में दिनांक 30.10.2001 को 20000/- की राशि भू-राजस्व अनुदान पेटे अग्रिम दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.10.2001 को भू-राजस्व के बदले अनुदान का आबंटन किया गया है। यह राशि श्री भंवरा राम कडवा, विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार सोनी, कनिष्ठ लेखाकार के समय दी गई है।

(3) ग्राम पंचायत छीपाबड़ोद बड़ी ग्राम पंचायत होने के कारण कस्बे की सफाई व्यवस्था, राष्ट्रीय पर्व की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये यह राशि अग्रिम दी गई है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

जिला परिषद्, बारां (राज.)

प्रश्न बिन्दु 1 से प्रत्युत्तर में वर्ष 2000 से अक्टूबर, 2001 तक प्राप्त राशि व्यय राशि मद व दिनांकवार विवरण सूची

क्र.सं.	आय मद	दिनांक	राशि	क्र.सं.	व्यय मद	दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तामीर स्वीकृति	1.4.2000 से 31.3.01	14088/-	1.	विद्युत बिल	25.4.2000	5471/-
2.	वेतन कटौती	22.6.2000	211/-	2.	लावारिस दाह संस्कार	3.4.2000	640/-
3.	चमड़ी ठेका	28.9.2000	10,000/-	3.	पंचायत चुनाव	3.4.2000	2053/-
4.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	30.5.20000	8237/-	4.	अतिथि सत्कार	1.4.2000 से 31.3.2001	1960/-
5.	राशन कार्ड वर्ष 2000 हेतु	1.4.2000 से 31.3.2001 तक	25615/-	5.	स्टेशनरी	1.4.2000 से 31.3.2001	10170/-
6.	जन्म मृत्यु विलम्ब शुल्क	28.4.2001	20/-	6.	सफाई कर्मचारी वेतन	20.10.2000	4,75,144/-
7.	अग्रिम अमानत राशि	1.4.00 से 1.3.01	44290/-	7.	चुंगी कर्मचारी वेतन	20.10.2000	4,25,982/-
8.	बोडी टैक्स	1.4.00 से 31.3.2001	4365/-	8.	पठान कार्य	28.6.2000	5768/-
9.	हाट टैक्स	1.4.2000 से 31.3.01	9557/-	9.	अमानत वापसी	1.4.2000 से 31.3.2001	38,130/-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	बैठक टैक्स	1.4.00 से 31.3.01	14698/-	10.	विविध व्यय	1.4.2000 से 31.3.01	9402/-
11.	मौका मुआयना फीस	15.4.2000	200/-	11.	जेरोक्स	1.4.00 से 31.3.01	4946/-
12.	ठेका टैक्स	1.4.00 से 31.3.01	6382/-	12.	बैठक (मिटिंग व्यय)	1.4.00 से 13.13.01	3759/-
13.	ईंट भट्टा किराया	1.4.00 से 31.3.01	7294/-	13.	वाचनालय	1.4.00 से 31.3.01	1208/-
14.	विविध आय	1.4.00 से 31.3.01	1558/-	14.	राष्ट्रीय पर्व	15.8.2000 से 26.1.04	44657/-
15.	भू-राजस्व अनुदान	29.7.2000	70817/-	15.	विद्युत सामान	26.8.2000	509/-
16.	पर्व आय	27.7.2000	1785/-	16.	वकील फीस	24.10.2000	3000/-
17.	सफाई कर्मचारी	19.10.2000	475154/-	17.	वर्दी व्यय	1.4.00 से 31.3.01	22250/-
18.	चुंगी कर्मचारी	19.10.2000	418512/-	18.	यात्रा भत्ता	1.4.00 से 31.3.01	2764/-
19.	वर्दी भत्ता	24.10.2000	22700/-	19.	मानदेय	24.9.2000	4620/-
20.	झाड़ू भत्ता	3.3.2000	16000/-	20.	कार्यालय व्यय	23.8.2000	385/-
21.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	14.8.2001	951/-	21.	प्याऊ	1.4.00 से 31.3.01	2616/-
22.	अमानत राशि	9.8.2001	2400/-	22.	झाड़ू भत्ता	1.4.00 से 31.3.01	16120/-

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	तामीर स्वीकृति	11.6.2001	2861/-	23.	सार्वजनिक सम्पत्ति मरम्मत	14.10.2000	33702/-
24.	स्वामित्व प्रमाण पत्र	18.6.2001	378/-	24.	सफाई पर व्यय	1.4.00 से 31.3.2001	16499/-
25.	चमड़ी ठेका धरोहर	18.6.2001	15150/-	25.	मौका मुआयना शुल्क	28.10.2000	200/-
26.	दस्तावेज नकल फीस	1.5.2001	10/-	26.	हैण्ड पम्प मरम्मत (पार्ट्स)	12.7.2000	730/-
27.	अस्थायी ईंट भट्टा भूमि किराया	10.7.01	7931/-	27.	सार्वजनिक नल मरम्मत	29.7.2000	453/-
28.	पुस्तैनी पट्टा शुल्क	20.7.2001	101/-	28.	डाक व्यय	15.2.2001	131/-
29.	मृत्यु पंजीकरण शुल्क	14.8.2001	20/-	29.	कायन हाउस पशु रोग निदान	1.4.00 से 31.3.01	1059/-
30.	मेगा टैक्स	3.9.2001	3751/-	30.	जीप किराया	10.10.2000	4143/-
31.	पंचायत समिति से अग्रिम	30.10.2000	53100/-	31.	राशन कार्ड वर्ष 2000	1.4.00 से 31.3.01	10000/-
32.	वेतन चुंगी कर्मचारी	18.6.2001	311586/-	32.	ब्लैक बोर्ड	27.12.2000	500/-
				33.	वाचनालय	1.5.2001	314/-
				34.	वेतन अग्रिम	23.6.2001	3820/-
				35.	स्टेशनरी व्यय	18.6.2001	2323/-
				36.	अमानत धरोहर वापसी	18.6.2001	17900/-
				37.	सरपंच व अन्य यात्रा भत्ता	10.7.2001	1980/-

1	2	3	4	5	6	7	8
				38.	जेरोक्स	20.7.2001	1870/-
				39.	सफाई कर्मचारी वेतन भुगतान	18.6.2001	200,000/-
				40.	सफाई व्यवस्था	14.7.2001	2025/-
				41.	परिसम्पत्ति बोर्ड	30.6.2001	300/-
				42.	रास्ता मरम्मत व दुरूस्तीकरण	30.6.2001	8570/-
				43.	मिटिंग व्यय	5.7.2001	300/-
				44.	वेतन चुंगी कर्मचारी	7.7.2001	109410/-
				45.	सरपंच मानदेय भत्ता	14.7.2001	1786/-
				46.	डाक व्यय	13.7.2001	36/-
				47.	अतिथि सत्कार	20.7.2001	360/-
				48.	राष्ट्रीय ध्वज क्रय	9.8.2001	137/-
				49.	माइक एलाउन्स	21.8.2001	2800/-
				50.	मेला व्यवस्था	3.9.2001	3589/-
				51.	दशहरा पर्व अग्रिम	30.10.2001	20000/-
				52.	विविध व्यय	3.9.2001	3028/-
				53.	राष्ट्रीय पर्व	30.10.2001	14896/-
		योग	**15,49,722/-**			**योग**	**15,44,418/-**

माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर की मरम्मत

232. **श्री भाणजी (दानपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2001-2002 में माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर 0 किलोमीटर से 27 किलोमीटर तक की मरम्मत के लिए कितनी राशि आबंटित हुई ?

(2) उक्त कार्य में कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी राशि शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मरम्मत कार्य पूर्ण हुआ है ? उक्त कार्य हेतु सामग्री की लीड कहां से ली गई ? क्या उक्त सामग्री घटिया किस्म की ली गई ?

उत्तर

(1) माही परियोजना अभी निर्माण स्तर पर है। अतः रख-रखाव व मरम्मत हेतु अलग से बजट आबंटित नहीं किया जाता है।

(2) उक्त कार्य पर इस वित्तीय वर्ष में अब तक रुपये 47.58 लाख व्यय किये गये हैं तथा अभी करीब 10.00 लाख रुपये के मरम्मत कार्य कराने शेष हैं सूची प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं। सामग्री की लीड अलग से अंकित नहीं की जाती है। कार्य पर घटिया किस्म की सामग्री नहीं ली गई है।

प्रपत्र "अ"

माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर 0 से 27 किमी. तक वर्ष 2001-2002 में मरम्मत कार्यों में व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	बायीं मुख्य नहर	अप्रैल, 2001 से अक्टूबर, 2001 तक मरम्मत कार्य हेतु व्यय की गई राशि लाखों में
1.	आर.डी. 0 से 210 मीटर तक	0.88
2.	आर.डी. 210 मी. से 2 किमी.	2.45
3.	आर.डी. 2 से 4 किमी.	7.25
4.	आर.डी. 4 से 6 किमी.	8.90
5.	आर.डी. 6 से 8 किमी.	6.00
6.	आर.डी. 8 से 10 किमी.	4.10
7.	आर.डी. 10 से 12 किमी.	2.25
8.	आर.डी. 12 से 15 किमी.	2.25
9.	आर.डी. 15 से 27 किमी.	10.15
	योग	**47.58**

बायीं मुख्य नहर 0 से 27 किमी. के शेष मरम्मत कार्य जल वितरण प्रणाली के समापन एवं क्लोजर के मध्य अवधि में नवम्बर, 2001 से मार्च, 2002 तक किया जाना प्रस्तावित है :

क्र.सं.	बायीं मुख्य नहर	अनुमानित राशि लाखों में
1.	आरडी. 2 से 4 किमी.	2.00
2.	आरडी. 4 से 6 किमी.	2.40
3.	आरडी. 6 से 8 किमी.	1.50
4.	आरडी. 8 से 10 किमी.	—
5.	आरडी. 10 से 12 किमी.	0.80
6.	आरडी. 12 से 15 किमी.	3.30
	योग	**10.00**

अजमेर शहर के सिनेमाघरों को मनोरंजन कर में छूट

233. श्री के.सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में नये सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु मनोरंजन कर में कोई छूट देने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और कब तक के लिए?

(2) क्या उक्त योजना के तहत मनोरंजन कर में छूट सिर्फ नये सिनेमाघरों को ही है?

(3) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में अजमेर शहर में किसी सिनेमाघर को मनोरंजन कर में छूट दी गई है? यदि हां, तो किस आधार पर व किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किसी नये छविगृह को अधिसूचना संख्या एफ4(69) एफडी/टैक्स-डिवि/95-58 दिनांक 15.3.1996 के द्वारा संदेय मनोरंजन कर (अतिरिक्त मनोरंजन कर को सम्मिलित करते हुए) को पांच वर्षों की कालावधि के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते छूट प्रदान की गयी है कि ऐसे सिनेमाघर में फिल्मों का वाणिज्यिक प्रदर्शन दिनांक 31.3.2000 तक शुरू हो जाये, बाद में अधिसूचना संख्या एफ4(1) एफडी/टैक्स-डिवि/ 2000-307 दिनांक 30.3.2000 के द्वारा यह समय सीमा बढ़ाकर दिनांक 31.3.2002 तक कर दी गयी है।

(2) जी हां।

(3) हां, यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में अजमेर शहर में एक सिनेमाघर को मनोरंजन कर में छूट दी गई है। यह छूट इस सिनेमाघर में आग लगने पर नष्ट सिनेमाघर के नव निर्माण करने पर दी गयी है।

जिला नागौर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

234. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कुल कितने राजकीय अस्पताल कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) उक्त जिले के राजकीय अस्पतालों में डाक्टरों एवं सफाई कर्मचारियों के कुल कितने पद सृजित हैं और उक्त में कितने वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला नागौर के अधिकांश अस्पतालों में गंदगी और अव्यवस्था है? यदि हां, तो इसको दूर करने की व्यवस्था कब से शुरू कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कार्यरत राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियों आदि चिकित्सा संस्थानों का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जिले के राजकीय अस्पतालों एवं अन्य चिकित्सा संस्थावार डाक्टरों एवं सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की संस्थावार सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जिले की चिकित्सा संस्थानों में गंदगी व अव्यवस्था की राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना को छोड़कर और किसी चिकित्सा संस्थान की शिकायत विभाग को प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा की गई, जिसमें शिकायत सही प्रतीत नहीं होती।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अवैध पदोन्नतियां

235. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा सी.ए.एस. स्कीम के तहत रीडर से प्रोफेसर की पदोन्नतियां की गई थीं? यदि हां, तो पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नति का लाभ डा. सी.पी. जोशी, डा. गिरिजा व्यास एवं श्रीमती हेमलता जोशी को भी दिया गया है?

(3) क्या प्रश्न संख्या 2 में वर्णित तीनों अभ्यर्थी व्यक्तिशः साक्षात्कार में शामिल हुये थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवैध पदोन्नति को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा कुलपति श्री ए.के. सिंह को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(5) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नति की अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयोग ने अपने पर्यवेक्षक श्री पी.एन.चतुर्वेदी से जांच करवाई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों का विधिवत चयन वैधानिक रूप से गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया।

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 4.7.2001 (प्रति संलग्न है_2) के अनुसार ऐसे अध्यापकों, जो लम्बे समय से अवकाश पर चल रहे हैं तथा जिनके अवकाश की अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गिना जाता है, यदि इस योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु आवेदन करते हैं, के आवेदन पर गुणावगुणों के आधार पर "इन एबसेंसिया" में भी चयन हेतु विचार किया जा सकता है। अतः ऐसे अध्यापकों को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना आवश्यक नहीं था एवं न ही चयन समिति द्वारा इन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती हेमलता जोशी व्यक्तिशः साक्षात्कार में सम्मिलित हुयी थी।

(4) प्रश्न 3 के उत्तर के अनुरूप सभी पदोन्नतियां नियमानुसार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 24.7.2001 से चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये सभी चयनों को नियमानुसार मानते हुये अपनी सहमति भी प्रदान की है। (प्रति संलग्न है-3)

चयनोपरांत विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों के अभ्यावेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु एक पत्र 30.7.2001 को यू.जी.सी. अध्यक्ष द्वारा कुलपति को लिखा गया था। (प्रति संलग्न-4) जिसका प्रति उत्तर कुलपति द्वारा यू.जी.सी. को भेज दिया गया है। (प्रति संलग्न-5)

(5) इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के निर्माणाधीन तालाब

236. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गोपालपुरा तालाब की निविदाएं कब तक आमंत्रित की जावेंगी और उक्त तालाब का कार्य कब प्रारम्भ होकर पूर्ण होगा?

(2) क्या सरकार पिपलोन, कुण्डिया तथा टिडी यादेव तालाब का कार्य चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो

(श्री फतेह सिंह)

उक्त दोनों तालाबों की कार्यवाही किस स्तर तक पूरी कर ली गई है?

(3) क्या भंवरकोट तथा कोटली बगायचा तालाब का सर्वे पूरा कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की गोपालपुरा सिंचाई योजना की निविदा दिनांक 9.11.2001 को आमंत्रित की जा चुकी है। उक्त तालाब का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जाकर वर्ष 2004-2005 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) पीपलोन-कुण्डिया परियोजना का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है परन्तु टिडी यादेव योजना वन क्षेत्र में आने से अभी बनाना सम्भव नहीं है। पिपलोन कुण्डिया लघु सिंचाई योजना की 744 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। जबकि टिडी यादेव तालाब का अनुमान बना लिया गया है एवं उसमें प्रभावित वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु अभी प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

(3) जी हां। भंवर कोट तथां कोटड़ी बगायचा के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान ही उसमें वन क्षेत्र डूब में आने की जानकारी होने से उसका विस्तृत सर्वेक्षण व प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

237. **श्री रमेश चन्द पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद पदोन्नति से ही भरा जायेगा? यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब आयोजित हो रही है और उक्त पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है?

(3) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के विभिन्न चिकित्सालयों में कितने पद रिक्त हैं? उक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पद को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद को निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा भरा जाना है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा	वरिष्ठ विशेषज्ञ	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	4
		(मनोरोग, पैथोलोजी, नेत्र, मेडिसन)	
		उप नियंत्रक	1
		चिकित्सा अधिकारी	10
		मुख्य नर्सिग अधीक्षक	1
		नर्सिग अधीक्षका	1
		वरिष्ठ दन्त तकनीशियन	1
		टैक्नीकल सहायक	1
2.	सिटी डिस्पेंसरी, नं. 1 (बांसवाड़ा)	चिकित्सा अधिकारी	1
3.	सिटी डिस्पेंसरी, नं. 2 (बांसवाड़ा)	चिकित्सा अधिकारी	1
4.	खादू कोलोनी, डिस्पेंसरी (बांसवाड़ा)	चिकित्सा अधिकारी	1
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		कनिष्ठ लेखाकार	1
		नेत्र सहायक	1

1	2	3	4
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेड़ी बड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिकल, सर्जरी)	2
		नर्स श्रेणी-प्रथम	1
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	3
		सहायक रेडियोग्राफर	1
		लैब टैक्नीशियन	1
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घलकीय	लैब टैक्नीशियन	1
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहाला	लैब टैक्नीशियन	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमपुर	लैब टैक्नीशियन	1
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंजना	लैब टैक्नीशियन	1
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी	लैब टैक्नीशियन	1
12.	एम.सी.डब्ल्यू. सेन्टर, बांसवाड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1
13.	टी.बी. क्लीनिक, बांसवाड़ा	लैब टैक्नीशियन	1
		टी.बी.एच.वी.	2
		रेडियोग्राफर	1

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के विद्यालयों के व्याख्याताओं के रिक्त पद

238. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पायी है? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी?

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के किन-किन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किन-किन विषयों के व्याख्याता नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्याख्याताओं की कमी है? यदि हां, तो सरकार कब तक पूरी कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। गत दो वर्षों में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों व माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं अन्य स्टाफ को वित्तीय प्रावधानानुसार पदों को स्वीकृत करने की व्यवस्था की जा चुकी है। जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है या पद रिक्त है वहां उसी विद्यालय में कार्यरत योग्यताधारी अध्यापकों से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तथा पाते वेतन पर अध्यापकों को भी लगाया गया है। साथ ही रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु "गेस्ट फैकल्टी" योजना के तहत व्याख्याताओं को लगाने का आदेश भी प्रस्तावित किया जा चुका है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 13 व्याख्याताओं के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। व्याख्याताओं के पदों को भरने हेतु 1283 पद हेतु अर्थनायें राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर एवं विभागीय पदोन्नति समति से भी चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट "क"

बिन्दु संख्या-2 की सूचना

विधान सभा के सराड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त व्याख्याताओं की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	राजउमावि., सारडा	5	3	1 भुगोल 1 उर्दू
2.	राजउमावि., चावण्ड	12	10	1 अंग्रेजी 1 भुगोल
3.	राजउमावि., सेमोरी	4	3	1 हिन्दी
4.	राजउमावि., झाडोल	4	3	1 भूगोल
5.	राजउमावि., अटवास	4	2	1 इतिहास 1 राज. शास्त्र
6.	राजउमावि., देवपुरा	5	4	1 हिन्दी 1 अर्थशास्त्र 1 भूगोल
7.	राजउमावि., परसाव	5	4	1 हिन्दी
8.	राजउमावि., केजड़	5	4	1 संस्कृत
	योग	**44**	**31**	**13**

रूपारेल नदी (भरतपुर) पर निजी संस्था द्वारा बांध निर्माण

239. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रूपारेल नदी पर निजी संस्था द्वारा बांध का निर्माण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्माण कार्य की सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि रियासतकालीन समय में रूपारेल नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अलवर-भरतपुर रियासतों के बीच कोई समझौता हुआ था?

(4) उक्त निर्माण कार्य कराने वाले के विरुद्ध अब सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रूपारेल नदी के निजी संस्थान द्वारा एक कच्चा एनीकट का निर्माण किया

(सिंचाई मंत्री)

गया है। विवरण प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) विभाग द्वारा सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम, 1954 की धारा 55 व 58 के तहत अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 20.6.2001 को एक नोटिस दिया गया था एवं संस्थान से बांध की बाई पास चैनल को गहरी कराई जाकर नाले के ऊपर का पानी निकाला गया था। संस्थान को सिंचाई विभाग द्वारा जारी नोटिस का विवरण प्रपत्र "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रपत्र "अ"

रूपारेल नदी पर निर्मित लाहा का बास बांध का विवरण

(1)	निर्माण	:	ग्राम-लाहा का बास के पास, तहसील-थानागाजी, जिला-अलवर।
(2)	नदी का नाम	:	रूपारेल जिला, अलवर।
(3)	बांध की स्थिति	:	अक्षांश - 76 - 19 देशान्तर - 27 - 23
(4)	निर्माण संस्थान	:	तरूण भारत संघ
(5)	निर्माण प्रारम्भ तारीख व समाप्ति	:	दिनांक 12.3.2001, समाप्ति जून, 2001
(6)	बांध का प्रकार	:	मिट्टी का कच्चा बांध
(7)	बांध का जल प्रदाय क्षेत्र	:	15.23 वर्ग मील (39 वर्ग कि.मी.)
(8)	बांध स्थल पर अपेक्षित जल प्रवाह	:	10793 क्यूसेक्स
(9)	बांध स्थल पर अनुमानित जल आवक	:	150.32 मिलीयन घन फीट
(10)	बांध की कुल लम्बाई	:	225
(11)	बांध की नाले पर ऊंचाई	:	15.5 मीटर
(12)	बांध की आधार की चौड़ाई	:	अधिकतम - 77 मीटर न्यूनतम - 7
(13)	बांध की ऊपरी चौड़ाई	:	अधिकतम - 11 मीटर न्यूनतम - 3 मीटर
(14)	बांध का स्लोप	:	अधिकतम - 1.25.1 न्यूनतम - 0.55.1
(15)	बांध की अधिकतम भराव क्षमता	:	9.3 मिलीयन घन फीट

प्रपत्र "ब"

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

रजिस्टर्ड ए.डी.

क्रमांक : 2905 दिनांक 20.6.2001

श्री राजेन्द्र सिंहजी
तरुण भारत संघ,
भीकमपुरा किशोरी,
थानागाजी।

विषय : नोटिस राजस्थान सिंचाई बांध जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 55 के अन्तर्गत (लाहा का बास) में रूपारेल मुख्य नहर पर अनधिकृत एनीकट निर्माण करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा रूपारेल मुख्य नदी पर लाहा का बास गांव के समीप थानागाजी पंचायत समिति में एक मिट्टी के बांध का निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण राजस्थान सिंचाई जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 55 का उल्लंघन कर बनाया जा रहा है। अतः इसका निर्माण तुरन्त प्रभाव से रोके व निर्मित कार्य को हटाये।

इस बाबत आपको पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1562 दिनांक 22.5.2001 द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था। लेकिन उक्त निर्माण कार्य आप द्वारा नहीं रोका गया है।

अब पुनः आपको राजस्थान सिंचाई जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 55 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाता है कि उक्त निर्माण कार्य को आप अविलम्ब रोकें व निर्मित कार्य को तुरन्त हटायें। यदि 7 दिन में आपके द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई तो राजस्थान सिंचाई जल निकासी अधिनियम 1954 की धारा 55 व 58 के तहत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सूचित रहे।

भवदीय
ह०/-
अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, अलवर।

राज्य में नर्सिंग संस्थान हेतु निर्धारित नीति

240. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नर्सिंग संस्थान खोलने हेतु सरकार द्वारा नीति घोषित की गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज रखें।

(2) उक्त हेतु अब तक कितने संस्थानों को अनुमति दी गई है?

(3) क्या उक्त संस्थानों के विरुद्ध अवैध तरीके से प्रवेश संबंधी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी एवं किस-किस संस्थान के विरुद्ध? शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शिकायतों की जांच सरकार द्वारा कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। सरकार ने उक्त जांच प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में निजी क्षेत्र में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 12.5.2000 एवं 2.7.2001 की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त हेतु अब तक राज्य सरकार द्वारा 27 संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

(3) जी हां। वांछित सूचना का विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है, जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर प्रस्तुत है। राज्य सरकार ने उक्त जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही हेतु निदेशक (एड्स) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को निर्देश प्रदान किये हैं, उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच, ग्राम पंचायत, देवलियांकलां (अजमेर) के विरुद्ध लम्बित जांच

241. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम-देवलियांकलां, पंचायत समिति-भिनाय, जिला-अजमेर के सरपंच के विरुद्ध जांच चल रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त जांच रिपोर्ट पर विकास अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को लिखा गया है? यदि हां, तो कब लिखा? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोषी सरपंच को बचाने की कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत देवलियां कलां, पंचायत समिति, भिनाय के सरपंच के विरुद्ध जांच जुलाई, 2001 से चल रही है।

(2) जी हां। विकास अधिकारी द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दिनांक 26.6.2001 को इस विभाग को लिखा गया है। विकास अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है। इसी रिपोर्ट पर सरपंच के विरुद्ध उक्त कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

(3) जी नहीं। प्रकरण में विभागीय जांच करवायी जा रही है। जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालय पंचायत समिति, भिनाय (अजमेर)

क्रमांक : पराभि/2001/1324-1326 दिनांक 16.6.2001

श्रीमान् निदेशक महोदय,

पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।

विषय : फतेह चन्द जैन (महात्मा), सरपंच, ग्राम पंचायत, देवलियाकलां के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 में कार्यवाही प्रस्तावित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री फतेह चन्द जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत-देवलियाकलां द्वारा पंचायती कार्यों में लगातार अनियमितता की जा रही है एवं अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनका कार्य एवं व्यवहार भी सन्तोषप्रद नहीं है।

श्री फतेह चन्द जैन द्वारा निम्नांकित अनियमितता की है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1. श्री लालचन्द चौहान, ग्राम सेवक, पदेन सचिव, देवलियाकलां के प्रशिक्षण पर जाने पर ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु श्री बुद्धराज, ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, भिनाय को भिनाय के अतिरिक्त ग्राम पंचायत-देवलियाकलां का चार्ज प्राप्त करने के आदेश दिये गये। सरपंच, देवलियाकलां की टेलीफोनिक वार्ता एवं इनके पत्रांक दिनांक 17.3.2001 के द्वारा श्री बुद्धराज, ग्राम सेवक को आगामी आदेश तक पूर्णकालिक चार्ज प्राप्त करने के आदेश दिये गये परन्तु सरपंच, देवलियाकलां के पत्रांक 243 दिनांक 24.3.2001 के द्वारा श्री जैन ने श्री श्री बुद्धराज ग्राम सेवक को ग्राम पंचायत-देवलियाकलां में कार्यभार ग्रहण न करवाकर पुनः ग्राम पंचायत-भिनाय के लिए कार्यमुक्त कर दिया जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है एवं पंचायत समिति के आदेशों की पूर्ण अवहेलना है।

श्री बुद्धराज, ग्राम सेवक को सरपंच, देवलियाकलां की अभिशंसा पर श्रीमान् प्रधान महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर ही पूर्णकालिक चार्ज प्राप्त करने के आदेश दिये गये थे।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 334 (18) में विकास अधिकारी पंचायत समिति के कर्मचारी पर पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण हेतु सक्षम है एवं अधिकृत है व नियमों के अन्तर्गत एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम है।

श्री फतेह चन्द (महात्मा) जैन द्वारा पंचायत समिति द्वारा लगाये गये ग्राम सेवक को कार्यभार ग्रहण न करवाकर पुनः ग्राम पंचायत, भिनाय हेतु कार्यमुक्त किया जो पूर्णतः नियमों के विपरीत है एवं इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

इस कृत्य से जाहिर होता है कि जानबूझकर ग्राम सेवक को ग्राम पंचायत से लगभग एक माह तक दूर रखने का षड्यंत्र रचा गया जबकि उक्त अवधि में अकाल राहत एवं अन्य योजना के क्रमशः निम्नांकित राशि के कार्य प्रगति पर थे—टीएफुसो में 4.50 लाख, राजीव गांधी पेंशन विभाग के 3.65 लाख एवं अकाल के 10.75 लाख रुपये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि देवलियाकलां, सरपंच, फतेह चन्द जैन लगभग एक माह तक ग्राम पंचायत से दूर रह कर बिना ग्राम सेवक के पंचायत का कार्य सम्पन्न करते रहे जबकि उक्त अवधि में अधिक व्यय वाले कार्य प्रगति पर थे।

2. श्री फतेह चन्द जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत, देवलियाकलां ने आबादी भूमि विक्रय से प्राप्त निधि आय को बिना पूर्व स्वीकृति के राशि 345500/- रुपये के कार्य करवाये जो स्पष्टतः राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 214 का उल्लंघन है। इस क्रम में श्री फतेह चन्द जैन द्वारा समस्त राशि या अनियमित व्यय करने के उपरान्त पंचायत समिति से वित्तीय स्वीकृति चाही जिसका की पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने एतराज करते हुए श्री जैन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

3. विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 10.5.2001 को अकाल राहत के कार्यों का ग्राम पंचायत, देवलिया कलां में निरीक्षण किया गया कार्य का नाम निम्नानुसार है :—

1. देवलिया कलां से कोटड़ी सड़क

2. देवलिया कलां से लामगरा सड़क

निरीक्षण के दौरान मौके पर मस्टररोल नहीं पाये गये एवं श्रमिकों की हाजरी मेटों द्वारा कच्चे रजिस्टर में लिया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित मेट श्री श्रवण कुमार एवं अन्य मजदूरों का बयान लिया गया। इसी ग्राम पंचायत के राहत कार्य कोटड़ी सड़क पर कार्यरत 40 श्रमिकों की उपस्थिति कच्चे रजिस्टर में दर्ज की गई। मौके पर मस्टररोल मौजूद नहीं पाया गया। इस प्रकार देवलियाकलां से लामगरा सड़क पर स्वीकृत 30 श्रमिकों को मौके पर पूछताछ से ज्ञात हुआ कि दिनांक 17 एवं 18.5.2001 को ही कार्य किया है जबकि कच्चे रजिस्टर में उनकी हाजरी दिनांक 16, 17, 18.5.2001 दर्शायी गयी है।

सम्बन्धित श्रमिकों से पूछे जाने पर उनका कथन है कि हमारी प्रति पखवाड़े इसी प्रकार तीन-चार दिन बाद ही हाजरी लगायी जाती है जबकि सरपंच द्वारा दिनांक 15.5.2001 को मस्टररोल प्राप्त किये जा चुके हैं।

सहायता विभाग के राहत कार्यों के संचालन में उक्त कृत्य गैर जिम्मेदाराना एवं गैर कानूनी व फर्जी हाजरी भरकर वित्तीय अनियमितता करना है।

इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1120 दिनांक 19.5.2001 के द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को अवगत कराया गया।

श्री फतेह चन्द जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत-देवलियाकलां से उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर इस कार्यालय में स्पष्टीकरण पत्रांक 1217 दिनांक 30.5.2001 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री जैन द्वारा अपने पत्रांक एसपी-1 दिनांक 8.6.2001 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया जो पूर्णतः असंतोषजनक है एवं इनमें इन बिन्दुओं की अनियमितता के सम्बन्ध में गलत नियमों का हवाला देते हुये कार्यालय को धमकीयुक्त भाषा में भ्रमित करने का प्रयास किया है।

अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रति तैयार कर आपकी सेवा में भिजवायी जा रही है। श्री फतेह चन्द जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत-देवलियाकलां की कार्यप्रणाली पूर्णतः संदिग्ध एवं सन्देहास्पद है एवं महसूस होता है कि यह अपनी पंचायत का कार्य पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत करने में विश्वास नहीं रखते हैं जिससे भविष्य में पंचायत के कार्यों में और भी अनियमितता होने की पूर्णतः सम्भावना है।

अतः निवेदन है कि पूर्ण पत्रावली आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है एवं इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 में कार्यवाही प्रस्तावित है।

ह०/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, भिनाय

संलग्न : पत्रावली पेज नं. 1 से 15 पृष्ठ तक

सिद्धमुख कैनाल व नोहर फीडर के ग्रामों में चकबन्दी

242. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सिद्धमुख कैनाल व नोहर फीडर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में चकबन्दी का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार के पास इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि उक्त कार्य समय पर पूरा हो सकेगा? यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था की जा रही है?

(2) क्या सरकार संसाधनों की कमी के कारण कार्य निजी संस्थानों से निविदाएं आमंत्रित करके शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। समय पर कार्य पूरा कराने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है एवं उक्त कार्य विभागीय स्तर पर माह जून, 2002 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कम्बल की खरीद

243. श्री सुरेन्द व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर ने दिनांक 17.2.1995 को 2,17,900 रुपये मूल्य के कम्बल खादी ग्रामोद्योग आयोग, बाड़मेर से क्रय किये तथा उक्त के भुगतान का बजट लेखाधिकारी, जयपुर ने दिनांक 14.10.1997 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर को भेज दिया?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर ने उक्त भुगतान अभी तक खादी ग्रामोद्योग आयोग, बाड़मेर को नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय के पत्र दिनांक 14.10.1997 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के पास उक्त मद में उपलब्ध बजट राशि से नियमानुसार भुगतान हेतु निर्देश दिये गये थे।

(2) जी हां। अनियमित क्रय के दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच के निर्णय होने के उपरान्त ही भुगतान पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(4) दोषी अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

पदोन्नति से वंचित वरिष्ठ व्याख्याता

244. श्री जर्नादन गहलोत (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/बी 2/45004/97-98 दिनांक 28.10.1997 द्वारा वर्ष 1997-98 की रिक्तियों के विरुद्ध उपाचार्य के पदों पर की गई पदोन्नति से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यालय शिक्षा मंत्री विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1232/शि.मं./97 दिनांक 22.12.1997 के द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को पदोन्नति से वंचित व्याख्याताओं के अभ्यावेदनों पर समुचित कार्यवाही कर यदि कनिष्ठ व्याख्याताओं को पदोन्नति दी गई है तो वरिष्ठ कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ देने हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? मंत्री महोदय का पत्र व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्यालय शिक्षा मंत्री विभाग के पत्र क्रमांक 259/शि.मं./98 दिनांक 21.4.1998 एवं पत्र क्रमांक 412/शि.मं./98 दिनांक 25 जून, 1998 के द्वारा मंत्री महोदय की ओर से पुनः निदेशक को उक्त संबंध में त्वरित कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों की प्रति मय विभाग की ओर से मंत्री महोदय को दी गई जानकारी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997 में पदोन्नति से वंचित व्याख्याताओं के प्रकरणों पर, जिनमें कई सेवानिवृत्त हो गये हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार कब तक उनके प्रकरणों पर विचार कर पदोन्नति का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके व्याख्याताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये। प्राप्त अभ्यावेदन पर नियमों एवं विभागीय निर्देशों की पालना में परीक्षण कर अभ्यावेदनों का निस्तारण किया गया।

(2) जी हां। तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय के पत्र दिनांक 22.12.1997 के

(शिक्षा मंत्री)

सन्दर्भ में पत्र दिनांक 31.1.1998 के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था कि अभ्यर्थी का वर्ष 1997-98 की डी.पी.सी. की मूल सूची में चयन नहीं होने से पदोन्नति नहीं दी गई। मंत्री महोदय का पत्र परिशिष्ट "क" में एवं उन पर दी गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पत्र दिनांक 21.4.1998 की प्रति परिशिष्ट "ग" में सदन की मेज पर रख दी गई है। पत्र दिनांक 26.6.1998 की प्रति विभाग में उपलब्ध नहीं है। परन्तु उक्त दोनों पत्रों के संदर्भ में माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय को सम्मिलित उत्तर पत्र दिनांक 28.7.1998 द्वारा दिया जा चुका था जिसकी प्रति परिशिष्ट "घ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। विभाग द्वारा किसी भी व्याख्याता, जिसका चयन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया गया था, को पदोन्ति से वंचित नहीं किया गया है। अतः सेवानिवृति हो चुके व्याख्याताओं के प्रकरणों पर किसी प्रकार की कार्यवाही वर्तमान में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आरई.एस.-1970 के प्रावधानानुसार प्रति वर्ष 1 अप्रैल को कार्यरत कार्मिक का ही नाम विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचाराधीन पात्रता सूची रखी जा सकती है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

कार्यालय शिक्षा मंत्री, भाषाई अल्पसंख्यक, देवस्थान एवं भाषा विभाग, जयपुर (राज.)

क्रमांक : 1232/शिव/97 दिनांक 22.12.1997

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर।

श्री विजय कृष्ण कल्ला, सेनि. व्याख्याता, रा. नवीन सी.मा.वि., जोधपुर ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनसे जूनियर व्याख्याता को उप प्रधानाचार्य के पद पद पदोन्नति दे दी गयी है लेकिन उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है।

अतः कृपया श्री कल्ला के अभ्यावेदन पर समुचित कार्यवाही कर अवगत कराये यदि इनसे कम वरियता के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई है तो इन्हें भी पदोन्नति का लाभ दिया जावे।

ह० /-
गुलाब चन्द कटारिया
शिक्षा मंत्री

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राज., बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/डीपीसी/उप प्राचार्य/97-98 दि. 31.1.1998

विशिष्ट सहायक,
माननीय शिक्षा मंत्री,
शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : श्री विजय कृष्ण कल्ला, सेवानिवृत्त व्याख्याता की पदोन्नति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की रिक्तियों की पूर्ति हेतु दिनांक 3.5.1997 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समिति के द्वारा प्राध्यापक कोटे से वरिष्ठता क्रमांक : 828 तक का ही चयन किया गया। श्री कल्ला का वरिष्ठता क्रमांक 1094 है तथा समिति की अभिशंसा के आधार पर इनका नाम पृथक सूची में रखा गया है। इस प्रकार कल्ला का मुख्य सूची में चयन नहीं होने के परिणामस्वरूप पदोन्नति नहीं की जा सकी।

श्री कल्ला द्वारा उल्लेखित वरिष्ठता क्रमांक : 1095 से 1110 तक का माह नवम्बर, 1997 की रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ (अस्थाई) पदोन्नति दी गई है। श्री कल्ला से कनिष्ठ किसी भी अधिकारी को पदोन्नति नहीं की गई है। श्री कल्ला 31.10.1997 को सेवानिवृत्त हो चुके थे।

भवदीय
ह०/-
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राज.,
बीकानेर।

परिशिष्ट "ग"

गुलाब चन्द कटारिया

मंत्री

शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषाई अल्पसंख्यक,
देवस्थान एवं भाषा विभाग,
जयपुर-302005 (राजस्थान)

क्रमांक : 259/शि.मं./98 दिनांक : 21 अप्रैल, 1998

निदेशक,

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान सरकार, बीकानेर।

विषय : श्री विजय कृष्ण कल्ला, सेवानिवृत्त व्याख्याता (इतिहास), राजकीय नवीन सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर की उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति बाबत पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक 1232/शि.म./97 दिनांक 22.12.1997 के संदर्भ में।

श्री विजय कृष्ण कल्ला दिनांक 31.10.1997 को व्याख्याता (इतिहास) पद से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। श्री कल्ला जब सेवा में थे उस समय इन्हें उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जानी थी लेकिन विभाग ने इन्हें 31.10.1997 की सेवानिवृत्त होने की वजह से पदोन्नत नहीं किया जबकि श्री कल्ला पदोन्नति हेतु नियमान्तर्गत पात्र थे। विभाग ने 28.10.1997 को पदोन्नति आदेश निकाले थे उस समय सितम्बर-अक्टूबर, माह की रिक्तियों पर इन्हें भी पदोन्नत किया जाना था। यदि पदोन्नति कर दी जाती तो ये कार्यग्रहण कर सकते थे।

डी.पी.सी. नियमों के अन्तर्गत 01.04.1997 को ही ये पदोन्नति के पात्र हो गये थे यदि समय पर पदोन्नति के आदेश होते तो ये पदोन्नति प्राप्त कर सकते थे।

विभाग द्वारा विलम्ब होने से इन्हें पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा। अब इन्हें 28.10.1997 के आदेशों के अनुसार ही पदोन्नति परिलाभ दिया जावे तथा मुझे तुरन्त अवगत करावें।

ह०/-
गुलाब चन्द कटारिया

परिशिष्ट "घ"

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/संस्था/बी-3/डीपीसी/उप प्राचार्य/97-98 दि. 28.7.1998

विशिष्ठ सहायक,

शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : श्री विजय कृष्ण कल्ला, सेनि. व्याख्याता, रासीमावि., जोधपुर की उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक क्रशिसं/98 दिनांक 25.6.1998।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपप्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की रिक्तियों की पूर्ति हेतु दिनांक 3.5.1997 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समिति ने उप प्रधानाचार्य के पदों की पूर्ति हेतु व्या. कोटे से 276 तथा प्रधानाध्यापक (मावि.) कोटे से 253 पदों की पूर्ति हेतु सामान्य श्रेणी में रिक्त पदों के तीन गुणा आशार्थियों की पात्रता सूची चयन हेतु रखी गई। जिसमें वर्ष 71-81 के व्याख्याताओं को विचारार्थ समिति के समक्ष रखा गया। समिति के द्वारा वरिष्ठता सूची वर्ष 71-81 में वरिष्ठता क्रमांक 826 तक का चयन किया गया। आरक्षित कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1981-83 के व्याख्याताओं का चयन किया।

पृथक सूची में वर्ष 1971-81 तक की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्र. 827 से 1945 तक के आशार्थियों का चयन समिति की अभिशंसा के आधार पर किया गया। श्री विजय कृष्ण कल्ला का चयन पृथक सूची में समिति की अभिशंसा के आधार पर किया गया। पृथक सूची का निर्माण राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के उप नियम 24(3) के तहत मूल सूची के आशार्थियों के कार्यग्रहण करने के पश्चात् रिक्त रहे पदों की पूर्ति हेतु किया जाता है तथा ये चयन आगामी वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति के समय पुनरावलोकन किया जाता है। मूल सूची के आशार्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने तथा नये पदों के सृजन आदि से रिक्त रहे पदों पर पृथक सूची के आशार्थियों के समायोजन रिक्त पदों की स्थिति के अनुरूप ही किया गया है। श्री कल्ला 31.10.1997 के अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के कारण दिनांक 31.10.1997 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुके थे। अत: इस कार्यालय के आदेश दिनांक 28.10.1997 से अस्थाई (तदर्थ) पदोन्नति नवम्बर, 1997 की रिक्तियों की पूर्ति हेतु की गई थी। इस सन्दर्भ में आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.1.1998 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

भवदीय

ह०/-

माध्यमिक शिक्षा, राज.,

बीकानेर।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के प्रस्तावित बांध

245. श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के गम्भीरी बांध की नहरों के पुनर्निर्माण की क्या योजना है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कनेरा घाटा क्षेत्र में सरसी का नाका एवं भावलिया बांध के निर्माण की क्या योजना है? अब कब तक उक्त के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जा रहा है?

(3) छोटी सादड़ी में "पण्ढेरिया" बांध के निर्माण की क्या योजना है? क्या सरकार पण्ढेरिया बांध के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में गम्भीरी बांध की नहरों के पुनर्निर्माण/आधुनिकीकरण के लिये राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अन्तर्गत 535 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित है।

(2) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के कनेरा घाटा क्षेत्र की सरसी का नाका एवं भावलिया बांध के निर्माण के लिये क्रमश: 279.40 एवं 288.30 लाख रुपये. की योजनाएं स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं को नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ.-7 के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त कार्यों को आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) छोटी सादड़ी में "पण्ढेरिया बांध" के निर्माण की योजना उपयुक्त नहीं पाई जाने से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-409 की सूची) परिशिष्ट "क"

न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की सूची

क्र.सं.	कोषालय का नाम	न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की संख्या	कारण
1	2	3	4
1.	अजमेर	24	दोहरी पेंशन, पेंशनर दो भागों में विभक्त होने का आक्षेप के कारण
2.	अलवर	कोई नहीं	—
3.	बांसवाड़ा	08	विकल्प प्राप्त नहीं होने के कारण
4.	बारां	कोई नहीं	—
5.	बाड़मेर	76	वित्त विभाग के आदेश दिनांक 21.3.1998 की पालना नहीं होने के कारण
6.	ब्यावर	73	पेंशनर द्वारा मिलिट्री पेंशन लिए जाने के कारण पेंशनर द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिये जाने के कारण
7.	भरतपुर	42	सम्बन्धित बैंकों को पेंशन निर्धारण हेतु लिखा गया है।
8.	भीलवाड़ा	कोई नहीं	कोई कार्यवाही नहीं।
9.	बीकानेर	376	पेंशनरों द्वारा आवेदन नहीं किये गये।
10.	बूंदी	कोई नहीं	—
11.	चित्तौड़गढ़	कोई नहीं	—
12.	चूरू	75	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण
13.	दौसा	कोई नहीं	—
14.	धौलपुर	06	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण
15.	डूंगरपुर	30	विकल्प पत्र प्रस्तुत न होने के कारण
16.	श्रीगंगानगर	50	—
17.	हनुमानगढ़	77	—

1	2	3	4
18.	जयपुर (शहर)	कोई नहीं	—
19.	जयपुर (पीपीओ)	कोई नहीं	—
20.	जयपुर (ग्रामीण)	03	पेंशन विभाग, बीकानेर से मार्गदर्शन चाहा गया
21.	जयपुर (सचिवालय)	—	—
22.	जैसलमेर	शून्य	—
23.	जालौर	45	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
24.	झालावाड़	शून्य	—
25.	झुंझुनूं	शून्य	—
26.	जोधपुर (शहर)	—	—
27.	जोधपुर (ग्रामीण)	शून्य	—
28.	करौली	86	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण
29.	कोटा	273	
30.	नागौर	53	
31.	पाली	शून्य	—
32.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	07	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
33.	राजसमन्द	शून्य	—
34.	सवाईमाधोपुर	83	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होने के कारण
35.	सीकर	10	बैंक से अधिक पेंशन प्राप्त करने के कारण
36.	सिरोही	शून्य	—
37.	टोंक	64	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होने के कारण
38.	उदयपुर	शून्य	—
39.	ए.पी.ए.ओ. नई दिल्ली	—	—
	योग	**1461**	

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-411 की सूची) परिशिष्ट "क"

वर्ष 2001-02 के दौरान जिला कलक्टर द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का विवरण

1.	उदयपुर	19.05.2001, 10.08.2001
2.	बाड़मेर	23.06.2001, 17.09.2001
3.	बीकानेर	26.05.2001, 24.08.2001
4.	हनुमानगढ़	09.05.2001, 30.06.2001, 15.09.2001
5.	टोंक	28.05.2001
6.	सिरोही	बैठकें नियमित रूप से होना बताया है
7.	बून्दी	बैठकें नियमित रूप से होना बताया है
8.	पाली	समय पर आयोजित होना बताया है
9.	राजसमन्द	समय पर आयोजित होना बताया है
10.	सवाईमाधोपुर	16.04.2001, 13.06.2001, 29.09.2001
11.	धौलपुर	बैठकें नियमित रूप से होना बताया है
12.	दौसा	समय पर आयोजित होना बताया है
13.	बांसवाड़ा	बैठकें नियमित रूप से होना बताया है
14.	जालौर	26.06.2001, 28.09.2001
15.	कोटा	26.07.2001
16.	बारां	26.04.2001
17.	करौली	14.06.2001
18.	डूंगरपुर	समय पर आयोजित होना बताया है
19.	चूरू	समय पर आयोजित होना बताया है
20.	सीकर	07.05.2001

21.	झुंझुंनूं	समय पर बैठकों का आयोजित होना बताया है
22.	झालावाड़	09.04.2001, 11.05.2001, 08.06.2001, 9.07.2001, 09.08.2001, 11.09.2001
23.	जयपुर	19.08.2001
24.	अलवर	28.06.2001, 28.09.2001
25.	भरतपुर	29.09.2001
26.	जैसलमेर	24.04.2001, 27.07.01, 31.10.2001
27.	भीलवाड़ा	14.06.2001, 05.10.2001
28.	अजमेर	28.04.2001, 19.06.2001, 28.08.2001, 9.11.2001
29.	श्रीगंगानगर	28.05.2001, 30.08.2001
30.	नागौर	22.06.2001, 03.10.2001
31.	जोधपुर	शून्य (टेलीफोन पर वार्तानुसार)
32.	चित्तौड़गढ़	25.07.2001

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-417 की सूची) परिशिष्ट "क"

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 1(1) जन./96/1430 दिनांक 11.10.2000 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव निम्नप्रकार से है

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	प्रस्ताव	प्रस्तावक
1.	स्व. श्री पन्नालालजी त्रिवेदी	कुशलगढ़ में बांसवाड़ा-उदयगढ़ रोड नाका नं. 1 पीपली चौराहे का नाम स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी के नाम किया जावे।	श्री फतेह सिंह, विधायक, कुशलगढ़।
2.	स्व. श्री दाडम चन्द दौसी	कुशलगढ़ में रतलाम रोड वार्ड नं. 10 व 11 रतलाम नाका बस स्टेण्ड चौराहा का नाम स्व. श्री दाडम चन्द दौसी के नाम किया जावे।	श्री फतेह सिंह, विधायक, कुशलगढ़।
3.	स्व. श्री वर्धमानजी गादिया	कुशलगढ़ में नगरपालिका के पीछे वाले चौराहे का नाम स्व. श्री वर्धमानजी गादिया किया जावे।	श्री फतेह सिंह, विधायक, कुशलगढ़।

परिशिष्ट 'ख'

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 1(1) सामा./नामकरण/1996/1284 दिनांक 16.5.2001 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	प्रस्ताव	प्रस्तावक
1.	स्व. श्री हरिदेव जोशी	माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा का नाम स्व. श्री हरिदेव जोशी के नाम पर "हरिदेव जोशी माही परियोजना" किया जावे।	—

परिशिष्ट "ग"

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 1(2) जन/2001/1118-19 दिनांक 17 मई, 2001 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव निम्नप्रकार है

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	प्रस्ताव	प्रस्तावक
1.	स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलगढ़ का नाम स्वर्गीय श्री पन्नालाल त्रिवेदी राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, कुशलगढ़ किया जावे।	
2.	स्व. श्री दाडम चन्द दौसी	भारतीय स्टेट बैंक चौराहे का नाम स्व. श्री दाडम चन्द दौसी चौराहे कुशलगढ़ किया जावे।	
3.	स्व. श्री वर्धमान गादिया	कुशलगढ़ नगर में स्थित रतलाम रोड चौराहे का नाम स्व. श्री वर्धमान गादिया चौराहा रतलाम रोड, कुशलगढ़ किया जावे।	

परिशिष्ट "अ"

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4(31) साप्र/5/2000 दिनांक 11.1.2001 द्वारा जारी स्वीकृतियों की सूची

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	नामकरण की स्वीकृतियां
1.	स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी	कुशलगढ़ में बांसवाड़ा-उदयगढ़ रोड नाका नं.-1, पिपली चौराहे का नामकरण "स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी"।

परिशिष्ट "ब"

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक पं. 4(31) साप्र/6/2001 दिनांक 27.9.2001 द्वारा जारी स्वीकृतियों की सूची

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	नामकरण की स्वीकृतियां
1.	स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलगढ़ का नामकरण "स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी"।
2.	स्व. श्री दाडम चन्द दौसी	भारतीय स्टेट बैंक चौराहा का नामकरण स्व. श्री दाडम चन्द दौसी चौराहा, कुशलगढ़।
3.	स्व. श्री वर्धमान गादिया	रतलाम रोड चौराहा का नाम स्व. श्री वर्धमान गादिया चौराहा, रतलाम रोड, कुशलगढ़।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-419 की अधिसूचनाओं की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.II)

No.F.7(2) DOP/A-II/96 Jaipur, Dated : 17-6-1996

CIRCULAR-ORDER

Sub : Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in posts/services under the Government.

According to the existing rule and circulars issued by the Government from time to time, reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes have been made to the extent of 16%, 12% and 21% respectively in the matter of direct recruitment. The matter under consideration of this department is as to whether :—

(1) The candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who get selected on general merit shall be counted against the reserve vacancies or general vacancies, and

(2) Whether those who get in the merit list as a result of special concession given to them in terme of age and attempts should be considered against general vacancies or reserve vacancies.

In this connection it is clarified that according to order No.F.2 (6)/DOP/A-II/88 dated 15th February, 1990 it was decided that where candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes qualify on marit against direct recruitment quota posts these posts should not against posts in reserve quota or in other words, the reserve quota should be filled in exclusively from amongst the candidates who qualify under the terms and conditions applicable to the reserve quota. Again vide notification No. 9(8) DOP/A-V/90 dated 28th September, 1993 it was clarified that the candidates belonging to Other Backward Classes recruited on the basis of merit in an open Competition on the same

standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 21%.

The matter has been again examined in consultation with Law Deptt. and the Law Deptt. have advised that the quota of post for which every citizen is eligible of compete is entirely different of reserve quota and for recruitment to the post falling in open competition quota, the conditions of eiligibility can be different to the conditions of eligibility for recruitment to the post of reserve quota. Therefore, the candidates belonging to SC/ST and OBC who get selected fulfilling the conditions of eligibility regarding age limit and attempts prescribed for general candidates can be placed on general merit list and those who get placement in the merit list as a result of special concession given to them in terms of age and attempts should not be considered as the general candidates but should be considered against reserve vacancies.

All the Appointing Authorities and Competent Authorities who are authorised to make selections are advised to follow the above principle in making selection against direct recruitment quota post.

Sd./-
(SURAJ MAL KERWAL)
Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक : एफ.1(2) कार्मिक-क-2/97 जयपुर दिनांक 8 अगस्त, 2002

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) (संशोधन) नियम, 2002 है। (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(2) **नियम 17 का संशोधन** : राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 17 के उप नियम (1) में आयी अभिव्यक्ति आयु और फीस के निबन्धनों के अनुसार उन्हें दी गई विशेष रियायतों या सरकार द्वारा मंजूर की गई ऐसी अन्य रियायतों के स्थान पर आयु के निबन्धनों के अनुसार उन्हें दी गई विशेष रियायत या फीस में रियायत को छोड़कर सरकार द्वारा मंजूर की गई ऐसी अन्य रियायतों को प्रतिस्थापित की जाएगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम

ह०/-

(एस. एन. राम)

उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Personnel

(A-Group-II)

No. F.1 (2)DOP/A-II/97 Jaipur, Dated : 8 August, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999, namely :-

1. Short title and commencement :-

   i. These rules may be called the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) (Amendment) Rules, 2001.

   ii. They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 1/- The expression "age" and "fees" or such other concession granted by the Government occuring in proviso to sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan State and subordinate Services (Dircet Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999 shall be substituted by the expression "age or such order concession granted by the Government excluding the concession in fees".

By order and in the name of Governor
Sd./-
(S. N. Sharma)
Deputy Secretary to Government

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-423 का प्रपत्र) परिशिष्ट "क"

Field postings of Government servants facing criminal charges/ departmental enquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement misappropriation of funds, or serious financial irregularities

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Personnel

No.F.4(6)/DOP/A-3/78 Dated : July 13, 2001

All Principal Secretaries/Secretaries to Government
All Heads of Departments (including District Collectors)
All Special Secretaries to Government
All Deputy Secretaries to Government

CIRCULAR

SUBJECT : Regarding field postings of government servants who are facing criminal charges/departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, and serious financial irregularities.

It has been observed that government servants who are facing criminal charges/ deparment inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities are sometimes given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash. Not only does this send a wrong signal amongst the people at large, it is also not desirable that such government servants should be given field postings or other postings involving direct contact with the public or handling of cash till such time as they have been cleared in the criminal proceedings/departmental inquiry pending against them.

The matter has been considered by the State Government and it has been decided that all those government servants who are facing criminal charges/departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement of government funds, misappropriation of funds. causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities should not be given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash.

All Principal Secretaries to Government/Secretaries to Government and Heads of Departments are requested to immediately prepare a complete list of such government servants. Thereafter, it may be ensured that if any such government servants has been given a field posting or a posting which involves direct contact with the public, he should be immediately shifted from his present post to some post other than a field post/post involving direct contact with the public or which involve handling of cash.

Information regarding such government servants should be maintained in a permanent register in the office of each Principal Secretary to Government/Secretary to Government and Head of Department and it Should be updated periodically so as to ensure that the list is complete at all times.

All the Principal Secretaries to Government/Secretaries to Government and Heads of Departments and requested to ensure strict compliance of these instructions. Action as indicated above should be complete within a months time and a certificate may be sent to this Department in indicating that compliance of these instructions has been made.

Yours faithfully

Sd./-

(Ashok Sampatram)

Secretary to Government

परिशिष्ट "ख"

Field postings of government servants facing criminal charges/ departmental enquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement, misappropriation of funds, or serious financial irregularities

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Personnel

No.F.4(6)/DOP/A-3/78 Dated : July 26, 2001

All Principal Secretaries/Secretaries to Government
All Heads of Department (including District Collectors)
All Special Secreataries to Government
All Deputy Secretaries to Government

CIRCULAR

SUBJECT : Regarding field postings of government servants who are facing criminal charges/ departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement, misappropriation of funds, causing financial loss to the state government, and serious financial irregularities.

With reference to the above-mentioned subject your attention is invited to this Departments Circular of even No. F.4(6)DOP/A-3/78 dated July 13, 2001 whereby it had been directed that all those government servants who are facing criminal charges/ departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement of government funds, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities should not be given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash. In continuation of the above-mentioned circular. I am directed to state that the State Government has further decided that all those government servants who have already been convicted in any criminal procceedings or who have been penalised with **any mojor penalty** in departmental inquiry under Rule

16 CCA on account of charges of embezzlement of government funds, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government of serious financial irregularities should also not be given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash.

All Principal Secretaries to Government/Secretaries to Government and Heads of Departments are requested to immediately prepare a complete list of such government servants. Thereafter, it may be ensured that if any of such government servants has been given a field posting or a posting which involves direct contact with the public or handling of cash, he/she should be immediately shifted from his/her present post to some post other than a field post/post involving direct contact with the people and handling of cash.

Yours faithfully
Sd./-
(Ashok Sampatram)
Secretary to Government

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-424 के पत्र की प्रति)

पत्र क्रमांक/4.5 (1) जेल/2001/5769 जयपुर, दिनांक : 27.6.01

प्रिय श्री भाटीजी,

जेल प्रशिक्षण, संस्थान भवन के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध आपका पत्र दिनांक 17 जून, 2000 मुझे प्राप्त हो गया है।

मैं इस प्रकरण की जांच कराने हेतु प्रमुख सचिव, गृह विभाग को भिजवा रहा हूं।

सादर।

सद्‌भावी,
(अशोक गहलोत)

श्री ललित भाटी
विधायक,
श्रीनगर रोड,
अजमेर।

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-433 के पत्र की प्रति)

राजस्थान सरकार

मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इगानम, बीकानेर

क्रमांक : एफ-9/सीडीएम/पार्ट-2/5855 दिनांक 21.9.2000

श्री भजनलाल वधवा
संयुक्त मंत्री,
3 सी 28 जवाहर नगर,
श्री गंगानगर।

विषय : चक 12,13,15 के पी.डी. के काश्तकारों को अनकमाण्ड भूमि को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2000 एवं समय-समय पर प्रस्तुत किये गये अन्य प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में विषेशाधिकारी, सीएडी द्वारा उनके पत्र क्रमांक अ.शा.टी.वी. संख्या न.10(6)सीएडी/98 दिनांक 3.11.1999 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं अधिशासी अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, पूगल जल प्रबन्ध खण्ड, इगानप, पूगल के पत्र क्रमांक 1141-42 दिनांक 11.4.2000 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पूर्व में ही आपको वस्तुस्थति से अवगत करवाया जा चुका है।

लूणखां वितरिका में उक्त क्षेत्र हेतु पानी ले सकने की क्षमता का अभाव है एवं वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 278 दिनांक 23.12.1995 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा एक शाखा पद्धति से दूसरी शाखा पद्धति में रकवा स्थानान्तरण करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। अतः ऐसी स्थति में आप द्वारा चाही गई भूमि को लूणखां वितरिका से कमाण्ड कर पानी दिया जाना नियमानुकूल सम्भव नहीं है।

ह०/-
मुख्य अभियन्ता
सिंचित क्षेत्र विकास, इगानप,
बीकानेर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-438 की सूची)

क्र.सं.	वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 400 की जनसंख्या से अधिक वाले राजस्व ग्राम का नाम	वर्ष 19991 की जनसंख्या	वि.वि.
1	2	3	4
1.	बगड़ी	828	
2.	सिरसा	1280	
3.	रणजीवपुरा	1116	
4.	नांगल गोविन्द	1325	
5.	किशनपुरा	3618	
6.	बागड़ों का बास	718	
7.	आष्टीकलां	3087	
8.	आष्टीखुर्द	1580	
9.	भूवेडा	2180	
10.	गुडलिया	1762	
11.	छोटा गुढा	1479	
12.	नांगल कलां	2283	
13.	रायसिंह का बास	812	
14.	ढोढसर	2872	
15.	नाडिया	987	
16.	सिगोद खुर्द	2632	
17.	सिगोद कलां	3457	

1	2	3	4
18.	खेसरोली	15288	खेसरोली से भिन्दोला नवसृजित ग्राम राजस्व घोषित हो चुका है।
19.	कंवरपुरा	2330	ग्राम कंवरपुरा से कुंभपुरिया नव राजस्व ग्राम घोषित हो चुका है।
20.	निवाना	4693	
21.	देवथला	2382	
22.	बाढ़देवथला	680	
23.	धोषलाई	2821	
24.	स्याड	1240	
25.	गोविन्दगढ़	5819	
26.	मलिकपुर	4269	
27.	चारबदास	884	
28.	सादरसर	2265	
29.	आलीसर	2248	
30.	बांगा का बास	520	
31.	धम्बा का बास	641	
32.	नोपुरा	685	
33.	हाचेडा	4512	
34.	बावड़ी गोपीनाथ	1006	
35.	गोरी का बास	680	
36.	सबलपुरा	699	
37.	घिनोई	2381	
38.	डोला का बास	1142	
39.	बाई का बास	815	
40.	मण्डाभिण्डा	1865	

1	2	3	4
41.	कानरपुरा	1267	
42.	बिमलपुरा	1331	
43.	जामिलसिंह का बास	708	
44.	कालाडेरा	8728	
45.	खलिपुरा	893	
46.	नृसिंहपुरा	1168	
47.	जयसिंहपुरा	1035	
48.	गुवारडी	1347	
49.	देवपुरा	1176	
50.	जोधपुरा	1252	
51.	टोकरडा	1909	
52.	लोहरवाडा	2588	
53.	बलेखन	1140	
54.	अणतपुरा (विमलपुरा)	2297	ग्राम अणतपुरा से चिमनपुरावास राजस्व ग्राम घोषित हो चुका है।
55.	ईरानाभोपणी	5072	
56.	बिशनपुरा चारणवास	2096	
57.	अगरपुरा	2101	
58.	विगरिया	7222	ग्राम तिगरिया से कालूकाबास नव सृजित राजस्व ग्राम घोषित हो चुका है।
59.	बरवाडा	1867	
60.	नोरालभरडा	3557	
61.	उदयपुरिया	6202	
62.	हाड़ोता	4677	
63.	भोपावास	2169	

1	2	3	4
64.	नांगलकोजू	3240	
65.	हथमोदा	2931	
66.	सामोद	6051	
67.	म्धर्कलां	2542	
68.	देहरा	897	
69.	शिंभूपुरा	488	
70.	कानपुरा	1432	
71.	जायवासी	1254	
72.	विजयसिंहपुरा	1235	
73.	कुशलपुरा	2785	
74.	मोरीजा	9301	
75.	जैवपुरा	4321	
76.	अणवपुरा	3812	
77.	चीथवाड़ी	5710	
78.	फतेहपुरा	2297	
79.	सुल्तानपुरा	963	
80.	भीड़ा	645	
81.	समरपुरा	1313	
82.	मालेरा	576	
83.	चौमूं	38443	

ह० /-
तहसीलदार मूं.
चौमूं (जयपुर)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-446 का विवरण) **परिशिष्ट "क"**

वर्ष 2000-2001 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई पदोन्नतियों का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदोन्नति के आदेश क्रमांक व दिनांक	कार्यालय का नाम
1.	श्री सुमेर सिंह	ई-12/एम/पदो/ एफ425/2001/2634 दिनांक : 28.2.2001	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.-जयपुर।
2.	श्री राजेश शर्मा	—यथा—	—यथा—
3.	श्री सीताराम मीणा	ई-12/एम/पदौ/एफ. 425/2000/749/ दिनांक : 22.5.2000	—यथा—
4.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	संस्था/भ्रमणशीश. ई/2001/247-50 दिनांक : 29.1.2001	निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-455 का विवरण) परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद	
		प्रधानाध्यापक	विषय अध्यापक II ग्रेड
1	2	3	4
1.	रामावि, गुडा एन्दला	1	—
2.	रामावि, फलाद	1	—
3.	रामावि, बावरा	1	—
4.	रामावि, पावा	1	—
5.	रामावि, भीमाणा	1	2 विज्ञान/गणित
6.	रामावि, मादा	1	1 विज्ञान
7.	रामावि, गुडाबींजा	1	1 विज्ञान
8.	रामावि, माण्डादास	1	—
9.	रामावि, सारण	1	—
10.	रामावि, डिगराना	1	—
11.	रामावि, कुडकी	1	—
12.	रामावि, केलवाद	1	1 गणित
13.	रामावि, धरमधारी	1	—
14.	रामावि, पाटवा	1	—
15.	रामावि, झींतडा	1	1 अंग्रेजी
16.	रामावि, पालका	1	—
17.	रामावि, गुडालास	1	—
18.	रामावि, भीटवाड़ा	1	विज्ञान
19.	रामावि, फालनागांव	1	—
20.	रामावि, कलानियां	1	2 अंग्रेजी/विज्ञान
21.	रामावि, धेनडी	1	2 विज्ञान/गणित
22.	रामावि, बाली नं.1	1	—

1	2	3	4
23.	रामावि, अनोपपुरा	1	—
24.	रामावि, सिन्दरू	1	—
25.	रामावि, खटुकडा	1	1 विज्ञान
26.	रामावि, आसरलाई	1	1 विज्ञान
27.	रामावि, लुणावा	—	1 अंग्रेजी
28.	रामावि, गिरी	—	2 अंग्रेजी/गणित
29.	रामावि, कुशालपुरा	—	1 अंग्रेजी
30.	रामावि, भन्दर	—	1 अंग्रेजी
31.	रामावि, ढाबर	—	1 विज्ञान
32.	रामावि, नोवी	—	1 अंग्रेजी
33.	रामावि, कोटकिराना	—	1 गणित
34.	रामावि, आ.म.-पाली	—	1 अंग्रेजी
35.	रामावि, चित्तौड़	—	1 विज्ञान
36.	रामावि, भारून्दा	—	1 विज्ञान
37.	रामावि, देवली पाबूजी	—	1 विज्ञान
38.	रामावि, धीनावास	—	2 गणित/विज्ञान
39.	सवामापि, घाणेराम	—	1 विज्ञान
40.	सवामापि, सोजत रोड	1	—
41.	सवामापि, कोशेलाव	—	1 विज्ञान
42.	सवामापि, अटपड़ी	—	1 गणित
	योग	**26**	**30**

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-457 का विवरण) परिशिष्ट (क)

(बिन्दु संख्या-3)

(I) लम्बित यात्रा व चिकित्सा बिलों का विवरण

क्र.सं.	नाम	यात्रा बिल	चिकित्सा बिल	(आयोजना भिन्न व्यय)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मधुबाला गुप्ता	—	12500/-	(नोन-प्लान)
2.	श्रीमती शशी मेहता	3000/-	—	
3.	श्री गोकुल चन्द शर्मा	3280/-	6250/-	
4.	श्री रामबाबू शर्मा	4215/-	3779/-	
5.	श्री भवानी शंकर शर्मा	2510/-	3779/-	
(आयोजना-व्यय)				
1.	श्री अशोक कुमार	5815/-	5210/-	
2.	श्री रामकरण मीणा	7221/-	8650/-	
3.	श्री नरेन्द्र बंसल	2410/-	6215/-	
4.	श्री रविकान्त वर्मा	4115/-	1810/-	
5.	श्री गोपाल लाल शर्मा	3890/-	7115/-	
6.	श्री ओमप्रकाश वर्मा	1910/-	810/-	
7.	श्रीमती स्नेहलता	1815/-	—	

(II) गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण (आयोजना भिन्न-व्यय)

सत्र	आय		व्यय	
	यात्रा भत्ता	चिकित्सा भत्ता	यात्रा भत्ता	चिकित्सा भत्ता
1988-1999	7000/-	9000/-	6983/-	8996/-
1999-2000	7000/-	9000/-	5529/-	7606/-
2000-2001	31000/-	31000/-	24310/-	25294/-
आयोजना-व्यय (प्लान)				
1998-1999	9000/-	13000/-	8562/-	12410/-
1999-2000	5000/-	5000/-	4887/-	—
2000-2001	4000/-	4000/-	3995/-	3984/-

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-458 की सूची) परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) के विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पद

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		व्या.	व.अ.	अध्यापक	व्या.	व.अ.	अध्यापक
1.	रामावि., नोहरा, कुशलगढ़	0	8	9	0	2	1
2.	रामावि., मोहकमपुरा	0	4	3	0	1	2
3.	रामावि., रामगढ़	0	4	4	0	2	4
4.	रामावि., बड़ी सरवा	0	6	2	0	3	2
5.	रामावि., बड़वाल	0	6	3	0	0	1
6.	रामावि., हिम्बेड़बड़ा	0	6	3	0	0	1
7.	रामावि., कसारवाड़ी	0	6	6	0	1	0
8.	रामावि., बड़डूंगरा	0	6	4	0	1	3
9.	रामावि., सागवा	0	5	4	0	1	0
10.	रामावि., सज्जनगढ़	0	6	4	0	1	1
11.	रामावि., कुशालगढ़	17	9	2	10	1	0
12.	रामावि., छोटीसरवा	04	6	6	2	2	2
13.	रामावि., सज्जनगढ़	04	7	2	0	0	0
14.	रामावि., छोटीडूंगरा	05	9	7	3	2	5
15.	रामावि., ताम्बेसरा	05	6	6	2	1	2
16.	रामावि., कुशलगढ़	05	8	5	1	3	0
		40	**102**	**72**	**18**	**22**	**24**

परिशिष्ट "ख"

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-460 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के उ.मा.वि./मा.वि. के विद्यालयवार/विषयवार रिक्तियों की सूचना

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विषय	व्याख्याता	कब से रिक्त	व.अ.	कब से रिक्त	अध्यापक	कब से रिक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राउमावि, श्रीडूंगरगढ़	वाणिज्य	1	4/2001	–	–	1	7/2001	
		इतिहास	1	1/2001	–	–	–	–	
		हिन्दी	1	8/2000	–	–	–	–	
2.	राउमावि, दुलचासर	भूगोल	1	12/2000	–	–	2	5/2000	
		राजविज्ञान	1	9/94	–	–	–	–	
		वाणिज्य	1	8/2001	–	–	–	–	
3.	राउमावि, गुंसाईसरबड़ा	हिन्दी	2	3/2000	2 सामान्य	3/2000	–	–	
		राजविज्ञान	1	3/2000		8/2001	–	–	
		अंग्रेजी	1	3/200	1 गणित	1/2001	–	–	
4.	राउमावि, उपनी	अंग्रेजी	1	7/2000	1 विज्ञान	7/2000	1	7/2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हिन्दी	1	7/2000	1 सामान्य	7/2000	—	—	
		इतिहास	1	7/2000	—	—	—	—	
		राजविज्ञान	1	7/2000	—	—	—	—	
5.	राउमावि, मोमासर	राजविज्ञान	1	12/98	1 विज्ञान	5/99	—	—	
		—	—	—	1 गणित	7/99	—	—	
		—	—	—	1 सामान्य	7/2001	—	—	
6.	राबाउमावि, श्रीडूंगरगढ़	राजविज्ञान	1	11/98	1 गणित	7/2000	—	—	
					1 संस्कृत	2/99	—	—	
					1 अंग्रेजी	5/99	—	—	
7.	रामावि, बिग्गा	—	—	—	1 अंग्रेजी	11/2000	—	—	
					1 संस्कृत	7/2000	—	—	
					1 विज्ञान	1/2001	1	7/2001	
8.	रामावि, सोनियासर	—	—	—	1 विज्ञान	1/2001	1	7/2001	
					1 अंग्रेजी	8/2001	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1 सामान्य	3/2000	—	—	
9.	रामवि, रिड़ी	—	—	—	अंग्रेजी	1	6/2000	—	—
		—	—	—	संस्कृत	1	7/2001	—	—
		—	—	—	सामान्य	1	7/2001	—	—
10.	रामावि, आडसर	—	—	—	अंग्रेजी	1	7/2000	2	7/2021
		—	—	—	संस्कृत	1	6/2000	—	—
11.	रामवि., पूनरासर	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	रामवि., बाना	—	—	—	हिन्दी	1	4/2001	—	—
		—	—	—	संस्कृत	1	7/2001	—	—
13.	रामावि, सांवतसर	—	—	—	अंग्रेजी	1	7/2001	—	—
		—	—	—	गणित	1	7/95	—	—
		—	—	—	संस्कृत	1	3/2001	—	—
14.	रामावि, बरजांगसर	—	—	—	विज्ञान	1	1996 से	2	1996 से
		—	—	—	संस्कृत	1	8/2001	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		—	—	—	सामान्य	1	1995	—	—
15.	रामावि, सेरूणा	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	रामावि, बैनीसर	—	—	—	सामान्य	1	12/98	—	—
17.	रामावि, कीतासर	—	—	—	गणित	1	7/2001	—	—
18.	रामावि, तोलियासर	—	—	—	विज्ञान	1	4/99	—	—
19.	रामावि, ठुकरियासर	—	—	—	अंग्रेजी	1	2/2000	2	8/2000
		—	—	—	संस्कृत	1	8/2000	—	
20.	रामावि, उदरासर	—	—	—	गणित	1	12/99	3	12/99
	—	—	—	—	विज्ञान	1	12/99	—	—
21.	रामवि, मोहता, डूंगरगढ़	—	—	—	विज्ञान	1	7/2000	—	—
22.	राबामावि, मोमासर	—	—	—	विज्ञान	1	2/99	—	—
		—	—	—	सामान्य	1	7/99	—	—
		—	—	—	संस्कृत	1	11/97	—	—

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-461 की सूची) परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद			वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भरे		
		अंग्रेजी	विज्ञान	गणित	अंग्रेजी	विज्ञान	गणित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रामावि., पुरू	—	1	—	—	1	—
2.	रामावि., धानसा	—	1	—	—	—	—
3.	रामावि., सांकड	—	—	1	—	—	—
4.	रामावि., तवाब	—	1	1	—	—	—
5.	रामावि., चांदराई	—	—	1	—	—	—
6.	रामावि., कोडका	—	1	—	—	—	—
7.	रामावि., शंखवाली	1	—	—	—	—	—
8.	रामावि., मुडतरासीली	1	—	1	—	—	—
9.	रामावि., सेवडी	—	1	—	—	—	—
10.	रामावि., भूती	1	—	—	—	—	—
11.	रामावि., तीखी	1	—	—	—	—	—
12.	रामावि., रायपुरिया	1	1	—	—	—	—
13.	रामावि., जीवाणा	1	—	1	—	—	—
14.	रामावि., थलवाड़	—	1	—	—	—	—
15.	रामावि., लियादरा	—	1	1	—	—	—
16.	रामावि., हेमागुडा	1	—	—	—	—	—
17.	रामावि., वरणवा	1	1	—	—	—	—
18.	रामावि., पावली	—	—	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	रामावि., केरिया	—	1	—	—	—	—
20.	रामावि., पावटा	1	—	—	—	—	—
21.	रामावि., सांकरणा	1	—	—	—	—	—
22.	रामावि., पादरली	1	—	—	—	—	—
23.	रामावि., रंगाला	—	1	1	—	—	—
24.	रामावि., घाणा	—	—	1	—	—	—
25.	रामावि., तातोल	—	1	1	—	1	1
26.	रामावि., बोरटा	1	1	—	—	—	—
27.	रामावि., सरनाऊ	1	1	—	—	—	—
28.	रामावि., सरवाना	1	1	1	—	—	—
29.	रामावि., थावला	1	1	—	—	—	—
30.	रामावि., बाला	1	—	—	—	—	—
31.	रामावि., बादनवाड़ी	1	—	—	—	—	—
32.	रामावि., कोरा	—	1	—	—	—	—
33.	रामावि., सुराणा	1	—	—	—	—	—
34.	रामावि., जाखंडी	—	—	1	—	—	—
35.	रामावि., रायथल	1	1	—	—	—	—
36.	रामावि., राजीकावास	—	1	—	—	—	—
37.	रामावि., रोपसी	1	—	—	—	—	—
38.	रामावि., सिवणा	1	—	—	—	—	—
39.	रामावि., सांगाणा	1	—	1	—	—	—
40.	रामावि., रामा	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	रामावि., दयालपुरा	1	—	—	—	—	—
42.	रामावि., पांचला	1	1	1	—	—	—
43.	रामावि., नोसरा	1	—	—	—	—	—
44.	रामावि., धुम्बडिया	1	1	—	—	—	—
45.	रामावि., केसूरी	—	1	1	—	—	1
46.	रामावि., करवाड़ा	—	1	1	—	—	1
47.	रामावि., भालनी	—	1	1	—	—	—
48.	रामावि., रेकाःगो. (सांचौर)	1	1	1	—	—	—
49.	रामावि., निम्बला	1	1	1	—	—	1
50.	रामावि., आकोली	1	—	—	—	—	1
	कुल योग	30	27	18	—	2	5
1.	राबामावि, रानीवाड़ा	1	—	1	—	—	—
2.	राबामावि, दासपा	1	—	—	—	—	—
3.	राबामावि, सायला	—	1	1	—	—	—
4.	राबामावि, हरजी	1	1	—	—	—	—
	कुल योग	3	2	2	—	—	—

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-462 के आदेश की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(General Administration (B) Department)

No. F.2.(7)GA(B)/63 Jaipur, Dated 21 Jan., 1965

ORDER

Sub. : Recongnition of different Urdu Dxaminations conducted by jamia Urdu Aligarh.

The Government have decided the pecongnise of the following Examinations conducted by the Jamia Urdu, Aligarh as equivalent to examination noted against each so far as the Standard of Urdu is concerned for puroposc of recruitment in the appropriate fields under this state Governments.

Name of the Examination	Equivalent to the standard of Urdu in the following Examinations
Adib	High School
Adib Mahir	Intermediate
Adib Kamil	B.A.

Sd./-
(A.L. Recongta)
Deputy Secretary to Government

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-464 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत एनीकटों का कार्यवार विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वित्तीय स्वीकृत राशि			तकनीकी स्वीकृति राशि	व्यय राशि			कार्य की स्थिति
				श्रम	सामग्री	योग		श्रम	सामग्री	योग	
(अ)	अकाल राहत के स्वीकृत कार्य										
1.	सारण एनीकट	सारण	माजं.	3.96	0.78	4.74	3.43	1.26	1.25	2.51	पूर्ण
2.	चारभुजा एनीकट	भिमालिया	माजं.	1.78	0	1.78	1.124	0.6	0.01	0.61	पूर्ण
3.	गंगा बाला एनीकट	फुलाद	माजं.	1.35	0.36	1.71	1.47	0.56	0.39	0.95	पूर्ण
(ब)	आर.आई.डी.एफ.-6										
1.	करमाल एनीकट	चौकड़ियो	माजं.	2.28	1.96	4.24	3.07	1.72	1.26	2.98	पूर्ण
2.	सिमाल एनीकट	भगोड़ा	माजं.	2.17	0.17	2.34	1.804	1.53	0.17	1.7	पूर्ण

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-465 की सूची)

प्रपत्र-"अ"

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम चरण की नहरों का विवरण

क्र.सं.	प्रणाली का नाम	पानी उपयोग की क्षमता (क्यूसेक्स)
1.	राठी खेड़ा माइनर	12
2.	नोर्थ घग्घर नहर	150
3.	रावतसर ब्रांच	630
4.	नोरंगदेसर वितरिका	460
5.	खेतेवाली वितरिका	60
6.	जोरावरपुरा वितरिका	30
7.	सूरतगढ़ शाखा	1875
8.	सीधे मोघे इंदिरा गांधी फीडर पंजाब सीमा से ई.गा. मुख्य नहर बिरधवाल हैड (आर.डी. 243.5) तक	250
9.	सीधी वितरिकाएं इंदिरा गांधी मुख्य नहर लखूवाली हैड से बिरधवाल हैड तक	210
10.	अनूपगढ़ शाखा	2350
11.	सीधे मोघे इंदिरा गांधी मुख्य नहर आर.डी. 243.5 से आर.डी. 620	62
12.	सीधी वितरिकाएं इंदिरा गांधी मुख्य नहर आर.डी. 243.5 से आर.डी. 620	665
13.	रोजड़ी वितरिका	261
14.	पूगल शाखा	719
15.	कंवर सेना लिफ्ट योजना	568
	योग	**8302**

द्वितीय चरण के सिंचाई आंकड़े

क्र.सं.	वर्ष	खरीफ	रबी	कुल
1.	1996-1997	154146	238810	392956
2.	1997-1998	173840	276495	450335
3.	1998-1999	219680	327454	547134
4.	1999-2000	280233	381174	661407
5.	2000-2001	258514	254345	512859

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-466 का विवरण) परिशिष्ट-1 (अ)

बीकानेर नहर (गंगनहर प्रणाली), इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की नहरों को उपलब्ध करवाया गया पानी

(आंकड़े क्यूसेक्स में)

दिनांक	बीकानेर नहर (गंगनहर प्रणाली)	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	भाखड़ा सिंचाई प्रणाली		विशेष विवरण
			टेल सरहिद फीडर से करणीसिंह एवं साधुल ब्रान्च में उपलब्ध करवाया गया पानी	हरियाणा के माध्यम से अमरसिंह सब ब्रान्च, वरवाला वित्त तथा साऊथ घग्घर नहर के लिए उपलब्ध करवाया गया पानी	
1	2	3	4	5	6
1.7.2001	1839	6789	539	609	
2.7.2001	1995	7329	128	606	
3.7.2001	1832	7682	831	553	
4.7.2001	1799	8390	930	508	
5.7.2001	1897	8687	963	427	
6.7.2001	1995	8810	959	342	
7.7.2001	1995	10029	972	389	
8.7.2001	1995	10117	957	441	
9.7.2001	1995	10179	1220	393	
10.7.2001	1995	10033	1478	338	
11.7.2001	1995	10154	1445	294	
12.7.2001	1995	9862	1226	288	
13.7.2001	1995	10167	1204	375	
14.7.2001	1995	11604	1250	214	
15.7.2001	1995	9490	1199	213	

1	2	3	4	5	6
16.7.2001	1995	7022	1078	155	
17.7.2001	1995	9840	932	110	
18.7.2001	1995	11728	1417	162	
19.7.2001	1995	11660	1196	106	
20.7.2001	1995	11407	982	97	
21.7.2001	1995	10507	658	122	
22.7.2001	1995	9531	941	315	
23.7.2001	1995	10614	933	512	
24.7.2001	1995	7837	841	627	
25.7.2001	1995	7886	1007	698	
26.7.2001	1995	11250	1206	764	
27.7.2001	1995	12116	1010	774	
28.7.2001	1995	12072	1398	736	
29.7.2001	1995	11840	1192	557	
30.7.2001	1995	8720	932	488	
31.7.2001	1995	9089	982	360	

नोट : इंदिरा गांधी नहर परियोजना को उपलब्ध करवाये गए पानी की गणना इंदिरा गांधी फीडर में हरीके पर प्राप्त पानी तथा भाखड़ा मुख्य नहर से इंदिरा गांधी फीडर की बुर्जी 519 पर डाले गए पानी को जोड़कर उसमें से आई.जी.एफ.-एस.एफ. लिंक बुर्जी 496 (आई.जी.एफ.) में छोड़े गए पानी को घटा कर की गई है ।

परिशिष्ट-1(ब)

बीकानेर नहर (गंगनहर प्रणाली), इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की नहरों को उपलब्ध करवाया गया पानी

(आंकड़े क्यूसेक्स में)

दिनांक	बीकानेर नहर (गंगनहर प्रणाली)	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	भाखड़ा सिंचाई प्रणाली		विशेष विवरण
			टेल सरहिद फीडर से करणीसिंह एवं साधुल ब्रान्च में उपलब्ध करवाया गया पानी	हरियाणा के माध्यम से अमरसिंह सब ब्रान्च, वरवाला वित्त तथा साऊथ घग्घर नहर के लिए उपलब्ध करवाया गया पानी	
1	2	3	4	5	6
1.8.2001	1995	11117	938	447	
2.8.2001	1995	10511	1391	513	
3.8.2001	1995	9599	1353	444	
4.8.2001	1995	9500	1181	419	
5.8.2001	1995	9800	1233	388	
6.8.2001	1995	10392	1081	478	
7.8.2001	1995	10371	1279	354	
8.8.2001	1995	9585	1157	588	
9.8.2001	1995	9378	1181	494	
10.8.2001	1995	8913	1229	499	
11.8.2001	1995	8636	1183	526	
12.8.2001	1995	6881	1433	518	
13.8.2001	1995	6852	1674	517	
14.8.2001	1995	7796	1705	654	
15.8.2001	1995	11979	1685	596	
16.8.2001	1995	12670	1582	567	

1	2	3	4	5	6
17.8.2001	1995	12576	1780	617	
18.8.2001	1995	12250	1876	650	
19.8.2001	1995	12194	1761	615	
20.8.2001	1995	11547	1631	712	
21.8.2001	1995	11308	1743	676	
22.8.2001	1995	11317	1797	602	
23.8.2001	1995	10994	1557	572	
24.8.2001	1995	11294	1716	449	
25.8.2001	1995	10254	1725	398	
26.8.2001	1995	10431	1447	365	
27.8.2001	1995	9854	1608	366	
28.8.2001	1995	9837	1556	377	
29.8.2001	1995	9060	1680	373	
30.8.2001	1995	9726	1785	349	
31.8.2001	1995	8699	1545	235	

नोट : इंदिरा गांधी नहर परियोजना को उपलब्ध करवाये गए पानी की गणना इंदिरा गांधी फीडर में हरीके पर प्राप्त पानी तथा भाखड़ा मुख्य नहर से इंदिरा गांधी फीडर की बुर्जी 519 पर डाले गए पानी को जोड़ कर उसमें से आई.जी.एफ.-एस.एफ. लिंक बुर्जी 496 (आई.जी.एफ.) में छोड़े गए पानी को घटा कर की गई है।७

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-469 की सूची) प्रपत्र "अ"

AMAR SINGH SUB-BRANCH SYSTEM

1. Jharsal Disty.
2. Chhani Disty.
3. Mehrana Disty.
4. Bambal bass Minor.
5. Jagiwala Disty.
6. Sardarpura Disty.
7. Bhadra Disty.
8. Karanpura Minor.
9. Mansari Disty.
10. Nithrana Disty.
11. Barwali Minor.
12. Bhukarka Minor.
13. Nohar Minor.
14. Diplana Disty.
15. Gogameri Minor.
16. Ramgarh Minor.

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-473 की सूची) सूची "क"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पशु चिकित्सालयों में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	सेवारत अवधि
1.	पशु चिकित्सालय, बस्सी	(1) डा. अशोक मेठी, वी.ओ.	8/2000
		(2) श्री श्याम लाल, वी.ए.	8/2000
		(3) श्रीमती मूली देवी, सईस	8/1987
		(4) श्री कैलाश चन्द, सफाईकर्ता	8/1992
		(5) श्री भौरी लाल, ड्रेसर	8/1994
2.	पशु चिकित्सालय, तूंगा	(1) डा. रमेश चन्द मीणा, वी.ओ.	7/1992
		(2) श्री मदन लाल, वी.ए.	3/1979
		(3) श्री देवीराम मीणा, सईस	3/1985
		(4) श्रीमती गीतादेवी, सफाईकर्ता	2/1999
3.	पशु चिकित्सालय, कानोता	(1) डा. शशिकान्त भण्डारी, वी.ओ.	4/1999
		(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, वी.ए.	9/2000
		(3) श्री पूर्णमल, सईस	7/2000
		(4) श्री कपूर चन्द, सफाईकर्ता	1/1999
4.	पशु चिकित्सालय, देवगांव	(1) डा. लक्ष्मीनारायण, वी.ओ.	7/1989
		(2) श्री लक्ष्मीनारायण, पशु धन सहायक	1/1997
		(3) श्री जगदीश प्रसाद रैगर, सईस	7/2001
5.	पशु चिकित्सालय, माधोपुरा	(1) डा. आशुतोष अरोड़ा, वी.ओ.	2/2001
		(2) श्री कैलाश चन्द, पशु धन सहायक	7/2001
		(3) श्री रामखिलाड़ी मीणा	12/2000
6.	पशु चिकित्सालय, बांसखो	(1) डा. नरेश सक्सैना, वी.ओ.	2/1996
		(2) श्री श्रवण लाल मीणा, वी.ए.	6/1996
		(3) श्री रामनारायण मीणा, सईस	7/2001
		(4) श्री मुकेश कुमार हरिजन, सफाईकर्ता	10/1992

सूची "ख"

वर्ष 1999-2000 से सितम्बर, 2001 तक पशु चिकित्सालयों द्वारा व्यय की गई राशि एवं बीमार पशुओं की चिकित्सा का संस्थावार विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	वर्षवार व्यय राशि			वर्षवार चिकित्सा		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002 सितम्बर 01 तक	1999-2000	2000-2001	2001-2002 15 अक्टूबर, 01 तक
1.	पशु चिकित्सालय, बस्सी	479904	391284	213242	1875	7035	3863
2.	पशु चिकित्सालय, तूंगा	399292	345812	186016	5358	4949	2429
3.	पशु चिकित्सालय, कानोता	383624	359604	181676	3738	3543	2173
4.	पशु चिकित्सालय, देवगांव	373032	313620	151335	1955	2705	1192
5.	पशु चिकित्सालय, माधोपुरा	293180	271885	143830	869	518	204
6.	पशु चिकित्सालय, बांसखो	415387	355102	186636	2209	1993	973

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-474 की सूची)

जिला बारां एवं कोटा की पंचायत समितियों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को वितरित की गई तरल नाइट्रोजन एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रगति (वर्ष 2001-2002 माह 15 अक्टूबर, 01 तक की सूची)

क्र.सं.	संस्था का नाम	पंचायत समिति	कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति	वितरित की गई तरल नाईट्रोजन की मात्रा
1	2	3	4	5
		जिला-बारां		
1.	बारां	बारां	150	220 लीटर
2.	कोयला	बारां	42	60 लीटर
3.	माधना	बारां	30	48 लीटर
4.	फतेहपुर	बारां	43	60 लीटर
5.	मंडोता	बारां	42	60 लीटर
6.	बामला	बारां	68	60 लीटर
7.	सुन्दलेक	बारां	05	12 लीटर
8.	शाहबाद	शाहबाद	27	220 लीटर
9.	केलवाड़ा	शाहबाद	63	144 लीटर
10.	राजपुरा	शाहबाद	05	36 लीटर
11.	देवरी	शाहबाद	10	44 लीटर
12.	कस्बाथाना	शाहबाद	10	44 लीटर
13.	मूडला बिसौती	अटरू	23	36 लीटर
14.	चरडाना	अटरू	20	48 लीटर
15.	अटरू	अटरू	60	144 लीटर
16.	कवाई	अटरू	44	150 लीटर
17.	बडोरा	अटरू	20	48 लीटर

1	2	3	4	5
18.	कुन्जेड	अटरू	32	48 लीटर
19.	सकतपुर	अटरू	10	48 लीटर
20.	ननावता	अटरू	30	48 लीटर
21.	छबड़ा	छबड़ा	57	320 लीटर
22.	जैपला	छबड़ा	47	170 लीटर
23.	पाली	छबड़ा	04	36 लीटर
24.	समरानिया	शाहबाद	41	144 लीटर
25.	फूलबड़ौद	अटरू	32	48 लीटर

जिला-कोटा

1	2	3	4	5
1.	रामगंजमण्डी	खैराबाद	11	235 लीटर
2.	चेचट	शैराबाद	14	36 लीटर
3.	सुकेत	शैराबाद	03	66 लीटर
4.	मोडक	खैराबाद	12	65 लीटर
5.	सांगोद	सांगोद	61	299 लीटर
6.	वनवास	सांगोद	29	68 लीटर
7.	मोईकला	सांगोद	32	69 लीटर
8.	आवां	सांगोद	16	65 लीटर
9.	देवली	सांगोद	36	60 लीटर
10.	बहुउद्देशीय प. चि.	लाहपुरा	26	165 लीटर
11.	सिविल लाईन, कोटा	लाहपुरा	13	78 लीटर
12.	विज्ञान नगर, कोटा	लाहपुरा	30	104 लीटर
13.	किशनपुरा तकिया	लाहपुरा	70	104 लीटर
14.	मन्डाना	लाहपुरा	02	224 लीटर
15.	बोराबास	लाहपुरा	07	27 लीटर
16.	कैथूम	लाहपुरा	134	417 लीटर

1	2	3	4	5
17.	मानसगांव	लाहपुरा	17	54 लीटर
18.	ताथेड़	लाहपुरा	17	169 लीटर
19.	बडगांव	लाहपुरा	69	72 लीटर
20.	बालीता	लाहपुरा	38	52 लीटर
21.	गोपालमील	लाहपुरा	49	61 लीटर
22.	कालातलाब	लाहपुरा	100	98 लीटर
23.	बोरखेड़ा	लाहपुरा	88	81 लीटर
24.	रायपुरा	लाहपुरा	67	70 लीटर
25.	खेडारसूलपुर	लाहपुरा	35	42 लीटर
26.	अरण्डखेड़ा	लाहपुरा	16	52 लीटर
27.	अनन्तपुरा	लाहपुरा	45	58 लीटर
28.	सकतपुरा	लाहपुरा	174	70 लीटर
29.	नयागांव	लाहपुरा	62	36 लीटर

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-481 का विवरण) परिशिष्ट "क"

कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ईटावा (कोटा) द्वारा किये गये स्थानान्तरण/ अधिशेष अध्यापकों का समायोजन का विवरण

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्रीमती चन्द्र कला गुप्ता	इटावा II	इटावा-I
2.	श्रीमती रईशा बेगम	इटावा II	इटावा I
3.	श्री मोहन लाल पारिता	इटावा II	तलाव
4.	श्री घासीलाल मीणा	इटावा II	डोली
5.	श्रीमती सुशीला गौतम	इटावा II	गणेशगंज
6.	श्रीमती स्नेहलता सोनी	इटावा II	पीपल्दाकलां
7.	श्री बृजमोहन मीणा	पीपल्दा खुर्द	खेड़ली
8.	श्री लाड राठौड़	इटावा-II	खोड़ावदा
9.	श्री रामचरण मीणा	पीपनल्दा खुर्द	हाड़ौल
10.	श्री ओम प्रकाश मीणा	पीपल्दा खुर्द	केशवपुरा
11.	श्री रामचरण मीणा	रोण	मूगेंणा
12.	श्री बजरंग लाल बडोदिया	रोण	भवनीपुरा
13.	श्री मोहम्मद हुसैन	रोण	कजालिया
14.	श्री श्यामस्वरूप मीणा	रोण	कजालिया
15.	श्री कृष्ण कुमार लखोटिया	रामपुरिया धाबाई	रामपुरिया
16.	श्री भरतसिंह	रामपुरिया धाबाई	बिनायका
17.	श्री चन्द्र बिहारी	रामपुरिया धाबाई	कीरपुरा
18.	श्री नरेश कुमार गुप्ता	सीनोत	ढीपरीचंबल
19.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	सीनोता	छापोल

1	2	3	4
20.	श्री रामप्रकाश मेघवाल	सीनोता	च्यावदा
21.	श्री मोहम्मद हुसैन	लक्ष्मीपुरा-II	दौलतपुरा
22.	श्री गिरिराज प्रसाद मीणा	लक्ष्मीपुरा-II	गणेशखेड़ा
23.	श्री बालचन्द महावर	गोठड़ा कलां	दुधली
24.	श्री अब्दुल अजीज अंसारी	गोठला कलां	कांकरा
25.	श्री जाहिद हुसैन	बा.नीमोला	नीमोला
26.	श्री बसंतकुमार	विजयपुरा	देवखेड़ली
27.	श्री ओमप्रकाश शांखवाल	विजयपुरा	नीमोदा
28.	श्री केशव सिंह	बा.नीमोला	बैजपुरा
29.	श्री हेमन्त सिंह हांडा	ख्यावदा	खेड़लीबोरदा
30.	श्री अहमदबक्श	जटवाड़ा	खेड़लीपीपल्दा
31.	श्री सूरज सिंह	दरनाहाली	इटावा द्वितीय
32.	श्री जगदीश प्रसाद	नाहाली	सिनोता
33.	श्री मोबीन हुसैन	जटवाड़ी	रामपुरियाधाबाई
34.	श्री राजबहादुर हाडा	कंकरावदा	रामपुरियाधाबाई
35.	श्री ओमप्रकाश	नानरा	रामपुरियाधाबाई
36.	श्री रामनाथ दिनकर	नानरा	गोठलाकलां
37.	प्रेमचन्द महावर	जोरावरपुरा	रामपुरियाधाबाई
38.	श्री शशिकान्ता सैंनी	बा आयाना	इटावा द्वितीय
39.	श्री सरोज शर्मा	बा आयाना	इटावा द्वितीय
40.	श्री गीता मीणा	बा आयाना	इटावा द्वितीय
41.	श्री अयोध्या पारिता	बा आयाना	इटावा द्वितीय
42.	श्री अजमा बैगम	बा खातौली	इटावा द्वितीय

1	2	3	4
43.	श्री लाड नौगीया	बा करवाड़	बा निमौला
44.	श्री बसंत कंवर	बा करवाड़	बा निमौला
45.	श्री गिरिराज प्रसाद	रजापा	विजयपुरा
46.	श्री चतुर्भुज	इटावा प्रथम	विजयपुरा
47.	श्री जर्हदा बेगम	इटावा प्रथम	इटावा द्वितीय
48.	श्री जुगल किशोर	शाहनावदा	गोठलाकलां
49.	श्री हरि नारायण नागर	राउप्रावि, बम्बुलिया	राउप्रावि, विजयपुरा
50.	श्री देवश कुमार दाधिच	राउप्रावि, डूगरली	राउप्रावि, रामपुरियाधाबाई
51.	श्री बदरी विलास सैनी	राउप्रावि, रणदिया	राउप्रावि, गोठलाकलां
52.	मो. ईस्माइल	राउप्रावि, रणदिया	राउप्रावि, गोठलाकलां
53.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	राउप्रावि, सनमानपुरा	राउप्रावि, विजयपुरा
54.	श्री दिनेश कुमार मीणा	राउप्रावि, रजीपा	राउप्रावि, गोठनाकलां
55.	श्री बृज मोहन सैनी	राउप्रावि, कमलदा	राउप्रावि, विजयपुरा

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-491 का विवरण) परिशिष्ट "क"

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 में निम्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं के एक-एक अंक में सामने अंकित राशि के विज्ञापन जारी किये गये

क्र.सं.	समाचार पत्र-पत्रिकाओं का नाम	राशि
1	2	3
1.	राष्ट्रीय सहारा, उर्दू	7650.00
2.	प्रातःकाल	3672.00
3.	वाणिज्य सेतु	2000.00
4.	दैनिक भास्कर	20000.00
5.	हरित क्रान्ति	24000.00
6.	दैनिक भास्कर	125000.00
7.	अमर राजस्थान	3000.00
8.	महानगर टाइम्स	4500.00
9.	दैनिक करन्ट ज्वाला	5000.00
10.	ग्लोबल ट्रेवल एक्सप्रेस	20000.00
11.	सीटी कम्पेनियन	15000.00
12.	एपीकोन	12500.00
13.	एसोसिएशन आफ रेडियो एण्ड टी एम्पलोई, यूनियन लखनऊ	2000.00
14.	अखिल भारतीय डाक बालीबाल प्रतियोगिता स्मारिका	5000.00
15.	सचिवालय संदेश	5000.00
16.	सीटी कम्पेनियन	15000.00
17.	प्रग्यान भारती	5000.00
18.	प्रोबासी बंगाली कल्चर स्मारिका	3000.00

1	2	3
19.	भ्रमण	20000.00
20.	वोयज	28400.00
21.	सेन्चयूरी	36000.00
22.	सीटी कम्पेनियन	15000.00
23.	राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड	3000.00
24.	सरिता	95000.00
25.	बालहंस	10000.00
26.	ग्रह लक्ष्मी	66300.00
27.	राष्ट्रदूत	28290.00
28.	दैनिक नवज्योति	20000.00
29.	होटल टेक	20000.00
30.	वीक	90000.00
31.	दैनिक भास्कर	15750.00
32.	विकलांग मंच स्मारिका	2100.00
33.	लोक वारता समाचार	5000.00
34.	वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड	2000.00
35.	जयपुर जिला बैड मिंटन स्मारिका	5000.00
36.	योग सादना आश्रम स्मारिका	2500.00
37.	वनिता	25000.00
38.	सीटी कम्पेनियन	15000.00
39.	पिंक सिटी प्रेस क्लब स्मारिका	5000.00
40.	राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स	6475.00
41.	कोन्डे नाश्ट ट्रेवलर	142500.00
42.	भारतीय रेलवे स्मारिका	37500.00
43.	गल्फ न्यूज	153000.00

1	2	3
44.	ट्रेवल मेल	35000.00
45.	अमीरात इन फलाइट मैग्जीन	189000.00
46.	जैट विंग्स	110000.00
47.	एक्सप्लोर इण्डिया	25000.00
48.	हाई लाईफ ब्रिटिश एयरवेज	271125.00
49.	डिस्कवर इण्डिया	55000.00
50.	ट्रेवलर्स इण्डिया	40000.00
51.	नमस्कार (एयर इण्डिया)	150000.00
52.	सैलिंग लोंग होल	89000.00
53.	डिस्कवर इण्डिया बाई रेल	550000.00
54.	एशियन पैनो रामा	21250.00
55.	अतिथि पत्रिका	40000.00
56.	सीटी कम्पेनियन	15000.00
57.	कोन्डे नाश्ट ट्रेवलर	150000.00
58.	सी सी टी वी रेलवे स्टेशन, जयपुर पर विज्ञापन	7600.00
59.	जयपुर दूरदर्शन पर विज्ञापन	9500.00
	योग	**2,883,612.00**

परिशिष्ट-25

(अतारांकित प्रश्न संख्या-492 का विवरण) परिशिष्ट "क"

जिला झुंझुनूं के लोहारगल, किरोड़ी तथा जिला सीकर के शाकम्भरी के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से गत पांच वर्षों में कराये गये विकास कार्य का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	वर्षवार व्यय राशि (रुपये लाखों में)					
		96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
लोहार्गल							
1.	सीकर, उदयपुरवाटी सड़क से लोहार्गल तक वर्तमान सड़क का सुधार एवं विस्तार कार्य	3.15	7.52	0.93	–	–	11.60
2.	पर्यटन स्थल लोहार्गल में पेयजल व्यवस्था	—	4.08	–	–	–	4.08
3.	प्राथमिक शाला भवन निर्माण लोहरड़ा	—	—	3.99	–	–	3.99
4.	परक्यूलेशन टेंक निर्माण लोहार्गल	—	2.21	4.75	–	–	6.96
5.	परक्यूलेशन टेंक निर्माण, बड़ी कुण्ड	—	6.09	0.90	–	–	6.99
6.	नग्न पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, लोहार्गल-4	1.41	0.63	0.63	0.63	–	3.30
7.	नग्न पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, लोहार्गल	1.69	1.32	1.32	0.20	–	4.53
8.	मुख्य कुण्ड से सम्पर्क सड़क का निर्माण	—	—	—	—	3.99	3.99
किरोड़ी							
1.	सम्पर्क सड़क किरोड़ी						
	अ. सड़क निर्माण	24.50	7.76	–	–	–	32.26
	ब. सी.डी. कार्य		15.53	–	–	–	15.53
2.	पर्यटन स्थल किरोड़ी का विद्युतीकरण कार्य	—	4.57	–	–	–	4.57

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पर्यटन स्थल किरोड़ी में हैण्ड पम्प निर्माण	—	0.50	–	–	–	0.50
4.	निमोड़ा घाटी एनीकट निर्माण	2.10	3.48	–	–	–	5.58
5.	भैरूजी नाला एनीकट निर्माण	0.74	3.06	–	–	–	3.80
6.	किरोड़ी एनीकट निर्माण	—	1.53	–	–	–	1.53
7.	बनिया नाला एनीकट निर्माण	0.15	3.65	–	–	–	3.80
8.	धोलाई एनीकट निर्माण	—	1.30	3.17	0.53	–	5.00
9.	नग्न पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किरोड़ी-3	1.41	0.63	0.63	0.63	–	3.30
10.	नग्न पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किरोड़ी-6	1.69	1.32	1.32	1.32	–	5.65
11.	प्लास नाला बंडिंग	2.13	3.12	1.74	–	–	6.99
12.	रादेह भैरूजी एनीकट	1.17	2.22	0.61	–	–	4.00
13.	सुलभ शौचालय एवं टीन सैड निर्माण	—	—	—	—	4.97	4.97
14.	पार्किंग प्लेटफार्म एवं कुण्ड के चारों तरफ सैण्ड स्टोन निर्माण	—	—	—	4.22	1.93	6.15
15.	जीर्णोद्धार किरोड़ी पर कोलेशन टेंक का कार्य	—	—	—	—	3.49	3.49
शाकम्भरी							
1.	शाकम्भरी माता सड़क विस्तार कार्य	3.76	15.57	3.99	0.67	–	23.99

परिशिष्ट-26

(अतारांकित प्रश्न संख्या-493 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्ण कार्यों संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या (चालू/चालू नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अमरपुरा	अमरपुरा	1	1.350	117160	1	0
2.	बलाया	बलाया	1	0.750	75000	1	0
3.	बारानी	बासनी	14	22.755	1447500	9	5
4.	भदाणा (नागौर)	भदाणा (नागौर)	7	7.385	553040	5	2
5.	भडाणा (मूण्डंवा)	गोठड़ा	3	1.950	194996	3	0
6.	भदोरा	माणकपुर	1	1.350	134978	1	0
7.	भटनोखा	हिलोड़ी	3	1.750	75000	1	2
8.	बुनरावता	जनाणा	2	1.000	0	0	2
9.	छापरी	छापरी	1	2.110	105000	0	1
10.	चेनार	चेनार	2	1.150	0	0	2
11.	छीलरा	पालड़ी जोधा	1	1.350	134931	1	0
12.	चूण्टीसरा	चूण्टीसरा	2	2.050	169757	2	0
13.	दधवाड़ा	दधवाड़ा	1	0.990	99000	1	0
14.	ढावा	ढावा	1	1.500	0	0	1
15.	फिड़ोद	फिड़ोद	2	2.750	194000	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	गगवाना	गगवाना	1	0.600	37000	1	0
17.	गाजू	गाजू	3	1.400	88000	1	2
18.	ग्वालू	ग्वालू	2	1.100	49965	1	1
19.	झठेरा	झाड़ीसरा	1	1.080	105792	1	0
20.	गोठड़ा	गोठड़ा	4	3.400	233986	2	2
21.	हरसोलाव	हरसोलाव	3	3.655	88000	2	1
22.	हिलोड़ी	हिलोड़ी	1	0.150	14990	1	0
23.	हिंगुनियां	जोधियासी	1	1.400	0	0	1
24.	इनाणा	इनाणा	1	1.000	40000	0	1
25.	इन्कोकली	रूण	1	0.260	25967	1	0
26.	झाड़ीसरा	झाड़ीसरा	1	1.000	0	0	1
27.	झूण्डा	झूझण्डा	4	4.100	281965	2	2
28.	जोधियासी	जोधियासी	2	1.880	174916	1	1
29.	खेतास	गंठीलासर	3	4.650	260330	2	1
30.	खजवाना	खजवाना	4	4.340	434000	4	0
31.	खारड़ा	थियोद	1	2.500	249985	1	0
32.	कुचेरा	—	1	1.000	99925	1	0
33.	कुमारी	कुमारी	4	4.950	494990	4	0
34.	मेड़ता रोड़	मेड़ता रोड़	2	2.890	189000	1	1
35.	मोटूस	ढावा	1	1.250	125000	1	0
36.	मूंदियाड़	मूंदियाड़	4	3.890	230000	1	3
37.	मूण्डवा	मूण्डवा	1	2.200	0	0	1
38.	नागौर	—	2	1.300	26440	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	पालड़ी जोधा	पालड़ी जोधा	1	0.500	0	0	1
40.	पालड़ी पिचकियां	झूझण्डा	2	2.000	199975	2	0
41.	थियोद	थियोद	2	1.750	74998	1	1
42.	फिरोजपुरा	गोठड़ा	3	2.700	219994	2	1
43.	रिंया श्यामदास	रिया श्यामदास	1	1.250	124850	1	0
44.	रोल चांदावता	रोल चांदावता	1	1.130	113000	1	0
45.	रूण	रूण	2	2.750	199975	1	1
46.	साडोकन	गगवाना	3	2.400	138000	2	1
47.	सरणवास	बालवा	1	1.350	135000	1	0
48.	शंखवास	शंखवास	4	4.580	336289	2	2
49.	शीलगांव	शीलगांव	2	0.900	32000	0	2
50.	सेनणी	सेनणी	1	0.750	0	0	1
51.	सिंघानी	डूकोसी	1	0.400	0	0	1
52.	ताऊसर	ताऊसर	2	2.375	233000	2	0
			116	**125.02**	**8357694**	**70**	**46**

Sd./-
Project Director
Drda Nagaur

परिशिष्ट-27

(अतारांकित प्रश्न संख्या-498 का विवरण)

जनवरी, 2001 से अक्टूबर, 2001 के मध्य विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों में से अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों का विवरण

क्र.सं.	नाम चिकित्सक/नर्स/कम्पाउण्डर	पदस्थापन स्थान	आदेश दिनांक	स्थानान्तरण का कारण
1	2	3	4	5
आयुर्वेदिक चिकित्सक				
1.	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	बरजांगसर	10.08.2001	प्रशासनिक
2.	श्री इन्द्रचन्द शर्मा	सांवतसर	10.08.2001	प्रशासनिक
3.	श्री पवन कुमार शर्मा	बापेऊ	10.08.2001	प्रशासनिक
4.	श्री उमेश कुमार आर्य	दुलचासर	10.08.2001	प्रशासनिक
5.	श्री राधेश्याम शर्मा	दुलचासर	26.09.2001	प्रशासनिक
नर्स/कम्पाउण्डर				
1.	श्री सत्यनारायण पारीक	कीतासर	28.08.2001	प्रशासनिक
2.	श्री योगेन्द्र कुमार	तेनदेसर	28.08.2001	प्रशासनिक

परिशिष्ट-28

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर में खाली पड़े पद

(श्री गोवर्द्धन कल्ला-जैसलमेर)

जैसलमेर जिले के मुख्यालय पर श्री जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर गत 2 वर्षों से अव्यवस्थित चल रहा है। वरिष्ठ-कनिष्ठ विशेषज्ञ औषद के दोनों पद रिक्त होने से I.C.U. विभाग बन्द पड़ा है तथा महिला स्त्री रोग कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक के न होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को बड़ी कठिनाई भुगतनी पड़ती है तथा 300 कि.मी. दूर जोधपुर तक उपचार हेतु जाना पड़ता है। नर्सिंग स्टाफ की कमी होने से चिकित्सालय के कई वार्ड बन्द पड़े हैं। एम्बूलेंस गाड़ी पर चालक नहीं है। चिकित्सालय की सफाई का ठेका दिया हुआ है। परन्तु ठेके की राशि का भुगतान समय पर स्वीकृत नहीं होता। जैसलमेर नगर में दूसरा निजी क्षेत्र का चिकित्सालय नहीं है जिससे सुदूर क्षेत्र से आने वाले रोगियों को बहुत बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है जैसलमेर की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को विशेष आकर्षित सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था अतिआवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सड़कों का निर्माण कराये जाने बाबत

(श्री मांगीलाल गरासिया-गोगुन्दा)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की तहसील गोगुन्दा में निम्नांकित सड़कों का निर्माण कराना जनहित में काफी महत्वपूर्ण व अतिआवश्यक है, क्योंकि इन सड़कों के माध्यम से तहसील क्षेत्र के दो पंचायतों का आपस में मिलान होता है या तहसील क्षेत्र का पड़ोसी तहसील से जुड़ाव होता है अथवा पड़ोसी जिलों का मिलान होकर जनता को सीधा आवागमन उपलब्ध हो सकता है। वास्तव में इन सड़कों को मिसिंग सड़कों के नाम से कहा जा सकता है। ये प्रस्तावित सड़कें जहां से शुरू की जानी है उस ग्राम की अथवा सड़क से मिलान होने वाले ग्राम की जनसंख्या 1000 या इससे अधिक की जनसंख्या के ग्राम हैं :—

1. छींपाला से मारूवास सड़क (गोगुन्दा व गिर्वा तहसील का मिलान होता है)
2. रावलिया खुर्द से नान्देशमा सड़क (दो पंचायतों का सीधा सम्पर्क बनता है)
3. सेनवाड़ा से माण्डा का खेत सड़क (दो तहसीलों का सीधा मिलान होता है)
4. पलासमा से जरगा जी सड़क (जनआस्था, लोक मान्यता का धार्मिक स्थान व पड़ोसी तहसील व जिले का सीधा मिलान होता है)

5. गायफल से रोयड़ा तक सड़क (जोधपुर, पाली, उदयपुर व राजसमन्द जिलों का सीधा आवागमन दो पंचायतों व दो जिलों का मिलान होगा)
6. गुन्दाली से वावदा तक सड़क (पंचायत मुख्यालय से जिला व पड़ोसी जिले का सीधा मिलान होगा)
7. दादीया से अम्बावा तक सड़क (पंचायत क्षेत्र के ग्राम को जोड़ते हुए पड़ोसी तहसील के लिये सीधा आवागमन रास्ता खुलेगा)
8. मजावद से उबेश्वरजी तक सड़क (जनआस्था, लोक मान्यता का धार्मिक स्थान एवं पड़ोसी तहसील व जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क होगा)
9. विसमा से गोरिया तक सड़क (उदयपुर व पाली जिले का सीधा सम्पर्क व जनहित का आम रास्ता)
10. गुमान से रोयड़ा तक सड़क (दो पंचायतों का मिलान व पड़ोसी जिले से सीधा सम्पर्क)
11. कड़ेच से वाव सड़क (उदयपुर एवं पाली जिले का सीधा सम्पर्क होगा)

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त मिसिंग सड़कों का निर्माण अविलम्ब करा जनहित की आकांक्षा को पूरा कराने का कष्ट करावें।

विधान सभा क्षेत्र खारची की सड़कों का डामरीकरण

(श्री केसाराम चौधरी—खारची)

खारची विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा गत वर्ष आर.आई.डी.एफ. 6 के तहत सड़कों को डामरीकृत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु सरकार द्वारा इन सड़कों को डामर नहीं करके कुछ सड़कों को दो लेयर मैटल बिछाकर तथा कुछ सड़कों पर एक लेयर मैटल बिछाकर तथा कुछ सड़कों पर कंकरीट डालकर रास्ते को ही अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे ग्रामीण जन एवं वाहनों के आने-जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिन सड़कों पर मैटल कर दिया गया है वे भी उखड़ने लग गयी हैं जिससे उन पर बैल गाड़ी एवं पैदल चलना भी दुस्वर हो गया है। ऐसी सड़कों को डामर नहीं किया गया तो सरकार द्वारा किया गया खर्चा फालतू चला जायेगा। अतः इस विशेष उल्लेख के मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षण कर निवेदन करना चाहता हूं कि खारची क्षेत्र में सभी मैटल की हुई सड़कों को डामरीकृत करवाने की व्यवस्था करावें।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में चिकित्सा व्यवस्था करने विषयक

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या—बांसवाड़ा)

इस पत्र के माध्यम से मैं जन जाति बहुल्य जिले बांसवाड़ा की चिकित्सा क्षेत्र की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत वर्ष गढ़ी क्षेत्र के साथ बड़ी चोट यह हुई कि आई.सी.डी.एस. द्वारा 8 गांवों में संचालित सहायक प्रसायिकाओं के पद समाप्त कर दिये गए। इसके साथ ही 8 गांव चिकित्सा सुविधा के नाम पर अनाथ हो गए। चिकित्सा कर्मियों की वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में विधान सभा में लिखित में प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि इन स्थानों पर नवीन पद सृजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महोदय मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में अभी और कितना वक्त लगेगा। क्योंकि पद टूटन के साथ वहां कार्यरत ए.एन.एम. का जिले के बाहर स्थानान्तरण हो चुका है। चूंकि पिछले तीन वर्षों में एक भी नया चिकित्सा उप केन्द्र खुला नहीं है उल्टे 8 उप केन्द्रों का एक समय टूटना काफी तकलीफ देय है।

इसके अलावा गढ़ी क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सालय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-परतापुर में चिकित्सकीय उपकरण का अभाव काफी खल रहा है। करीब 35 स्वास्थ्य उपकेन्द्र व 6 प्रा.स्वा. केन्द्र पर एक मात्र उच्चीकृत प्राथमिक, स्वास्थ्य केन्द्र पर फीटल हार्ट ग्रस्ट्रो साइटोस्कोप, कार्डीयक मानीटर आदि आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण के नहीं होने से मरीज निजी चिकित्सालयों की तरफ जाने को मजबूर है। इस तरह ग्रामीण जनों का काफी रुपया व्यय हो जाता है। कृपया परतापुर केन्द्र पर वांछित उपकरण उपलब्ध करा कर आम जनता के लिए राहत दिलवाए।

अन्त में मैं विभिन्न केन्द्रों पर चिकित्सक व नर्स के रिक्त पदों को भरने की मांग करता हूं ताकि ग्रामीण जन लाभ उठा सकें।

बहरोड कस्बे में से निकलने वाले राजमार्ग 14 के 163/500 व बहरोड कस्बे में कुण्डरोक से लड़कियों के स्कूल तक की अत्यन्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने विषयक

(डा. करण सिंह यादव—अलवर)

अलवर-नागनौल राजमार्ग 14 पूरा का पूरा अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे बहरोड़ में से इस राजमार्ग सम्भाग का 163/500 कि.मी. तक का सम्पूर्ण हिस्सा अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। सड़क पर बहुत बड़े/बड़े गड्ढे पड़े हुए है। इसी प्रकार से बहरोड़ ग्राम की मुख्य सड़क जो कुण्डा रोड से प्रारम्भ होकर कस्बे में थाने व तहसील के सामने से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक जाती है वह भी अत्यन्त क्षतिग्रस्त है।

उपरोक्त दोनों सड़कों की टूट-फूट के कारण कस्बे वासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों सड़कों का प्राथमिकता से शीघ्रातिशिघ्र नवीनीकरण करवाने की कृपा करें।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गणेशगंज, जिला कोटा के खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाने विषयक

(श्री रामगोपाल बैरवा—कोटा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के रा.मा.वि. गणेशगंज जिला कोटा के खेल मैदान पर कुछ ग्रामवासियों द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है जिससे छात्रों के लिये पर्याप्त खेल मैदान नहीं होने से छात्रों में रोष व्याप्त है।

उक्त समस्या के सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक व ग्रामवासियों द्वारा जिला प्रशासन को उक्त अतिक्रमण को हटवाने के लिये ज्ञापन दिये गये। जिन पर जिला प्रशासन द्वारा बार-बार अतिक्रमण हटाने के आश्वासन मिलते रहे। परन्तु लम्बे समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने से छात्रों व नागरिकों में रोष व्याप्त है।

अतः छात्रों व ग्रामवासियों की सुविधा को ध्यान व मध्य नजर अतिक्रमण को शीघ्र हटवाने का श्रम करे।

सधन्यवाद

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों को जनता जल योजना में सम्मिलित करने विषयक

(श्री रमजान खान—पुष्कर)

महोदय, निवेदन है कि पिछले 3 वर्षों से पड़ रहे लगातार अकाल के कारण भूमि के जल स्तर में भारी गिरावट आने के कारण अधिकतर हैण्ड पम्पों का पानी सूख गया है, या हैण्ड पम्प खराब पड़े है। इन खराब पड़े हैण्ड पम्पों में नीचे पानी नहीं होने के कारण जलदाय विभाग इन्हें पुनः चालू करने की कार्यवाही भी नहीं करता है और इन खराब हैण्ड पम्पों को अबेंडेन्ट घोषित कर देता है। गांवाई कुओं एवं बावड़ियों के पानी का जल स्तर भी नीचे चले जाने के कारण यह भी सूख गये हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जब ग्रामीण जनता पानी की मांग करती है तो विभाग साफ जवाब दे देता है कि जो गांव हमारी योजना में नहीं आते उनमें हम कुछ भी पेयजल सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में इन दिनों गांवाई जनता के समक्ष पेयजल की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में कई ग्रामों में वहां की स्थानीय जनता के सहयोग से विधायक कोष की राशि पेयजल हेतु स्वीकृत करवा कर ट्यूबवैल, टंकी, पाइप लाइन, मोटर वगैरह लगाकर बिजली के कनेक्शन हेतु विधुत विभाग में डिमाण्ड नोटिस की राशि का भुगतान करके विद्युत कनेक्शन भी ग्रामवासियों के सहयोग से लेकर इस स्कीम को चालू कर दिया है जिससे पेयजल की समस्या से जनता को राहत मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी हो जाने के कारण तथा पेयजल हेतु उपयोग में आने वाली बिजली की दरें कामर्शियल दरों से वसूलने के कारण बिलों में राशि बहुत ही ज्यादा आ रही है, जिसे ग्रामीण जनता भरने में सक्षम नहीं है। सार्वजनिक पेयजल हेतु उपयोग में आने वाली बिजली की राशि का भुगतान विधायक एवं सांसद कोष से भी करने पर रोक लगी हुई है।

राज्य सरकार ने वर्तमान में जो गांव जलदाय विभाग के नार्म्स में नहीं आते हैं उन गांवों में ग्रामीणों के सहयोग से शुरू की गई जल योजना को जनता जल योजना स्कीम में लेकर उसका बिजली का मासिक भुगतान करने के साथ-साथ 1000/- रुपये की वार्षिक राशि इस योजना के रख-रखाव के लिये भी देती है।

अतः माननीय जलदाय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस स्कीम को पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के निम्न गांवों में भी लागू कर जनता जल योजना में सम्मिलित करने का कष्ट करें। पंचायत समिति पीसांगन—1. खोरी 2. कंवलाई 3. रेवत 4. देवनगर 5. कानस 6. पोतीसर 7. भगवानपुरा 8. सेढ़न 9. दैरियावास 10. ओड़ास 11. शीवपुरा। पंचायत समिति श्रीनगर—1. सैदरिया 2. दांता आखरी 3. सराना 4. चांदियावास 5. मगरा।

राजगढ़ तहसील चूरू के गांवों में पेयजल की समस्या

(श्री नन्दलाल पूनिया—राजगढ़)

मैं, आपके माध्यम से पेयजल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजगढ़ तहसील के कई गांव पेयजल की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुये हैं लेकिन उनमें से काफी गांवों में आज तक पानी नहीं गया है जबकि वे गांव विभाग द्वारा पानी दिया जाना दिखाया जा रहा है।

महोदय जी किरताप योजना के अन्तर्गत गांव खेरूछोटी ढाणी खुडाणी वास चुनाणी, ढाणी जीराम कामाण गावों में आज तक पानी नहीं गया है। मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में प्रश्न भी रखा था। विभाग का जवाब आया था कि उक्त गांवों में पानी नहीं पहुंचता है मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उक्त गांवों में आप पानी पहुंचा सकते हैं आपको दूसरा साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। विभाग को स्थानीय कुआं को चालू करना चाहिए कुओं का पानी पीने योग्य है गांव वाले आज भी उन कुओं का खुद निकाल कर पानी पीते हैं। विभाग से निवेदन करने पर जवाब आता है कि खैरूछोटी के स्थनीय कुओं को चालु करने के लिए गांव वाले 2,68,000 जमा कराये।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराये इसी प्रकार बुढ़ासास कालेड़ी योजना के भी काफी गांवों में कानावासी खारिया गोदरान आदि गावों में पीने का पानी बिलकुल ही नहीं जा रहा है लोगों को मजबूरन 15-20 कि.मी. दूरी से पानी लाना पड़ रहा है। इस प्रकार मगाउ, कालाणाताल जो कि सारा हरिजनों का गांव है आज तक पानी नहीं गया है चान्दगोठी सुलखनिया योजना में भी ददेउ सुलतान सिंह, ददेउ रामसिंह बास रेबारियान जणाउखारी ढाणी भौजी आदि गांवों में भी पानी बिलकुल ही 2-3 साल से नहीं जा रहा है। इसी प्रकार उदासर, गागउ बास सूरतपुरा में भी पानी नहीं जा रहा है।

महोदय जी नहर के पानी से जोड़े हुए गांव राघा छोटी में आज तक पानी नहीं गया है। महोदय जी, जिन गांवों में स्थानीय स्रोत से पानी दिया जाता है उन गांवों में कुओं की मोटर जलने पर 2-3 महीने बाद ही दी जाती है।

महोदय जी, राजगढ़ तहसील के गांवों में पीने के पानी के भयंकर समस्या है। कुछ तो स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है।

महोदय जी, मैं जलदाय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे एवं आप स्वयं अधिकारियों को निर्देश देवे कि स्थायी रूप से पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था करें।

धन्यवाद

विधान सभा क्षेत्र जालौर के जागनाथ महादेव मंदिर में पीने के पानी की व्यवस्था

(श्री गणेशी राम मेघवाल—जालौर)

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे जालौर विधान सभा क्षेत्र के नारनावास ग्राम पंचायत में जागनाथ महादेव का मंदिर एक पहाड़ी में आया हुआ है। उसके सामने होकर एक नाला अथवा झरना बहता है। झरने का पानी नीचे बहकर चला जाता है। इस मंदिर में हमेशा श्रद्धालु रात-दिन आते रहते हैं। यहां पर आस-पास गांवों के पशु भी इस पहाड़ी पर घास चरने आते हैं। हर सोमवार को यहां जागनाथ महादेव मंदिर में मेला लगता है। लोगों को यहां पर पानी की बड़ी समस्या रहती है। इस नाले के दोनों तरफ पहाड़ है। सिर्फ 25 अथवा 30 फीट की दीवार बनाकर इस नाले के पानी को रोक दिया जाये तो पानी का बहाव रुक जायेगा तथा पानी एक छोटे बांध के रूप में इकट्ठा होकर यहां के श्रद्वालुओं के लिये एवं पशुओं के लिये एक वरदान के रूप में होगा। शिवरात्रि के समय तीन-चार दिन तक हजारों की संख्या में श्रृद्धालु आते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से श्रीमान् सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है इस झरने अथवा नाले की दीवार बनाकर पानी रोकने की व्यवस्था करावें ताकि यहां की पानी की समस्या का समाधान हो सके।

विद्युत निगमों में 16.6.1992 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल कर्मचारियों एवं मजदूरों को एक दिन का अवकाश समायोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति

(श्री अमराराम—धोद)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में 16.6.1992 को सभी श्रमिक संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल कर्मचारियों एवं मजदूरों को एक दिन का अवकाश स्वीकृत करके समायोजन अजमेर वितरण कम्पनी के अलावा सभी चार कम्पनियों के श्रमिकों को समायोजन कर दिया गया है लेकिन अजमेर वितरण नियम के सीकर वृत्त के कर्मचारियों के 16.6.1992 के दिन का अवकाश अभी तक स्वीकृत नहीं करके समायोजन नहीं करने के कारण वृत्त के श्रमिकों में भारी असंतोष है इसके कारण उनके प्रमोशन रुके हुये हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त दिन का अवकाश स्वीकृत करके नियमितिकरण करके श्रमिकों को अनुगृहित करेंगे।

ग्राम बड़वा, ग्राम पंचायत बड़वा, पं.सं. बस्सी, जिला जयपुर में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नं. 11 की भूमि पर प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर लेने से उत्पन्न स्थिति

(श्री मदन दिलावर—अटरू)

श्री भोलानाथ शर्मा (अशोक शर्मा) पुत्र स्वर्गीय श्री मनोहर लाल शर्मा जो ग्राम बड़वा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के मूल निवासी हैं, इन्हें ग्राम पंचायत बड़वा से पट्टा नं. 11 भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत बड़वा, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर ने नियम 266 राज. पं. एवं न्याय पं.सा.नि. 1961 के अन्तर्गत दिनांक 30.6.1974 तारीख फैसला 19.6.1984 दिनांक विक्रय 6.4.1980 को 150 रुपये मात्र जमा कर दिनांक 22.11.1980 को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बड़वा श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने पट्टा जारी किया। उक्त जारी पट्टे पर पंचायत समिति बस्सी द्वारा पैनल्टी राशि 200.10 रुपये दिनांक 17.7.1984 को जमा करवाई।

पट्टा संख्या 11 का नक्शा अनुसार स्थिति पूर्व में जगदीश नारायण शर्मा का बाड़ा व मकान पश्चिम में कल्याण सहाय शर्मा का बाड़ा व मकान, उत्तर में आम रास्ता बाग में जाने का 12 फीट, दक्षिण में आम रास्ता पूला जाने का 15 फीट इस प्रकार उक्त पट्टा भूमि 150 गज थी, परन्तु गांव के ही प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण कर अपना मालिकाना हक जमा रहा है जबकि पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी हुआ है तथा पैनल्टीस्वरूप पंचायत समिति ने भी अपने कार्यालय में राशि जमा करवा ली है फिर भी अतिक्रमी द्वारा भूखण्ड आबंटी को नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कई बार भूखण्ड आबंटी द्वारा पंचायत समिति को निवेदन भी किया गया है लेकिन पंचायत व पंचायत समिति द्वारा वास्तविक मालिका को उक्त भूखण्ड पर से अतिक्रमणकारी को हटा कर मालिकाना हक नहीं दिलवाया जा रहा है। इससे मूल भूखण्ड आबंटी को मानसिक पीड़ा हो रही है। अतः तत्काल उक्त भूखण्ड पर से अतिक्रमणकारी को बेदखल कर मूल आबंटी को मालिकाना हक दिलवाया जावें।

यह काफी लोक महत्व का विषय है अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं पंचायती राज मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने विषयक

(श्री रतनलाल ताम्बी—जहाजपुर)

जहाजपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति स्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का बजट गत वर्ष 3 लाख रुपये ही प्राप्त हुआ जो वर्ष 1999-2000 के ही चार माह की राशि चुकाई जाना शेष है और वर्ष 2000-2001 की राशि अतिरिक्त राशि का बजट विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को आबंटन नहीं किया जाने से छात्रों को काफी संकट में गुजरना पड़ रहा है। यही नहीं वर्ष 2001-2002 में अनुसूचित जाति हेतु 2,00,000 रुपये का आबंटन किया गया उक्त राशि को 1999-2000 के बकाया माह हेतु आबंटन की जाने की आवश्यकता है जो 2000-2001 हेतु आबंटन की जावे। इस हेतु स्पष्टता के अभाव में यह भी अनिर्णित है। इस हेतु 6 लाख की राशि आबंटन हेतु समाज कल्याण विभाग को मांग जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा को प्रस्तुत की गई है जो लम्बित है और इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति हेतु 3 लाख का बजट ही प्राप्त हुआ जिसमें 1999-2000 के एक माह तथा 2000-2001 के पूरे काम की राशि चुकाना शेष है जो पर्याप्त बजट के अभाव में लम्बित है और दोनों अनुसूचित जाति जनजाति की 2000-2001 के पूरे वर्ष की राशि का पर्याप्त बजट का आबंटन नहीं होने से दोनों वर्ग के छात्र-छात्राएं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

अतः मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान भीलवाड़ा जिले तथा जहाजपुर क्षेत्र की वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अनुसूचित जाति, जनजाति स्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया पूर्ण राशि का बजट शीघ्र ही आबंटन के लिए विशेष उल्लेख द्वारा ध्यान आकृष्ट कर शीघ्र सर्वोच्च प्राथमिकता से राशि विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम-द्वितीय भीलवाड़ा को स्थानान्तरण करने लिए अनुरोध करता हूं।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

(श्री मानिक चन्द सुराना—लूणकरणसर)

मैं निम्न विषय वस्तु का विशेष उल्लेख करता हूं :—

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में 3 से 16 अक्टूबर, 2001 को केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विश्वविद्यालय की सभी संकायों के सभी विषयों हेतु साक्षात्कार कर पदोन्नतियां दी गई। इस स्कीम के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति डा. सी. पी. एस. यादव ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी नियमों को धत्ता बताते हुए लगभग सभी वरिष्ठ एवं योग्य प्राध्यापकों को चयन कर कनिष्ठ एवं अयोग्य प्राध्यापकों का चयन कर अपनी अयोग्यता का परिचय ही नहीं दिया, अपितु उच्च शिक्षा जगत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय में आचार्य पदों की संख्या कम होने के कारण कई बार वरिष्ठ एवं योग्य प्राध्यापकों की पदोन्नति नहीं हो पाती है। जिससे प्राध्यापकों का मनोबल कम हो जाता है तथा उनमें फ्रस्टेशन होने लग जाता है जिसका सीधा प्रभाव शिक्षा एवं शोध कार्य पर पड़ता है। अतः शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के लिये वरिष्ठ एवं योग्य प्राध्यापकों को केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नतियां देने की योजना लागू की गई। किन्तु डा.सी.पी.एस. यादव कुलपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस स्कीम को लागू करने के मूल सिद्धान्तों को ताक में रखकर आयोग द्वारा बनाये गये सभी नियमों को धत्ता दिखाते हुए अनेक धांधलियां की है।

जिनमें से कुछ इस प्रकार है :—

1. कई विषयों में ज्यादातर 1989 व उससे पहले के वरिष्ठ एवं योग्य प्राध्यापकों को छोड़ 1991 के बाद के कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नतियां दी गई, उचित नहीं हैं तथा केरियर एडवांसमेंट स्कीम के मूल उद्देश्य के पूर्णरूप से विपरीत है।
2. अधिक शोध पत्र लिखने वाले तथा अच्छा पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को छोड़ उनको पदोन्नतियां दी गई जो सारे जीवन रिसर्च में रहते हुए भी तीन शोध पत्र भी नहीं लिख पाये एवं जो पढ़ाने के लिए भी योग्य नहीं हैं।
3. जिन प्राध्यापकों ने अधिक संख्या में स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति स्तर के विद्यार्थियों को शोध कार्य करवाया, उन्हें छोड़कर उन प्राध्यापकों का चयन किया जो योग्यता सूची में बहुत कनिष्ठ है तथा जिनकी अधिक संख्या में स्नातकोत्तर स्तर के शोध कार्य अस्वीकार हुए हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय की गरिमा धूमिल हुई है तथा विश्वविद्यालय बाध्य होकर उन्हें विद्यार्थियों के शोध कार्य निर्देशित करने हेतु अयोग्य घोषित किया है।

4. उन प्राध्यापकों को जिन्होंने न केवल अधि शोध पत्र है किन्तु उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक भी लिखी है उन्हें पदोन्नति न देकर उनको, पदोन्नति देना अच्छा समझा जिनके 1990 के बाद एक भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार पिछले 8 साल में कम से कम तीन शोध पत्र प्रकाशित होना अति आवश्यक है।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार आयोग के प्रतिनिधि का चयन समिति में होना अति आवश्यक है। किन्तु डा. यादव ने उसे भी रखना उचित नहीं समझा ताकि कुलपति अपने मनचाहे लोगों का चयन आसानी से कर सकें। क्योंकि उन्हें चयन प्रणाली में ये सारी अनियमितताएं करनी थी।

6. जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की उन्नत किस्में विकसित की हैं उन्हें छोड़कर उन्हें पदोन्नति दी गई जिनका कोई भी योगदान नहीं है तथा जो सारे समय कुलपति के आगे-पीछे रहते हैं तथा शोध कार्य में कोई रुचि न रखकर चापलूसी में विश्वास करते हैं।

7. विश्वविद्यालय ने इस चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या अपने मन घटाई-बढ़ाई तथा विषयों के अनुसार कोई अनुपात नहीं रखा गया। चयन प्रक्रिया से पहले विषयवार पदों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया और जिस विषय में जितने चाहे उतने ही अपने पसंद के लोगों को पदोन्नति दे दी गई।

8. इन पदोन्नतियों में डा. सी.पी.एस. यादव, कुलपति ने अपने ही समाज के जितने भी प्रत्याशी थे, उन सबका चयन किया है। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि सभी प्रत्याशी जो उनके समाज के थे, क्या उनमें कोई अयोग्य नहीं था? और योग्यता को ध्यान में न रखकर अपने समाज के सभी शत-प्रतिशत लोगों को लिया गया है। इतना ही नहीं अपनी जाति के सारे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योग्यता सूची में भी फेरबदल कर उनको ऊपर लाने का प्रयास किया गया है ताकि भविष्य में डीन डायरेक्टर बन सकें। इसके अतिरिक्त अपनी कुलपति की कुर्सी बचाने हेतु जितने भी प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों के रिश्तेदार या उनके नजदीकी थे, उन सभी को पदोन्नति दी गई।

इस प्रकार यू.जी.सी. के मानदण्डों की अवहेलना कर योग्य एवं वरिष्ठ अध्यापकों का चयन न कर केरियर एडवांसमेंट के मूल सिद्धान्त को खतम कर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को दूषित किया है। इन सभी कारणों से वरिष्ठ एवं योग्य लोगों का मनोबल गिरा है। क्योंकि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की सोच बनने लगी है कि योग्यता का कोई महत्व नहीं है।

चेयरमैन नगरपालिका दौसा द्वारा पद का दुरुपयोग करने विषयक

(श्री नन्दलाल बंशीवाल—दौसा)

चेयरमैन नगरपालिका दौसा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई गाड़ी उनके परिवार को लाने ले जाने तथा घरेलू कार्यों में उपयोग ली जा रही है तथा उनके अब तक के 15 माह के कार्यकाल में इस वाहन पर लगभग सवा लाख रुपये की राशि व्यय की गई है जिसकी फर्जी लाग बुक भरी जा रही है।

यही नहीं इनके अब तक के कार्यकाल में अनेकों स्थानों पर अवैध रूप से भूमि पर दुकानें बनाकर बेची जा रही हैं। इनके द्वारा इन दिनों खसरा नम्बर 1707 जो कि इंदिरा कालोनी में स्थित है पर अवैध दुकानों का निर्माण भू-माफियाओं के साथ मिल कर किया जा रहा है तथा इस स्थान पर बीच में आ रहे बिजली के खम्भों को हटाया गया है जिसका व्यय नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है तथा इनके कार्यकाल में अब तक नगरपालिका की कोई भी बैठक नहीं हुई है तथा इनके श्वसुर द्वारा पालिका पर नियंत्रण किया हुआ है तथा लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन्हें इनके पद से तुरन्त हटाया जावे तथा इनके द्वारा अब तक किए गए अवैध कार्यों की जांच कराई जावें।

कोटपूतली बस स्टैण्ड में अव्यवस्था

(डा. रघुवीर सिंह गौड़—कोटपूतली)

कोटपूतली बस स्टैण्ड की स्थिति बहुत शौचनीय है। बसें सामान्यतः मुख्य सड़क पर ही रुकती है जहां सवारियों को चढ़ने-उतरने में कठिनाई की गम्भीर समस्या बनी रहती है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग शहर के बीच में से गुजरता है और इसी पर बस स्टैण्ड स्थित है। अतः बस स्टैण्ड के सामने ही बस, ट्रक, रिक्शों का जमावट बना रहता है। यही नहीं साइड लेने में जहां बस खड़ी होनी चाहिए, टैक्सी जीपों का जमावड़ा रहता है। सबसे भीषण स्थिति में तो यह होती है कि कई ट्रक भी सवारी के लालच में थोड़ा आगे रुक जाते हैं। इन सब कारणों से यातायात में व्यवधान तो पड़ता ही है, सवारियों को दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है तथा यदा-कदा दुर्घटनाएं होती भी रहती है। बस स्टैण्ड अब छोटा पड़ता जा रहा है तथा वह मूलतः लोकल बसों, यथा अलवर, बानसूर, बहरोड़ नीमकाथाना आदि बसों के ही काम आता है। दिल्ली-जयपुर-भिवानी आने-जाने वाली बसें तो राजमार्ग पर ही रुकती हैं। अन्दर आगे जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यह स्थिति गम्भीर है तथा भविष्य में और अधिक भीषण होने वाली है। सड़क यातायात निरन्तर बढ़ रहा है। प्राइवेट बसों, टैक्सी, जीपों, लोकल बसों के ज़मावड़े

तथा ठेली-खोमचे वालों के कारण भयंकर अव्यवस्था फैल रही है। खेद की बात है कि प्रमुख बस स्टैण्ड होने पर भी यहां न तो पेयजल की व्यवस्था है न सुविधाएं उपलब्ध है। मेरा माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि इस बढ़ते हुये नगर की मांग के मद्देनजर वर्तमान बस स्टैण्ड का विस्तार करवाकर सम्पूर्ण बस स्टैण्ड परिसर को केवल बसों के आवागमन हेतु आरक्षित रखा जावे।

परिसर में कार्यरत "लोको शैड" अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जावे। इस हेतु "कारागृह परिसर" के सामने विशाल भू-खण्ड पर नवीन लोको शैड स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार पूरा परिसर आने-जाने वाली बसों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।

खोमचे तथा फल विक्रेताओं के लिए एक ओर अलग से स्थान सुनिश्चित किया जावे।

सभी टैक्सियों को किसी अन्य स्थान पर भेजा जावे, इनसे न केवल यातायात में व्यवधान पड़ता है, रोडवेज की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अलवर तथा बहरोड़ के लिये अलग बस स्टैण्ड सब्जी मण्डी अथवा बानसूर रोड पर टाकीज के समीप बना दिया जावे।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा अधिकांश अव्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग के नगर के बीच में से निकलने से भी हुई है। अतः शहर के बाहर से बाईपास बनाये जाने की अनुशंसा केन्द्र को की जानी चाहिये, ताकि हजारों ट्रक नगर के बाहर से निकलें तथा शहर में व्यवधान पैदा न करें।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किसानों को नियमित बिजली देने विषयक

(श्री कन्हैया लाल—बस्सी)

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी को वर्तमान में जो विद्युत सप्लाई है वह 3 घंटे से 5 घंटे तक मिलती है जिसमें खास कर तूंगा, पड़ासोली, बड़वा, माधोगढ़ अगतीरा, दणाउकलां, कर्मगढ़, खेतपुरा आदि ग्राम पंचायत के गांवों के लोगों को पिछले तीन वर्ष से लगातार उसे 5 से 3 घंटे से ज्यादा विद्युत सप्लाई नहीं मिलती है जिससे इस क्षेत्र के किसानों को इस बार पूरी विद्युत सप्लाई नहीं हुई तो यहां के किसानों को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ेगा। अपने पशुओं को चारे के अभाव में गायों, भैसों, बुढ़े बैलों को छोड़ दिए है जिसके कारण तीन वर्ष के इस क्षेत्र में करीब 10,000 पशु इधर-उधर घूमते किसानों की थोड़ी बहुत फसल बोई जाती है उसे नष्ट कर देते हैं।

मेरा आपके माध्यम से विद्युत मंत्री से निवेदन है कि जिन सैकड़ों गांवों को जो विधान सभा क्षेत्र बस्सी व जमवारामगढ़ के गांवों की सप्लाई नहीं मिलती है इन्हें सात घंटे विद्युत सप्लाई बराबर नहीं मिलती है तो कृषकों को हालत अत्यन्त दयनीय हो जायेगी। साथ ही माननीय मंत्री

महोदय ने घोषणा की है कि 5000 या ज्यादा आबादी वाले गांवों को पूरे 24 घंटे विद्युत सप्लाई मिलेगी। मेरे क्षेत्र के कानौता, कोटखाबाद, तुंगा, बांसखो, जटवाड़ा आदि ऐसे गांव है जिनकी आबादी 5000 या ज्यादा है परन्तु फिर भी उन्हें 24 घंटा वाली घोषणा एकदम असत्य है। आय कृषकों के बच्चे जो रात्रि को अध्ययन करते है, टी.वी. देखते है लेकिन सिंगल फेस लाइट या नहीं मिल रही है साथ ही मेरा विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव तुंगा में 132 के.वी.जी.एस.एस. जिसे पिछले 3 वर्ष से स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके अधीन है हमने भूमि आदि की व्यवस्था करने के बाद भी स्वीकृत करने की मंशा नहीं बनाई। मेरा निवेदन है कि आप इसे इसी वर्ष यहां के किसानों को लाभान्वित करने का श्रम करें। मुझे आशा है कि आप 132 के.वी.जी.एस.एस. तुंगा को स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांवों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने विषयक

(श्री मंगला राम गोदारा—श्री डूंगरगढ़)

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के माध्यम से आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के बहुत से गांवों के निवासी आज भी खारा पानी पीने को मजबूर है। आजादी के पचास वर्षों के बाद भी श्रीडूंगरगढ़ के गांव गुसाईसर, मानकरासर, लोदेरा, डेलवा, जालसर, लाषड़िया, धोलिया, उदरासर, भीरमसर, बीजासर, समदसर आदि गांवों में वहां के निवासी खारा पानी पीने को मजबूर हैं। खारे पानी की वजह से न तो चाय बनती, न खिचड़ी पकती और न इस पानी से कपड़े ही साफ होते हैं। खारा पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दांतों का समय से पूर्व गिरना एवं अन्य बीमारियां भी इस क्षेत्र में फैल रही है। इन गांवों को कंवरसैन लिफ्ट योजना से जोड़ दिया जाए तो वहां के निवासियों को इस खारे पानी की समस्या से निजात मिल सकती है।

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सुजानगढ़ पंचायत समिति में गत दो वर्षों में विधायक कोटे से 20 ट्यूबवैल तैयार किये गये हैं। इन 20 ट्यूबवैल में से केवल 4 (चार) ट्यूबवैल को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है जबकि सभी 20 ट्यूबवैल तैयार हैं। इस कारण तैयार ट्यूबवैल का स्थानीय जनता को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है और जनता को पीने के पानी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि इन सभी कुओं को शीघ्रतिशीघ्र विद्युतीकृत किया जाये जिससे स्थानीय जनता को पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सके।

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में स्वीकृत राशि का समय पर वितरण किये जाने विषयक

(श्री धर्मपाल चौधरी—मण्डावर)

महोदय, जहां एक ओर राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नई-नई व्यवस्थाएं स्थापित करने का दावा कर रही है वहीं शिक्षा निदेशालय बीकानेर के कुछ अधिकारी अब भ्रष्टाचार से अछूती वर्ष 1961 से चल रही योजनाओं में हलुवा तलाश रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की योजना "पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति" योजना के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एक एजेन्सी की हैसियत से कार्य कर रही है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कक्षा दो से बारह तक के प्रतिवर्ष लगभग 400 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें राज्य के उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने हेतु विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति में इन वर्गों के चयनित छात्र-छात्राओं की शाला की फीस, वर्दी पुस्तकों, होस्टल इत्यादि समस्त दायित्वों का पुनर्भरण उस शाला द्वारा इस हेतु निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। इन उच्च प्रतिष्ठित आवासीय शालाओं में पिलानी स्थित बिरला पब्लिक स्कूल भी शामिल है।

योजना की मूल भावना यह है कि इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को उच्च प्रतिष्ठित शालाओं में अध्ययन की सुविधाएं दिलवाई जावे तथा जो सुविधाएं उस शाला में पढ़ रहे अन्य छात्र-छात्राओं को मिल रही है वही सुविधाएं इन वर्गों के बच्चों को भी मिले, इससे न केवल उन्हें अच्छे स्तर के शिक्षण की सुविधा मिलेगी अपितु सुविधाओं में फ़र्क रखने पर उत्पन्न होने वाली हीनभावना भी नहीं पनपेगी। वस्तुतः इस विशेष छात्रवृत्ति योजना की दरें राज्य सरकार निश्चित नहीं करती है अपितु अन्य छात्रों हेतु निर्धारित दरों पर ही चयनित छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलवाकर सम्बन्धित आवासीय विद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर राशि का पुनर्भरण किया जाता है।

चयनित विद्यार्थियों को सम्बन्धित शाला में भर्ती होने के पश्चात् जाति प्रमाण-पत्र मूल निवास प्रमाण-पत्र इंत्यादि मंगवाकर विभाग को बिल भिजवाने में ही शालाओं को 2-3 माह का समय लग जाता है। इस अवधि में छात्र पर होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित आवासीय विद्यालय को ही वहन करना पड़ता है। बिल प्रस्तुत होने के पश्चात् भी भुगतान होने में लगभग 1-2 माह का समय लग जाता है परन्तु अब तक इस बारे में सम्बन्धित शालाओं द्वारा इस विलम्ब के बारे में कभी कोई आपत्ति मात्र इसलिए नहीं की गई क्योंकि भुगतान में निदेशालय में कार्यरत कोई भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कोई लाभ की आशा नहीं रखी गई, शालाओं को स्वतः ही भुगतान पहुंच जाता था। परन्तु लगता है कि सरकारी कार्यालयों में प्रचलित व्यवस्थाओं से

अलग रीति-नीति अब कुछ अधिकारियों को रास नहीं आ रही है उन्हें योजना में मलाई की खुशबू आ रही है। उन्हें लग रहा है कि भुगतान की जा रही लाखों की राशि में हिस्सा तय कर लिया जावे तो काफी सुविधा हो सकती है। चूंकि पुनर्भरण की 10-15 लाख रुपये की राशि का बिल देखकर उनकी कलम चलने से इन्कार कर रही है। अतः उन्हें योजना के औचित्य पर भी संदेह होता है। शायद इन वर्गों के बालकों पर होने वाला इतना व्यय उन्हें नागवार लग रहा है। इसी कारण कई महीनों से लम्बित पड़े बिल विभाग में धूल फांक रहे हैं। संस्थाएं अपने स्तर पर पांच माह तक 100-100 छात्रों पर शिक्षण, आवास, खाने-पीने इत्यादि पर अपने कोष से व्यय कर चुकी हैं। बीमार पड़ने पर इलाज संस्था को करवाना पड़ता है जिसके पुनर्भरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

इन संस्थाओं की भी अपनी वित्तीय सीमाएं हैं। अब तक तो इस विश्वास पर उन्हें बाजार से भी उधार मिल जाता था कि थोड़ा-बहुत आगे पीछे भुगतान हो जायेगा परन्तु बाजार की दशा व विभाग का मूड देखते हुए वर्षों से उधार सामान देने वाले व्यापारी भी अपना हाथ खींच रहे हैं। विभाग में खुसर-फुसर है कि अब की बार साहब कड़क हैं, चिकनाई के बिना नरम नहीं होंगे। दूसरी तरफ इन संस्थाओं के प्रबन्धन का मत है कि सरकार द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित संस्था मानकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलवाती है। अगर वे ये काम करने लगेंगी तो फिर बच्चों के शिक्षण व सुविधा की गुणवत्ता पर ध्यान न देकर अपनी प्रतिष्ठा को गिराना पड़ेगा ऐसी अवस्था में इस योजना को अपनी शाला से बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा।

मूलतः यह योजना समाज कल्याण विभाग की है, उसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय काम करता है। निदेशालय का दायित्व परीक्षा के आयोजन से लेकर, निरीक्षण तथा इसके बिलों को पारित करने का है। सभी 33 शाला पहले खर्च का बिल तथा उसके बाद खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजती है। विगत 30 वर्षों में कभी भी इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा भुगतान करने में बाधा नहीं आई। उल्लेखनीय है कि छात्र-छात्राओं की चिकित्सा के लिए कोई प्रावधान नहीं होना भी इस योजना की एक बहुत बड़ी खामी है। विशेषकर छोटी आयु के छात्र-छात्राओं को खसरा, खुजली, टाइफाइड, मलेरिया, खांसी जैसे रोग अक्सर होते रहते हैं। जिनका खर्च सम्बन्धित स्कूलों को ही वहन करना पड़ता है। इसलिए सरकार को छात्रों-छात्राओं के चिकित्सा खर्च पर राशि अवश्य देनी चाहिए।

राज्य सरकार ने विशेष छात्रवृत्ति योजना का अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया है। शिक्षा निदेशालय पूरी एस.सी./एस.टी. की छात्रवृत्ति की राशि में से ही इन स्कूलों की राशि का पुनर्भरण करता है। इस आधार पर शिक्षा निदेशालय कई बार मनमाने तरीके से इन शालाओं के बिल रोक लेता है। वर्ष 2000-2001 में तथा वर्ष 2001-2002 में ऐसा ही किया गया है। वर्ष 2001-2002 में बजट उपलब्ध होते हुए भी शालाओं को केवल 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करने की बात कही जा रही है और अभी तक किसी भी शाला को भुगतान नहीं किया गया। निदेशालय के अधिकारी उक्त राशि पर कुण्डली बनाये बैठे हैं।

"मलाई को देखकर मुंह में पानी आने" की कहावत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर चरितार्थ हो रहीं है। अत्यन्त निर्धन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह काफी लोक महत्व का मामला है अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।